अध्याय–18
शिक्षा
Education

18.1 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

प्राथमिक शिक्षा (बेसिक शिक्षा) विभाग का कार्य प्राथमिक विद्यालयों का संचालन, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन, पश्चपोषण एवं मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को औपचारिक शिक्षा (Formal Education) प्रदान करने हेतु कार्य किया जाता है।

प्रदेश में 14271 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 453188 विद्यार्थी नामांकित है तथा 31716 शिक्षक कार्यरत है, जबकि निजी / प्राइवेट विद्यालय 4504 हैं, जिनमें 558325 विद्यार्थी नामांकित है तथा 33511 शिक्षक कार्यरत है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 102.93 है।

तालिका 18.1

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजकीय विद्यालय	14271	217017	236171	453188	16728	14988	31716	102.93
निजी / प्राइवेट विद्यालय	4504	312576	245749	558325	9344	24167	33511	

स्रोतः UDISE 2019-20

18.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा की स्थितिः–

- देश में बच्चों की शिक्षा की दशा–दिशा का विवरण प्रस्तुत करने वाली वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट असर 2019 में 04 से 8 वर्ष के बच्चों का प्री–स्कूलिंग व नामांकन पर सर्वे किया गया है।
- यह सर्वेक्षण उत्तराखण्ड के एक मात्र जनपद देहरादून में किया गया। सर्वेक्षण बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष, भाषा व आंकिक दक्षता पर किया गया।
- कक्षा 01, 02 व 03 के बच्चों की उपलब्धि के स्तर का मापन किया गया।

तालिका 18.2

Enrollment status by grade and school type 2019

Std	Govt.	Pvt	Total
Std I	40.3	59.7	100
Std II	32.5	67.5	100
Std III	36.2	43.8	100

स्रोतः असर–2019

तालिका 18.3

% Children who can correctly do cognitive and early language tasks by grade 2019

Std	Cognitive			Early Language
	Seriation	Pattern recognition	Puzzle	Listening comprehension
Std I	66.0	52.2	48.9	64.7
Std II	77.0	68.0	67.3	67.0
Std III	85.8	74.3	74.5	77.7

स्रोत: असर–2019

तालिका 18.4

Distribution of children's reading ability within each grade 2019

Std	Not even letter	Letter	Word	Std I level text	Total	Of those who can read a Std I level text, % children who can answer both comprehension questions
Std I	35.9	28.3	16.8	19.0	100	82.6
Std II	15.0	31.9	11.7	41.4	100	
Std III	6.2	22.1	6.0	65.7	100	

स्रोत: असर–2019

तालिका 18.5

Distribution of children's ability to recognize numbers within each grade 2019

Std	Not even 1 -9	Number recognition (1 -9)	Number recognition (11 -99)	Total
Std I	23.2	20.8	56.0	100
Std II	10.2	21.0	68.9	100
Std III	1.2	24.9	73.9	100

स्रोत: असर–2019

तालिका 18.6

% Children who can correctly do 1- digit and 2- digit numeracy task by grade 2019

Std	1-digit					2- digit		
	Oral word problem addition	Oral word problem subtraction	Relative comparison (1-9)	Numeric addition	Numeric subtraction	Relative comparison (11-99)	Numeric addition	Numeric subtraction
Std I	42.9	35.7	57.7	56.3	41.6	33.6	6.1	6.1
Std II	62.5	56.6	81.1	79.9	66.6	54.7	29.0	15.4
Std III	83.4	71.8	88.9	88.3	75.2	66.2	48.1	35.1

स्रोत: असर–2019

18.1.2 समग्र शिक्षा योजना– भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा के एकीकरण के फलस्वरूप प्रारम्भ किया गया है। समग्र शिक्षा के तीन घटक– प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हैं। समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक) के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 14 से 18 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौम पहुँच एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा, सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यक्रम एवं हस्तक्षेप रखे गये हैं, जबकि शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत, सेवापूर्व प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, छात्र–छात्राओं के सम्प्राप्ति स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं।

मुख्य उद्देश्य– समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संचालित की गयी है–

- विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच।
- गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के 'सीखने के प्रतिफल' (Learning Outcomes) सुनिश्चित करना।
- विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक एवं लैंगिक भेद समाप्त करना।
- विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशन (Inclusion) एवं समता (Equity) सुनिश्चित करना।
- विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम सुविधायें सुनिश्चित करना यथा विद्यालय भवन, भवन एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण, रैम्प–रैलिंग आदि।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों को सहयोग करना।
- शिक्षक शिक्षा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में DIET एवं SCERT के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण।

समग्र शिक्षा की विशेषताएँ

- केन्द्र एवं राज्य सरकार की देयता 90:10 के अनुपात में निर्धारित है।
- योजना पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए प्रारम्भ की गयी है।
- विद्यालयों के समेकन को प्राथमिकता।
- माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों में शिक्षण में तकनीकी का उपयोग किये जाने हेतु ICT को प्रभावी ढ़ंग से लागू करना।

समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन से संसाधनों का समुचित एवं बेहतर उपयोग के साथ ही व्यय भी कम किया जा सकेगा।

तालिका 18.7
वर्ष 2020–21 के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि
(समग्र शिक्षा योजना)

S. No.	Activity	Approved		Progress (Upto November 2020)		Tentative Progress (Upto March 2021)	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Residential Hostel for 50 children	2	57.59	2	11.87	2	25.00
2	Residential Hostel for 100 children	4	533.23	4	35.92	4	100.00
3	Transport/Escort Facility	2743	164.58	566	33.96	2743	80.00
4	Reimbursement of Fee against admission under RTE	177937	14942.67		0.00	177937	14942.67
5	Out-of-School Children	3616	181.10	585	13.73	3616	80.00
6	Free Text Book	713711	2225.36	178428	556.34	713711	2225.36
7	Provision of 2 sets of Uniform	576000	3456.00	530639	3183.83	576000	3456.00
8	Media and Community	28566	642.74	9973	271.13	28566	642.74
9	Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)	1041818	4337.74	42317	438.89	1041818	4337.74
10	Assessment at State level (Elementary)	13	26.00		0.00		0.00
11	Teacher Training	514	5.14		0.00	514	5.14
12	Support at Pre-Primary Level	3993	396.78	557	43.28	3993	396.78
13	Composite School Grant	14283	3110.00	13873	2984.39	14283	3110.00
14	Library (upto Highest Class VIII)	14283	845.00		0.00	14283	845.00
15	Rashtriya Aavishkar Abhiyaan (Elementary)	1166	113.60	120	24.00	1166	113.60
16	Academic support through BRC	95	955.88	95	148.99	95	250.00
17	Academic Support through CRC	994	1949.63	994	78.44	670	200.00
18	Sports & Physical Education	14283	844.70	11959	680.98	14283	844.70
19	Teachers Salary	2836	5572.80	2828	3276.37	2836	5572.80
20	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya	28	1094.44	28	179.90	28	300.00
21	Self defence training for Girls	816	73.44		0.00	816	73.44
22	Interventions for CWSN	4538	157.78	1958	50.72	4538	150.00
23	Management Information System (SDMIS & Shaala Kosh)	2325612	46.51		0.00	2325612	46.51
24	Civil Works	3355	8496.19	1034	3855.49	3355	8496.19
25	Solar Pannel	294	741.00		0.00	294	741.00
26	Program Management (MMER)	1	3461.70	1	840.80	1	3461.70
Grand Total			**54431.58**		**16709.01**		**50496.37**

स्रोतः विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.3 मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day-Meal)– मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाला एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय विद्यालय/ राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा–कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण वर्तमान में विद्यालय बन्द चल रहे है जिस कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता (Food Security Allowance FSA) वितरित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बच्चों को

खाद्यान्न (चावल) एवं कुकिंग मूल्य धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2020–21 में कुल 16963 विद्यालयों में कुल 667297 छात्र–छात्राएं नामांकित हैं। मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में कुल 17837.83 मी0ट0 खाद्यान्न आवंटित किया गया। भोजन बनाने हेतु 25384 भोजनमाताएं कार्यरत हैं। मध्याह्न भोजन योजना की कुल अनुमोदित धनराशि ₹ 205.70 करोड़ है, जिसमें राज्यांश ₹ 70.56 करोड़ है।

18.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करना तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप करना एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है।

30 सितम्बर, 2020 के अनुसार राज्य में 1404 राजकीय इण्टर कालेज, 335 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 917 राजकीय हाईस्कूल, 65 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 995 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3716 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राज्य में कुल 1193656 छात्र नामांकित हैं, जिसमें से 577534 छात्र राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों में तथा 616122 निजी / प्राईवेट विद्यालयों में नामांकित हैं। राज्य के 2721 माध्यमिक विद्यालयों में 29348 शिक्षक कार्यरत है। वर्तमान में माध्यमिक विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात (GER) 84.26 तथा ड्राप आउट रेट 8.52 है। माध्यमिक शिक्षा में जेण्डर पैरिटी दर 0.90 है।

तालिका 18.8

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या			विद्यालयों में नामांकन अनुपात	ड्राप आउट रेट	जेनडर पेरिटी रेट
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजकीय / सहायता प्राप्त विद्यालय	2721	271676	305858	577534	19721	9627	29348	84.26	8.52	0.90
निजी / प्राइवेट विद्यालय	995	357621	258501	616122	7387	15155	22542			

स्रोतः विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

18.2.1 राजीव गॉधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना– वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। इस मद में 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अधिष्ठान संबन्धी व्यय निहित हैं। वर्ष 2020–21 में राजस्व मद में 2660.00 लाख धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष 2320.98 लाख स्वीकृत हो चुकी है तथा ₹ 1362.36 लाख व्यय की जा चुकी है। पूंजीगत मद में 400.00 लाख धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष अद्यतन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

18.2.2 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय– प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक / बालिकाओं

के सर्वांगीण विकास हेतु शासनादेश संख्या–1372/XXIV–3/15/02 (97) 2015 टी.एस./2003, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न 04 जनपदों में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है:–

1. नैनीताल रा.गा.अ.आ.वि. बेतालघाट
2 पिथौरागढ़ रा.गा.अ.आ.वि. बेरीनाग
3. चमोली रा.गा.अ.आ.वि. जोशीमठ
4 पौड़ी रा.गा.अ.आ.वि. जयहरीखाल

वर्ष 2020–21 में इस योजना हेतु राजस्व मद में ₹ 159.10 लाख एवं पूंजीगत मद में ₹ 400.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, इसमें से राजस्व मद में 102.25 लाख स्वीकृति के सापेक्ष 29.33 लाख की धनराशि व्यय की गई है तथा पूंजीगत मद में 128.55 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में संचालित 04 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था हेतु हॉस्टलों का निर्माण/जीर्णोद्वार किया जा रहा है। वर्तमान में इनमें अध्ययनरत विद्यार्थी दैनिक विद्यार्थी (Day Scholar) के रूप में अध्ययनरत हैं।

18.2.3 परिषदीय परीक्षा– प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के व्यापक प्रयासों के कारण वर्ष 2020 में हाईस्कूल परीक्षा का कुल परीक्षाफल 76.92 रहा जो गत वर्ष के सापेक्ष में 0.49 प्रतिशत अधिक रहा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का कुल परीक्षाफल 80.26 रहा जो कि गत वर्ष के सापेक्ष में 0.13 प्रतिशत अधिक रहा।

18.2.4 साईकिल योजना– इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में कक्षा 08 उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में अध्ययनरत छात्राओं को साईकिल खरीद पर अधिकतम ₹ 2850 की प्रतिपूर्ति व पर्वतीय क्षेत्रों में बालिकाओं के नाम पर समतुल्य धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की जाती है। वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 16 करोड़ धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 49353 बालिकायें लाभान्वित होंगी।

18.2.5 कमला नेहरू पुरस्कार– प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2020–21 में उक्त योजना में ₹ 40.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

18.2.6 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहें है।

तालिका 18.9
जनपदवार मॉडल विद्यालयों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राजकीय माध्यमिक मॉडल स्कूलों की संख्या
01	देहरादून	12
02	हरिद्वार	12
03	टिहरी	18
04	पौड़ी	30
05	उत्तरकाशी	12

06	रूद्रप्रयाग	06
07	चमोली	18
08	उधमसिंह नगर	14
09	नैनीताल	16
10	पिथौरागढ़	16
11	चम्पावत	08
12	अल्मोड़ा	22
13	बागेश्वर	06
	योगः–	**190**

स्रोतः विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2020–21 में राजकीय माध्यमिक मॉडल स्कूलों में लेखन सामग्री, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, पारिश्रमिक, लघु निर्माण कार्य, कम्प्यूटर क्रय, कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं अन्य व्यय हेतु ₹ 99.50 लाख (निन्यानब्बे लाख पचास हजार) की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

18.2.7 खेल गतिविधियां– कोविड–19 महामारी के कारण स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के तत्वाधान में आयोजित होने वाली वर्ष 2020–21 की राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितायें एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया।

18.2.8 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखालः– उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल की स्थापना की गयी है। संस्था में छात्रों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधा के साथ छात्रों को शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक विकास एवं बहुआयामी कौशलता प्रदान करने हेतु आवासीय शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध किया जाना है। संस्था में शैक्षणिक नवाचारी गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए उच्च स्तरीय शैक्षिक वातावरण सृजन हेतु प्रयोग किए जायेंगे। विद्यालय कक्षा– 6 से 12 तक पूर्णतः आवासीय स्वरूप में संचालित किया जायेगा। विद्यालय की स्थापना स्वायतशासी संस्था के रूप में की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवासीय विद्यालय जयहरीखाल के संचालन हेतु राजस्व मद में ₹ 113.02 लाख एवं पूंजीगत मद में ₹ 350.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

18.2.9 अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय– उत्तराखण्ड के बच्चों को भविष्य में आर्थिकी एवं रोजगार के बेहतर अवसरों की प्राप्ति हेतु होने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना" संचालित किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 95 विकासखण्ड में 02–02 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जायेंगे तथा इसके लिए विकासखण्ड मुख्यालय में स्थित अथवा उसके निकटवर्ती स्थल पर स्थित राजकीय इण्टरमीडिएट विद्यालय का चयन उनकी छात्र नामांकन संख्या के आधार पर किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत हिन्दी व अंग्रेजी दोनो माध्यम से सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान की जायेगी। इन विद्यालयों का संचालन कक्षा–6 से 12 तक किया जायेगा।

18.2.10 माध्यमिक विद्यालयों का विलीनीकरणः– वर्ष 2018–19 में 34 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का विलय (Merger) किया गया है। शैक्षिक सत्र 2018–19 में एक ही परिसर/ स्थान में संचालित अथवा 100 मी0 की परिधि में तथा 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का 05 किमी0 परिधि में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में विलय किया गया। उपरोक्त 34 विद्यालयों में से अद्यतन 18 विद्यालयों के विलय की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है। शेष 16 विद्यालयों के विलय के संबन्ध में क्षेत्रीय जनता द्वारा विरोध/प्राकृतिक अवरोध/न्यायालय वाद एवं छात्र संख्या में वृद्वि होने के कारण अद्यतन

विलय की प्रक्रिया संपन्न नहीं की गयी है। 18 विलय किये गये विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक वर्ष 2019–20 से दूसरे विद्यालयों में योगदान दे रहे हैं। इससे एक ओर अध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हुई है वहीं दूसरी ओर शिक्षण कार्य में सुधार आया है।

कोविड–19 महामारी के दौरान संचालित गतिविधियां

1. माध्यमिक स्तर पर 500 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएँ स्थापित की गयी हैं। वर्चुअल कक्षाओं का संचालन केन्द्रीय स्टूडियो के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए 04 स्टूडियो देहरादून में स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय स्डुडियों के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम ज्ञानदीप हेतु अध्यापकों के विषयगत व्याख्यान रिकॉर्ड किये जा रहे हैं। वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण अधिगम के साथ ही ऑनलाइन अध्यापक प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापकों का स्कूल लीडरशिप पर अभिमुखीकरण, छात्र–छात्राओं को जे0ई0ई0 एवं मेडिकल की तैयारी हेतु सुपर 100 कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधियों/विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों से वार्ता आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
2. राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं Digital अधिगम सामग्री यथा Smartphone, Laptop, Desktop आदि के अभाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि दूरदर्शन जो कि सर्वसुलभ एवं निःशुल्क टीवी चैनल है तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुँच है, के माध्यम से छात्रोपयोगी विषयगत व्याख्यान प्रसारित कराये जायें। राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर दूरदर्शन से व्याख्यान प्रसारित किये जाने हेतु विषयाध्यापकों के सहयोग से राज्य स्तर पर वर्चुअल कक्षाओं के संचालन हेतु विकसित स्टूडियो के माध्यम से व्याख्यान रिकार्ड किये गये। व्याख्यान प्रसारित किये जाने हेतु दूरदर्शन देहरादून के साथ MoU किया गया तथा दिनांक 24 अप्रैल 2020 से व्याख्यान प्रसारित किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में MoU के आधार पर दूरदर्शन से 3 Slot प्रतिदिन (प्रत्येक आधा घंटा) आरक्षित करते हुए माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए व्याख्यान प्रसारित किये गये। इसी क्रम में प्रारम्भिक स्तर (विशेषत कक्षा 6–8) के लिए भी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयों में व्याख्यान उक्तवत तैयार करते हुए 04 सितम्बर 2020 से प्रसारित किये जा रहे हैं।
3. समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को घर पर शिक्षण–अधिगम के लिए गतिविधि पुस्तिकायें राज्य स्तर से मुद्रित कर उपलब्ध करायी गयी हैं। गतिविधि पुस्तिकाएँ कक्षावार तथा विषयवार (कक्षा 1–2 के लिए अंग्रेजी, गणित एवं हिन्दी, कक्षा 3–5 भाषा, गणित एवं ई0वी0एस0, कक्षा 6–8 के लिए विज्ञान एवं अंग्रेजी) तैयार की गयी हैं तथा लर्निंग आउटकम आधारित है।
4. प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के छात्र–छात्राओं की भाषायी दक्षता के लिए अध्यापकों, डायट संकाय सदस्यों एवं सहयोगी संस्थाओं (NGO) के सदस्यों द्वारा विकसित ऑडियो क्लिप/जिंगलस/ ब्रॉडकास्ट/बुलेटिन आदि Community Radio के माध्यम से कुछ स्थानों पर प्रसारित किये गये। लगभग इस कार्यक्रम से 5.00 लाख अधिक बच्चे लाभान्वित हुये हैं।
5. जनपद स्तर पर डायट के द्वारा शिक्षकों के माध्यम से तैयार की गयी वर्कशीट छात्र–छात्राओं को घर पर ही उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसमें राज्य के दूरस्थ क्षेत्र मुख्य है। वर्कशीट प्रत्येक माह मध्याह्न भोजन आवंटन की तिथि को छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी जाती है तथा अगली तिथि को उन्हें संकलित करते हुए छात्र–छात्राओं को तद्नुसार अधिगम सहयोग दिया जा रहा है।

6. जनपद स्तर पर कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल लर्निंग की सुविधा छात्र–छात्राओं को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, में अध्यापकों के द्वारा छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क या अभिभावकों के माध्यम से सम्पर्क करते हुए अधिगम सहयोग दिया जा रहा है जैसे– हस्तलिखित नोटस, बच्चों के द्वारा किये गये गृह–कार्य का मूल्यांकन एवं उस पर फीडबैक देना आदि। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर NCC/NSS Volunteers के द्वारा छोटे समूह में छात्र–छात्राओं को गोद लिया गया है तथा उन्हें अधिगम सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
7. राज्य स्तर से सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से डिजिटल अधिगम को सुगम बनाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राथमिक स्तर के अधिगम को सुगम बनाये जाने हेतु सम्पर्क बैठक एप, गुरूशाला, विद्या एप आदि के माध्यम से अधिगम सामग्री छात्रों के लिए उपलब्ध करायी जा रही है।
8. **वर्ष 2020–21 में कोविड के कारण विभागीय कार्यों में विशेष प्रयास का विवरण योजना का विवरण:**

(1) सेवारत शिक्षकों का आनलाईन प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्द्धनः

क. आनन्दम कार्यक्रम के तहत 30000.0 शिक्षकों का आनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ख. 1638 सहायक अध्यापक –विज्ञान, 1537 प्रवक्ता शिक्षक–रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान व 896 प्रवक्ता शिक्षक हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में प्रशिक्षित किये गये।

(2) विद्यार्थियों को सतत सीखने हेतु योजना के अन्तर्गत आनलाईन शिक्षण प्रदान किया गया जिसमें उन्हें मोबाइल, टी0वी0 आदि के माध्यम के साथ साथ ज्ञानदीप रेगुलर पाठ, स्वयं प्रभा, समुदाय रेडियों एवं whatsapp group आदि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया गया।

(3) विद्यार्थियों का आनलाईन एवं आफलाईन माध्यम से जनपद डायट्स के द्वारा मूल्यांकन किया गया। जिसमें केवल उधमसिंहनगर में 52374 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

विभाग की विशिष्ट योजनाएँ / कार्यक्रम

1. **कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास / आवासीय छात्रावास**– कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 48 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। के0जी0बी0वी0 में छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है।
2. **आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम**– विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बच्चो को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।
3. **एस्कॉर्ट सुविधा**– जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।
4. **दिव्यांग बच्चों (CWSN) हेतु कार्यक्रम**– दिव्यांग बच्चों को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा में बनाये रखने एवं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुये उन्हें प्रतिवर्ष परीक्षण शिविर, सहायता उपकरण, एस्कॉर्ट सुविधा, सुधारात्मक सर्जरी, अभिभावक परामर्श शिविर आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

5. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम**– शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समान गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों की सबसे छोटी कक्षा में उपलब्ध स्थानों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा रहा है।

6. **सुपर 100 कार्यक्रम**– वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं यथा Joint Entrance Exam-JEE एवं National Eligibility Cum Entrance Test-NEET, Scholarship exam आदि की कोचिंग भी प्रारम्भ की गयी है। वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से दी जा रही कोचिंग में सम्बन्धित विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के अतिरिक्त निकटवर्ती अन्य विद्यालयों के इच्छुक छात्र–छात्राओं को भी अवसर प्रदान किया जा रहा है।

7. **वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी योजना का विवरण:**

(1) **आनंदम् पाठ्यचर्या (Experiential Learning):** आनंदम् पाठ्यचर्या के अंतर्गत कक्षा 01 से कक्षा–8 तक प्रथम वादन हैप्पीनेस कक्षाओं से प्रारम्भ होता है। इन कक्षाओं में एकाग्रता, कहानियों, गतिविधियों एवं अभिव्यक्ति के सत्र आयोजित किये जाते हैं। हैप्पीनेस कक्षाओं को संचालित करने हेतु शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान तक इस कार्यक्रम में 30000 अध्यापकों को प्रशिक्षित कर लिया गया है एवं मार्च 2020 तक राज्य के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं इण्टरमीडिएट कालेज जहाँ कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ संचालित है में उनके संस्थाध्यक्षों/अध्यापकों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है।

(2) **मिशन फॉर एक्सीलेन्स इन एग्जामिनेशन (शासकीय विद्यालयों के प्रति समाज का विश्वास पुनर्जीवित करने की ओर एक कदम):** इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को अभियांत्रिकी/चिकित्सा/रक्षा (JEE/NEET/NDA) क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना। इस कार्यक्रम के टारगेट ग्रुप में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 11 (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं।

18.3 उच्च शिक्षा (Higher Education)

राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में वर्ष 2002–03 में 74 महाविद्यालय तथा 2 विश्वविद्यालय संचालित थे वहीं वर्तमान में 106 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 12 राजकीय विश्वविद्यालय जिनमें से 5 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं।

18.3.1 नामांकन (Admission):– राज्य के राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वर्ष 2002–03 में 97,135 छात्र दाखिल थे वहीं 31 मार्च, 2018 में यह संख्या 2,68,359 हो गयी। राजकीय महाविद्यालयों में 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 133759 विद्यार्थी दाखिल हैं, जिनमें 50456 छात्र एवं 83303 छात्राएं हैं। राजकीय विश्वविद्यालयों में इस अवधि में कुल 105153 विद्यार्थी दाखिल हैं।

18.3.2 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– विभाग में कुल 4336 पद सृजित हैं जिसके सापेक्ष 2166 नियमित तथा 1298 संविदा/गेस्ट एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 31 दिसम्बर 2020 तक कुल 1614 शिक्षक कार्यरत् हैं, जिनमें 636 स्त्री एवं 978 पुरूष हैं।

राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेतांक तालिका 18.10 में दर्शायी गयी है:–

तालिका 18.10
(31 दिसम्बर 2019 के अनुसार)

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	नामांकित छात्र संख्या			शिक्षकों की संख्या		
			छात्र	छात्रायें	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1.	राजकीय महाविद्यालय	125	50456	83303	133759	978	636	1614
2.	राजकीय विश्वविद्यालय	12	–	–	105153	–	–	–

नोटः अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय में शामिल किया गया है।
स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

18.3.3 आधारभूत संरचना (Infrastructure):– वर्तमान में राज्य के कुल 106 जिसमें से 71 राजकीय महाविद्यालयों के पास अपने भवन हैं। 22 महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। 09 महाविद्यालयों के पास भूमि है तथा भवन निर्माण की कार्यवाही गतिमान हैं। 04 नवस्थापित महाविद्यालयों हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही गतिमान हैं। एस0पी0ए0 के अन्तर्गत 04 महाविद्यालयों में निर्माण कार्य संचालित है, जिनमें से 03 राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है तथा अन्य में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत 44 महाविद्यालयों में निर्माण कार्य संचालित हैं, जिनमें से 15 राजकीय महाविद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हैं।

18.3.4 नैक प्रत्यायन (National Assessment and Accreditation Council- NAAC):– राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् UGC द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संस्था है जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की स्थिति के आंकलन एवं प्रत्यायन का कार्य करती है। राज्य के 22 राजकीय महाविद्यालयों तथा 3 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा नैक प्रत्यायन कराया जा चुका है।

18.3.5 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA):– वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पंहुच, समानता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य के योग्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषण प्रदान करना है। रूसा की परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने दिसंबर 2014 में उत्तराखण्ड हेतु 90:10 के आधार पर ₹ 161.97 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की जिसमें से केन्द्रांश ₹ 145.764 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 16.196 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अनुमोदित एवं 31 मार्च 2020 तक अवमुक्त धनराशि का विवरणतालिका 18.11 में दर्शाया गया है–

तालिका 18.11

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	मदें / परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	31 दिसम्बर 2020 तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगित धनराशि	उपयोग प्रतिशत
					केन्द्रांश	राज्यांशा	कुल		
1.	विश्वविद्यालयों के अधःसंरचना हेतु अनुदान	4	70.99	63.89	52.78	5.54	58.32	34.48	59.10
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	1	10.29	9.26	9.26	1.21	10.47	8.22	78.50

3.	पुराने महाविद्यालयों का मॉडल महाविद्यालय के रूप में उच्चीकरण हेतु	5	16.36	14.72	13.16	1.46	14.62	12.17	83.20
4.	महाविद्यालयों के अधःसंरचना हेतु अनुदान	31	61.84	55.65	49.70	5.72	55.42	44.32	80.00
5.	फैकल्टी उन्नयन हेतु	1	2.49	2.24	2.24	0.25	2.49	1.84	73.70
कुल		**42**	**161.97**	**145.76**	**127.13**	**14.19**	**141.32**	**101.02**	**71.50**

स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

वर्तमान में राज्य के 62 महाविद्यालयों एवं 4 विश्वविद्यालयों को भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु, 05 महाविद्यालयों के उच्चीकरण हेतु, 01 नए मॉडल महाविद्यालय की स्थापना हेतु तथा 01 विश्वविद्यालय में फैकल्टी उन्नयन हेतु रूसा परियोजना के अन्तर्गत आर्थिक साहयता प्रदान की जा रही है। इसके अतरिक्त राज्य के दूरस्थ महाविद्यालयों में छात्र–छात्राओं को पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम और नई जानकारियों से लाभान्वित करने हेतु एडुसैट/ई–लर्निंग को प्रारम्भ किया गया है।

राज्य में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु संचालित नई योजनाएँ

1. कोविड–19 की स्थिति में उच्च शिक्षा के अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को ऑनलाईन शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु यू–ट्यूब पर उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए Uttarakhand Tele Education Network-Edusat नामक चैनल का संचालन प्रारम्भ कर पूर्व से उपलब्ध पाठ्यक्रमानुसार सहित कुल 27 विषयों के 773 व्याख्यानों को अपलोड कर लाभान्वित किया गया।
2. राजकीय विश्व विद्यालयों में कुल 109 संस्थानों में ई–लाईब्रेरी के अन्तर्गत ई–ग्रन्थालय की स्थापना की गई है।
3. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था हेतु 4–जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर कुल 112 प्रस्तावित स्थानों में से 83 स्थानों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के परिसरों को वाई–फाई सुविधा से युक्त तथा स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है।
5. महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन कराये जाने के लिए उनको आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।
6. तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा में वृद्धि का प्रस्ताव।
7. स्नातकोत्तर शिक्षा / पीएचडी हेतु निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8. अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रत्येक जनपद के 20–20 मेद्यावी विद्यार्थियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की योजना।
9. संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा कार्यशाला आयोजन की योजना।

18.4 प्राविधिक / तकनीकी शिक्षा (Technical Education)

उत्तराखंड राज्य देश में तकनीकी शिक्षा का उद्गम माना जाता है । भारत में प्रथम इंजीनियरिंग संस्था रूड़की में वर्ष 1847 में (थामसन इंजीनियरिंग संस्थान) सिविल इंजीनियर्स को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था जो कि अब भारतीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (आई0आई0टी0) के रूप में स्थापित है ।

नवगठित उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना श्रीनगर में की गई।

(क) पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी

राज्य में वर्ष 2002–03 में 16 पॉलीटेक्निक संचालित थे वहीं वर्तमान में 71 राजकीय, 01 सहायता प्राप्त तथा 58 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं। 06 संस्थानों के संचालन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में 09 फार्मेसी संस्थान सरकारी क्षेत्र में एवं 40 संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

18.4.1 नामांकन (Admission):– वर्ष 2002–03 में राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में कुल 2,702 छात्र नामांकित थे वहीं 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत 4,861 सरकारी सीटों के सापेक्ष 3,289 एवं निजी संस्थानों में सृजित 9,047 सीटों के सापेक्ष 3,740 छात्र नामांकित हैं तथा एक मात्र सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक में स्वीकृत 270 के सापेक्ष 236 छात्र नामांकित है। फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में स्वीकृत 360 सरकारी सीटों के सापेक्ष 344 एवं निजी संस्थानों में सृजित 2,400 सीटों के सापेक्ष 2,301 छात्र नामांकित हैं।

18.4.2 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत 1173 पद के सापेक्ष 397 शिक्षक एवं फार्मेसी संस्थानों में स्वीकृत 74 पद के सापेक्ष 37 शिक्षक कार्यरत् हैं।

पॉलीटेक्निक एवं फार्मेसी संस्थानों में नामांकित छात्रों एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या तालिका 18.12 में दर्शायी गयी है:–

तालिका 18.12

विवरण	संस्थानों की संख्या		प्रवेश क्षमता		नामांकित छात्र संख्या		शिक्षकों की संख्या		
	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान		निजी संस्थान
							स्वीकृत	कार्यरत्	
पॉलीटेक्निक	71	58	4861	9047	3289	3740	1173	397	–
फार्मेसी	9	40	360	2400	344	2301	74	37	–

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

18.4.3 आधारभूत संरचना (Infrastructure):– वर्तमान में राज्य के कुल 70 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में से 42 के पास स्वयं के शासकीय भवन हैं। शेष 28 संस्थानों में से 9 किराये के भवन में तथा 16 निःशुल्क भवन में संचालित हो रहे हैं एवं 3 अभी संचालित नहीं हो रहे हैं। इन सभी का निर्माण कार्य गतिमान है। सरकारी क्षेत्र के सभी 09 फार्मेसी संस्थान किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में 14 पॉलीटेक्निक संस्थानों में Electronic Learning Centres की स्थापना की गयी है, जहां

छात्रों को उच्च स्तर की पाठ्यचर्या के साथ–साथ विषय के विशेषज्ञों के व्याख्यान प्राप्त कराये जा रहे हैं।

18.4.4 अन्य कार्यक्रमः

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Through Polytechnics):– यह योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में यह योजना 14 राजकीय तथा 01 वित्त पोषित पॉलीटेक्निक संस्थान में संचालित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से ₹ 149.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है जो उपरोक्त संस्थाओं को आवंटित की गयी है।

2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाः– योजना अन्तर्गत राज्य के 8 पॉलीटेक्निक संस्थानों में कौशल विकास के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें 350 की प्रवेश क्षमता रखी गयी है और उसके सापेक्ष वर्तमान में 222 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। पाठ्यक्रमों में मुख्यतः एयर कंडीशनर, फील्ड टैक्नीसियन, ओटो मोबाइक वैल्डींग तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड टैक्नीसियन, कम्प्यूटर पेरीफेरलस, पाईप लाइन प्लम्बिंग, लेथ मशीन ऑपरेटर आदि शामिल हैं।

प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड की मुख्य उपलब्धियांः–

1– **ए0आई0सी0टी0ई0 से नयी संस्थाओं का अनुमोदनः–** प्रदेश में संचालित 70 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त हैं।

2– **निर्माण कार्यः–** (1) वर्ष 2019–20 में एस0पी0ए0 योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक दन्या एवं रामनगर के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर भवन संस्था को हस्तानान्तरित किये गये, राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक गोपेश्वर एवं मल्लासालम अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर भवन संस्थाओं को हस्तानान्तरित किये गये।

(2) वर्ष 2020–21 में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक बांसबगड़, रानीपोखरी, बेरीनाग, चिन्यालीसौड एवं एस0पी0ए0 योजना के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक जखोली में निर्मित अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) वर्ष 2020–21 केन्द्र पोषित योजना PMJVK के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर, काशीपुर एवं बाजपुर में निर्मित छात्रावासों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

3– **संस्थाओं में नयी तकनीकों का समावेशः–** पालीटेक्निक संस्थाओं मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगों की मांग के अनुसार कुछ संस्थाओं में नयी तकनीकें उपलब्ध करायी गयी, जो कि प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार सृजन एवं अनुसंधान में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

4– **कौशलता विकास कार्यक्रमों का संचालनः–** कौशल विकास से सम्बन्धित भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाएं जैसे Community Development though Polytechnique Scheme (सी0डी0टी0पी0), कम्यूनिटी कालेज तथा Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (पी0एम0के0वी0वाई0) आदि योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

5– उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यचर्या का विकासः–पालीटेक्निक संस्थाओं में एन0एस0क्यू0एफ0 के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार की गयी है जो आधुनिक उद्योंगो की मांग के अनुरूप एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य है।

6– शैक्षिक स्टाफ का उन्नयनः– शैक्षणिक स्टाफ को समय–समय पर उद्योंगों की आवश्यकता के अनुरूप एवं नई शैक्षणिक प्रणाली तथा नवीन संशोधित पाठ्यचर्या के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उनका शैक्षिक उन्नयन किया जा रहा है।

7– अल्पकालीन रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालनः– प्रातःकाल एवं सांयकाल में राजकीय पालीटेक्निक देहरादून, काशीपुर, नैनीताल, नरेन्द्रनगर एवं हरिद्वार में अल्पकालीन रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

8– डिजिटल इण्डिया कार्यक्रमों का संचालनः– सरकार की डिजिटल इण्डिया के विजन के अनुरूप विभाग द्वारा कार्यों का आनलाइन सम्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों को आनलाइन किया गयाः–

(1) पालीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा (जीप) हेतु आनलाइन आवेदन

(2) छात्रों का आनलाइन स्थानान्तरण

(3) सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु आनलाइन आवेदन

(4) काउंसलिंग का आनलाइन आवेदन

(5) स्टाफ का स्थानान्तरण आनइलाइन प्रक्रिया से सम्पादित किया जा रहा है

9– कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में Class app, Zoom, Google Meet के माध्ययम से ऑन–लाईन कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया तथा अधिकांश पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं।

10– रोजगार सृजन के प्रयास– विभाग में रोजगार सृजन हेतु जिला स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गयी है। छात्रों के कैम्पस साक्षात्कार हेतु विशेष प्रयास किये गये।

11– कोविड–19 संक्रमण के कारण कई छात्र प्रवेश फार्म भरने/प्रवेश परीक्षा देने से वंचित हुए थे तद्नुसार विभाग द्वारा स्थानीय छात्रों को तकनीकी कुशल बनाने के लिये, तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2020–21 में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने की कार्यवाही की गयी। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पालीटेक्निकों में ज्यादा प्रवेश हो सके हैं एवं इन क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को रोजगारपरक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर में वृद्धि हुई है।

(ख) इंजीनियरिंग एवं फार्मेसीः– विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ वैश्विक मांग के अनुरूप रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा एम0बी0ए0, बी0एच0एम0सी0टी0, एप्लाईड साइंस में मास्टर डिग्री आदि के अतिरिक्त शोधपरक शिक्षा को बढावा देने का कार्य भी कर रहा है।

राज्य में वर्ष 2001–02 में कुल 15 इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित थे, वहीं वर्तमान में इंजीनियरिंग शिक्षा के 07 स्नातक एवं 03 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान सरकारी क्षेत्र में तथा 20 स्नातक एवं 09

स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। फार्मेसी शिक्षा का 01 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान सरकारी क्षेत्र में तथा 14 स्नातक एवं 16 स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

18.4.5 नामांकन (Admission):– राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में वर्ष 2001–02 में कुल 2513 छात्र नामांकित थे, वहीं 31 दिसम्बर, 2020 तक स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में स्वीकृत 1600 सरकारी सीटों के सापेक्ष 946 एवं निजी संस्थानों में सृजित 10150 सीटों के सापेक्ष 4042 छात्र नामांकित हैं। निजी फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में सृजित 966 सीटों के सापेक्ष 784 छात्र नामांकित हैं।

राज्य के स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2020 तक स्वीकृत 256 सरकारी सीटों के सापेक्ष 155 एवं निजी संस्थानों में सृजित 495 सीटों के सापेक्ष 256 छात्र नामांकित हैं। फार्मेसी संस्थानों में इसी अवधि में स्वीकृत 48 सरकारी सीटों के सापेक्ष 42 एवं निजी संस्थानों में सृजित 942 सीटों के सापेक्ष 654 छात्र नामांकित हैं।

18.4.6 कार्यरत् शिक्षक (Posted Teacher):– 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य के स्नातक स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में से राजकीय संस्थानों में कुल 145 शिक्षक एवं निजी संस्थानों में 192 शिक्षक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों में क्रमशः 34 एवं 68 शिक्षक कार्यरत् हैं।

राज्य के स्नातक स्तरीय निजी फार्मेसी संस्थानों में 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 89 शिक्षक कार्यरत् हैं। इसी अवधि में स्नातकोत्तर स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थानों में कुल 5 शिक्षक एवं निजी संस्थानों में 80 शिक्षक कार्यरत हैं।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय इंजीनियरिंग तथा फार्मेसी संस्थानों में नामांकित छात्रों एवं कार्यरत् शिक्षकों की संख्या तालिका 18.13 में दर्शायी गयी है–

तालिका 18.13

शिक्षा का प्रकार		संस्थानों की संख्या		प्रवेश क्षमता		नामांकित छात्र संख्या		शिक्षकों की संख्या	
		सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान	सरकारी संस्थान	निजी संस्थान
इंजीनियरिंग	स्नातक	07	20	1600	10150	946	4042	145	192
	स्नातकोत्तर	03	09	256	495	155	256	34	68
फार्मेसी	स्नातक	–	14	–	966	–	784	–	89
	स्नातकोत्तर	01	16	48	942	42	654	05	80

स्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

18.4.7 विश्वविद्यालय के उल्लेखनीय कार्यः–

(अ) शासन द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून हेतु सुद्धोवाला में उपलब्ध करायी गयी भूमि में अपने प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। विश्वविद्यालय द्वारा माह अप्रैल 2018 में अपने नवीन परिसर में कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के वर्तमान भवन में एम0टैक0 तथा एम0फार्मा0 की कक्षायें भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं।

(ब) तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार

परियोजना (TEQIP-III) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार परियोजना (TEQIP-III) उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017 में सचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सेमीनार, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से प्रदेश में तकनीकी शिक्षा में सुधार किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(स) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में उत्तराखण्ड के मेधावी छात्रों (आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 एवं आई0एस0एम0) संस्थानों में चयनित उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी छात्रों को प्रोत्साहन धनराशि (₹ 50 हजार) वितरण करने हेतु उत्तराखण्ड तकनीकी विशविद्यालय नोडल सेन्टर बनाया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह जनवरी, 2020 तक कुल 101 छात्र/छात्राओं को ₹ 50.50 लाख प्रोत्साहन धनराशि के रूप में वितरित की जा चुकी है शेष 37 छात्रों को पुरस्कार राशि वितरण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

18.4.8 डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी टनकपुरः–

विश्वविद्यालय के सघटक संस्थान के रूप में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम इस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी टनकपुर की स्थापना सत्र 2013–14 में की गयी है। इस संस्थान में 2 पाठ्यक्रम (सिविल इंजी0 एवं मैकनिकल इंजी0) 60–60 की प्रवेश क्षमता के 120 सीट से कक्षायें सत्र 2016–17 से प्रारम्भ की जा चुकी हैं। इस संस्थान के प्रशासनिक भवन का लगभग 70 प्रतिशत का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें कक्षायें, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय संचालित हैं। इस संस्थान हेतु प्रथम वर्ष के 2 पाठ्यक्रमों का संचालन अपने स्वयं के भवन में ही हो रहा है। बाकी 30 प्रतिशत बचा हुआ कार्य गतिमान है जो शीघ्र ही पूर्ण होना सम्भावित है।

विश्वविद्यालय में किये गये महत्वपूर्ण कार्य

- **मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन धनराशि का वितरणः–**
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कम में उत्तराखण्ड के मेधावी छात्रों (आई0आइर्च0टी0/एन0आई0टी0/आई0आई0एम0 संस्थानों में चयनित) को ₹ 50000/– (प्रति छात्र) की दर से अब तक कुल 192 छात्र–छात्राओं को ₹ 96 लाख प्रोत्साहन धनराशि का वितरण किया जा चुका है। तथा अग्रेतर अन्य 93 छात्र–छात्राओं हेतु विश्वविद्यालय को शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। भविष्य में भी विश्वविद्यालय उक्त कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने को सहर्ष तैयार है।
- BOS की बैठकों का आयोजन एवं AICTE Model Curriculum का सत्र 2019–20 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का सचांलन।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से संबद्ध संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2019–20 में बी0फार्मा0 पाठय्क्रम के नवीन 08 संस्थानों में बी0 फार्मा कोर्स संचालित किया गया।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकापर्ण, शौर्य दिवार का अनावरण एवं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा Academia Industry forum की लॉचिग तथा Industrial Expo का आयोजन।

- माननीय मुख्यमंत्री सेवा योजना लॉच की गई जिसका आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा आई0आर0डी0टी0 देहरादून में किया गया।

विभागीय प्राथमिकताएं / योजनाएं

- छात्र–छात्राओं को उन्नत स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त रोजगार परक शिक्षा के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है।
- उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के निम्न लिखित संघटक संस्थानों में विधिवत् शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो रहा है। ताकि प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं को यथाशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके।
- **गॉवों का अंगीकरण व उनका विकास**– मा0 राज्यपाल महोदय की अपेक्षा अनुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के संघटक व सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रदेश के विभिन्न गॉवों को अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत किये गये गावों के सर्वांगिण विकास के लिए गावों में समय–समय पर स्कील डवल्पमेन्ट कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित कर कार्य किये जा रहें है तथा गांवों के लोगों को भी गॉवों के विकास में सहयोग दिये जाने हेतु जागरूक किया जा रहा है।
- माह अप्रैल 2020 को COVID-19 कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या की रोकथाम तथा बचाव करते हुए शैक्षणिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने के क्रम में ऑन लाईन कक्षाऐं सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जिसमें छात्र घर बैठे ही वेबिनार के माध्यम से अध्ययन कर पा रहे हैं।

18.5 संस्कृत शिक्षा (Sanskrit Education)

18.5.1 राज्य में संस्कृत शिक्षा की वर्तमान स्थिति–

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, इसका साहित्य अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है, इसका महत्व भाषा के रूप में नहीं अपितु इसमें वर्णित तथ्यात्मक ज्ञान से है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह एक ऐसी समृद्व भाषा है, जिसके ज्ञान से विश्व की किसी भी भाषा का ज्ञान सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। इसी शुभसंकल्प एवं उदात्त भावना से देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया है एवं राजकीय अधिसूचना दिनांक 07 जनवरी, 2010 द्वारा संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गयी।

उत्तराखण्ड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया है। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायताप्राप्त / मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित हैं राज्य के 6 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में से 2 उत्तर मध्यमा (इण्टरमीडिएट) स्तर एवं 4 पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) स्तर के हैं।

18.5.2 नामांकन (Admission): राज्य के उपरोक्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालयों में कक्षा–1 (प्रवेशिका प्रथम) से इण्टरमीडिएट स्तर (उत्तर मध्यमा) तक कुल 4571 छात्र / छात्रायें तथा

स्नातक (शास्त्री) से स्तानकोत्तर स्तर (आचार्य) तक कुल 2499 छात्र छात्रायें नामांकित है।

18.5.3 कार्यरत शिक्षक (Posted Teacher):– राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के 90 पद सृजित हैं।

18.5.4 संस्कृत शिक्षा के संवर्द्धन हेतु उठाये गये अन्य कदमः–

1. संस्कृत शिक्षा के संवर्धन एवं संस्कृत विद्यालयों को उच्च स्तर पर सम्बद्वता देने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की गई है।

2. संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है।

3. संस्कृत शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से राज्य में संस्कृत शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है, जिनके द्वारा प्रथम कक्षा से उत्तर मध्यमा (1–12) स्तर तक के पाठ्क्रम का निर्धारण एवं इस स्तर तक के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

4. राजकीय संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका (कक्षा–1) से उत्तर मध्यमा(इण्टर) स्तर तक के पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 20 लाख स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी मुद्रण की कार्यवाही गतिमान है।

संस्कृत विद्यालयों को उच्च स्तर पर सम्बद्वता देने एवं संस्कृत शिक्षा के संबर्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार की स्थापना की गई है। भारत की अमूल्य धरोहर संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्धेश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी क्रियाशील है।

अध्याय–19
स्वास्थ्य
Health

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19: एक दृष्टि में (दिनांक 18.01.2021 तक)

- प्रदेश में वर्तमान समय तक कुल 94923 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 89882 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 94.69 है।
- वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के 2136 सक्रिय मरीज है जिनका उपचार कोविड अस्पतालों/कोविड केयर सेन्टर/होम आइसोलेशन में हो रहा है। मृत्यु मामलों की संख्या 1617 तथा माइग्रेटेड मामलों की संख्या 1288 है।
- प्रदेश में वर्तमान समय में सैम्पल प्रति लाख 17909.8 तथा सैम्पल प्रति 10 लाख 179097.7 है।
- प्रदेश में गत एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिव केसेस के दोगुनी होने की दर लगभग 445 दिन है।
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोविड काल में नियुक्त मानव संसाधन का विवरणः– चिकित्सक–476 नियमित एवं 122 संविदा, स्टॉफ नर्स–113, फार्मासिस्ट–32, लैब टैक्नीशियन–23, एक्स–रे टैक्नीशियन– 4

वर्तमान में सरकारी चिकित्सालयों में आइसोलेशन बैड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बैड, आई0सी0यू0 एवं वेन्टिलेटर की स्थिति

S. No.		Dedicated Covid Hospital (DCH)		Dedicated Covid Health Centre (DCHC)		Dedicated Covid Care Centre (DCCC)		Private Hospital	
		Total	Occupied	Total	Occupied	Total	Occupied	Total	Occupied
1	आइसोलेशन बैड	1835	218	1723	136	27947	145	877	116
2	ऑक्सीजन सपोर्टेड बैड	1812	71	1723	39	-	-	877	42
3	आई0सी0यू0 बैड	576	80	260	15	-	-	278	40
4	वेन्टिलेटर	525	12	170	4	-	-	110	12

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

- उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 18.01.2021 तक) कुल Government Lab की संख्या 13, Private Lab की संख्या 15, True NAT Machines की संख्या 61 तथा कोविड–19 के लिए एम्बुलेन्स की संख्या 364 है।
- उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 18.01.2021 तक) कुल Oxygen cylinder की संख्या 9917, Oxygen concentrater की संख्या 1275 है।
- निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु भारत सरकार

द्वारा एवं दिल्ली के निजी चिकित्सालयों हेतु निर्धारित दरों के बराबर शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड/आयुष्मान भारत योजना के अन्तगत निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 के रोगियों का कैशलैश उपचार भी दिया जा रहा है।
- योजना के ऐसे लाभार्थी जिनका गोल्डन कार्ड नहीं बना है, उनका गोल्डन कार्ड कोविड–19 संक्रमण के उपचार के समय ही सूचीबद्ध अस्पतालो में बना दिया जा रहा है।

होम आइसोलेशन

- राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के लक्षणरहित रोगियों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिनको होम आइसोलेशन में रखकर निगरानी करते हुये उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदेश में कुल होम आइसोलेशन मामलों 29476 के सापेक्ष वर्तमान (दिनांक 18.01.2021 तक) में 1245 मरीज होम आइसोलेशन में है।

अन्य संसाधन एवं दवाओं की उपलब्धता

- राज्य के कोविड चिकित्सालयों में एन–95 मास्क, पी0पी0ई0 किट राज्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
- कोविड के उपचार हेतु Hydroxychloroquine tablets, कोविड चिकित्सालयों में 01 लाख से अधिक मात्रा में उपलब्धता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार से प्राप्त गाईड लाईन के अनुसार प्रदेश सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपचार हेतु आवश्यक औषधियों, उपकरण एवं अन्य सामाग्री जैसे पी0पी0ई0 किट, मास्क, ग्लव्ज, सेनिटाइजर इत्यादि की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति प्रत्येक चिकित्सालय को की गयी है।

प्रशिक्षण

प्रदेश में कोविड–19 के वर्तमान परिदृष्य को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालयों में आई0सी0यू0 एवं वैन्टीलेटर के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए प्रदेश में मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, टैक्नीशियन, आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी, ए0एन0एम0, पुलिस/एस0डी0आर0एफ, पी0आर0डी/होमगार्ड, होटल स्टाफ जी0एम0वीएन0/के0एम0वीएन0, स्वीपर/सफाईकर्मी व अन्य स्टाफ सम्मिलत है।

वैक्सीनेशन कार्यक्रम हेतु प्रारंभिक तैयारीः

कोविड 19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तैयारी के लिए निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली गई हैः–

- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में 04 State Level Steering Committee एवं सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 09 राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित की जा चुकी है।
- सभी 13 जिलों के जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर ली गई है। साथ ही ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी लगातार की जा रही है।
- भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के 2815 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान (100 प्रतिशत), 2204 प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों (98 प्रतिशत) से कुल 87588 हैल्थ

केयर वर्कर्स (HCWs) का डाटा जनपद स्तर पर संकलित किया जा चुका है।

- राज्य में प्रारम्भिक स्तर पर 20 प्रतिशत आबादी को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य के आधार पर कुल 40,511 टीकाकरण सत्रों का आयोजन करते हुए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कार्यरत 2118 ANM के माध्यम से किया जायेगा।

कोविड–19 वैक्सीन हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट का विवरण

राज्य में कोविड–19 वैक्सीन हेतु कुल 317 कोल्ड चेन प्वाइंट उपलब्ध है जो निम्नलिखित संरचना के अनुसार हैं:–

1.	SVS (स्टेट वैक्सीन स्टोर)	1
2.	RVS (रीजनल वैक्सीन स्टोर)	3
3.	DVS (जनपद वैक्सीन स्टोर)	13
4.	BVS (ब्लॉक वैक्सीन स्टोर)	26
5.	Peripheral CCPs (कोल्ड चेन प्वाइंट)	274

- समस्त जनपदों में कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु जनपद स्तर पर कोविड 19 वैक्सीन के भण्डारण एंव वितरण हेतु अतिरिक्त स्थान पहचान की जा चुकी है ।

- राज्य में वर्तमान में ILR (Ice Line Refrigerators), Deep Freezers, Walk in Cooler and Walk in Freezers की निम्नवत उपलब्धता है–

•	ILR (Ice Line Refrigerators)	483
•	Deep Freezers	547
•	Walk in Cooler	03
•	Walk in Freezers	02

उत्तराखण्ड में COVID-19 वैक्सीनेशन की अद्यतन स्थिति (दिनांक 18.01.2021 तक)

•	Total Planned Session Site	68
•	Total Number of Beneficiaries Vaccinated	4237
•	% Session Site Started	100%

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितिः– कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नही था। किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहें लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है।

19.1 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की स्वास्थ्य रिपोर्ट अनुसार वर्तमान समय में पुरूष जीवन प्रत्याशा दर 65.3 वर्ष तथा महिला जीवन प्रत्याशा दर 71.1 अनुमानित है।

19.2 सैम्पल रजिट्रेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्माण के पश्चात् स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से वृद्वि के कारण जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर infant mortality rate (IMR) में गिरावट हुई है। 2001 में जन्म दर 18.4 तथा मृत्यु दर 7.8 थी जो 2017 में घटकर 16.7 तथा मृत्यु दर 6.2 हो गयी।

19.3 शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2001 में 48 प्रति हजार जीवित जन्म थी जो कि वर्ष 2017 में घटकर 31 हो गई हैं। (स्रोत– SRS-May, 2019)

उत्तराखण्ड विजन 2030 के अन्तर्गत स्वास्थ क्षेत्र के मुख्य संकेतकों के परिकल्पित लक्ष्य तालिका 19.1 में हैं:

तालिका 19.1

Sl No	Item	2019-20 (Targets)	2019-20 (Achievement)
1	Reduction of MMR	182	99
2	Reduction of IMR	32	31
3	ANC-Ante Natal Care (% of pregnant womens aged 15-49 years who had atleast one ANC visit	83.5%	100%
4	SBA-Skill Birth attendant (% of delivery attended by skill health professionals	79.3%	90%

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.4 स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत 2735 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष वर्तमान में 2145 चिकित्सक विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत हैं। जबकि पूर्व के वर्षों में यह संख्या मात्र 1081 थी। कोविड़ 19 महामारी के नियंत्रण के लिए 763 चिकित्सकों की तैनाती हेतु चिकित्सा सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया हैं। उत्तराखण्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों का विवरण तालिका 19.2 में प्रस्तुत है।

तालिका 19.2
उत्तराखण्ड़ में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत समूह क,ख,ग, एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण

वर्ग/श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क	1325	624	701
ख	1993	1806	187
ग	9740	5705	4035
घ	616	265	351
योग	**13674**	**8400**	**5274**

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.5 चिकित्सा अवस्थापना– राज्य में लोगों को प्रभावी एवं सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए त्रिस्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। उत्तराखण्ड़ राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने तथा चिकित्सा इकाईयों में एकरूपता स्थापित किये जाने हेतु राज्य में स्थापित विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को आई0पी0एच0एस0 मानकानुसार स्थापित किया गया हैं। उत्तराखण्ड़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिबंधक, प्रोत्साहन एवं पुनर्वास जैसी सेवाएं, 13 जिला चिकित्सालयों, 21 उप जिला चिकित्सालय,

80 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–बी, 526 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–ए, 23 अन्य चिकित्सा इकाईयॉ तथा 1897 उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। दून हास्पिटल व कतिपय अन्य स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल कालेज के अधीन आने के कारण वर्तमान में राज्य में उपरोक्त चिकित्सा सुविधायें विद्यमान है। राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरणों, मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की संख्या बढ़ाकर वर्तमान ढॉचे को सुदृढ़ कर रही हैं।

- उत्तराखण्ड़ में सरकारी चिकित्सालयों पर भर्ती रोगियों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया तथा इस सुविधा के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद स्तर पर रक्त कोष स्थापित कर दिये गये हैं। इस योजना को सरल बनाने के लिए सभी रक्त कोष ई–रक्त कोष प्रणाली से जोड़ दिये गये हैं। यह राज्य सरकार की विजन 2030 के अन्तर्गत समय से पूर्व प्राप्त की गयी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं।

- सरकार द्वारा दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए टेली मेडिसिन एवं टेली रेडियोलॉजी सेवाओं को देना प्रारम्भ कर दिया हैं। वर्तमान में यह सुविधा राज्य के प्रमुख चिकित्सालयों एवं चिन्हित चिकित्सा इकाईयों पर दी जा रही हैं।

- जनसामान्य की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑन लाईन रोगी रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अब रोगी को घर बैठे ही चिकित्सक का Appointment प्राप्त हो सकेगा और उन्हें लाईन में लगकर इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों में रोगियों को प्राप्त होने वाले उपचार एवं जन शिकायतों की सतत् निगरानी हेतु प्रत्येक प्रमुख चिकित्सालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी के डैश बोर्ड से ऑन लाईन जोड़ा गया हैं जिसके फलस्वरूप चिकित्सा सेवाओं की निरन्तर निगरानी होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा।

19.6 उत्तराखण्ड में वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निम्न तालिका 19.3 तैयार की गयी है।

तालिका 19.3
उत्तराखण्ड में वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	578
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	79
जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों की संख्या	57
प्रति लाख जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या	83

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.7 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड़ राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट निरन्तर बढ़ाती रही हैं वर्ष 2018–19 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान ₹ 181147.61 लाख था, जो कि 2019–20 में ₹ 186609.10 लाख एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 176383.36 लाख हो गया हैं।

तालिका 19.4

उत्तराखण्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–(एलोपैथी) हेतु अनुमोदित परिव्यय, अवमुक्त धनराशि तथा उपयोग की गयी धनराशि का विवरण

(लाख ₹ में)

क्र0 सं0	सैक्टर	वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित परिव्यय	वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर तक के अन्त तक अवमुक्त धनराशि	31.12.2020 तक उपयोग की गयी धनराशि
1	राज्य सैक्टर योजनायें	114964.05	107627.61	72790.67
2	केन्द्र पोषित योजनायें	55419.31	52971.31	46494.06
3	वाह्य सहायतित योजनायें	6000.00	3450.00	3450.00
महायोग		**176383.36**	**164048.92**	**122734.73**

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM):– वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

19.8.1 राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमः– वर्ष 2020 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 145833 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मलेरिया के 15 केस रिपोर्ट हुये है।

19.8.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर दिसम्बर, 2020 में घटकर 0.18 प्रति दस हजार रह गई है। 2020–21 के दौरान (दिसम्बर, 2020 तक) 175 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 225 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 208 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

19.8.3 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम):– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 04 क्षय रोग चिकित्सालय, 13 जिला क्षय रोग केन्द्र / क्लीनिक, 95 क्षयरोग यूनिट और 153 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें 545 शैय्यायें हैं। वर्ष 2020 में 19763 क्षय रोगियों को नोटिफाई किया गया है तथा 61152 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2020 में अधिसूचना लक्ष्य दर 275 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष मात्र 170 प्रति लाख प्रति वर्ष की सूचना प्राप्त हुई है।

19.8.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य

कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 2511 बन्ध्याकरण, 22833 लूप निवेश और ओ.पी व सी. सी. (Oral Pills and Contraceptive Condom) प्रयोगकर्ता क्रमशः 9271 व 9101 हैं।

19.8.5 टीकाकरण कार्यक्रमः– वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका 19.5 में प्रदर्शित है:–

तालिका 19.5

वर्ष 2020–21

क्र.सं.	मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह दिसम्बर, 2020 तक	प्रतिशत
1	टी0टी0 (गर्भवती मातायें)	204393	112661	55.1 %
2	पोलियो	183008	124661	68.1 %
3	पेटावेलेंट	183008	125020	68.3 %
4	बी0सी0जी0	183008	128916	70.44 %
5	हैपाटाइटस–बी	183008	76265	41.6 %
6	मीजिल्स रूबेला	183008	136796	74.7 %

*HMIS माह दिसम्बर, 2020 तक 66.6 प्रतिशत किया जाना था।

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

इलैक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटैलिजैंस नेटवर्क (eVIN):- प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वैक्सीन के ऑन लाईन रख–रखाव हेतु यू.एन.डी.पी. के सहयोग से भारत सरकार द्वारा electronic vaccine intelligence Network (eVIN) तकनीकी प्रणाली राज्य में लागू की गयी है। इस प्रणाली के तहत मोबाईल फोन के माध्यम से वैक्सीन का स्टाक डिजिटलाईजेशन किया गया है, जिसमें राज्य के समस्त 317 वैक्सीन केन्द्रों का भण्डारण नियत्रंण कर वैक्सीन के भण्डारण और प्रवाह पर वास्तविक समय और भण्डारण तापमान की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

19.8.6 रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः– प्रदेश में 46 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 28 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। दिसम्बर 2020 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 93784 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 74 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 570 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

19.8.7. कैंसर, मधुमेह, ह्रदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS):– वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक) में जिला वैलनेस सेन्टर में 299574 व्यक्तियों को ओ0पी0डी0 की सेवाएं प्रदान की गयी, जिनमें से 27259 मधुमेह, 38328 उच्च रक्तचाप रोग से पीड़ित रोगी पाये गये। जिनको उपचार, परामर्श एवं संदर्भण की सुविधा प्रदान की गयी। 2999 रोगियों को फिजियोथेरेपी की सुविधा दी गयी।

19.8.8. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन एन0सी0डी0 (गैर संचारी रोग):– राज्य के समस्त 13 जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है। जनपदों में

समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 एवं आशा कार्यकत्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकत्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात् उन्हें स्क्रीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर लाया जाता है। वर्तमान में (दिसम्बर 2020 तक) आशा कार्यकत्रियों द्वारा 340514 CBAC प्रपत्र भरे गये हैं तथा 299574 व्यक्तियों को स्क्रीनिंग हेतु Health & Wellness Centre पर लाया गया है, जहॉ MLHP द्वारा गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्क्रीनिंग में 38328 उच्च रक्तचाप, 27259 मधुमेह, 1096 मुँह के कैंसर के रोग से ग्रसित व्यक्ति पाये गये, जिन्हें उपचार हेतु उच्च चिकित्सा इकाई पर संदर्भित किया गया।

19.8.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर 2020 तक) जिरिएट्रिक क्लीनिक में 42364 वृद्ध नागरिकों को ओ0पी0डी0 सेवायें प्रदान की गयी।

19.8.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– वर्ष 2018–19 में राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में डेन्टल यूनिटस् का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर 2020 तक) समस्त जनपदों की एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डेंटल यूनिट का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2019 तक 11508 रोगियों को दन्त एवं मुख से सम्बन्धित रोगों का उपचार प्रदान किया गया है।

19.8.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)– राज्य के समस्त 13 जनपदों से कुल–22 चिकित्सकों को NIMHANS, Bangalore के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जनपद में एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ (कुल–60) को AIIMS Rishikesh में NIMHANS, Bangalore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15 नये चिकित्सकों को AIIMS Rishikesh एवं NIMHANS, Bangalore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सकों द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर 2020 तक) 6465 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी हैं।

19.8.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):– वित्तीय वर्ष 2020–21 में (दिसम्बर 2020 तक) 4444 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 60 व्यक्तियों के बद्धिरता हेतु सर्जरी की गयी।

19.8.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):– वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) में मोतियाबिन्द आपरेशन के लक्ष्य 40973 के सापेक्ष 14529 आपरेशन किये जा चुके हैं। निःशुल्क चश्मा वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 373 व वृद्ध लागों को 1848 चश्मे वितरित किये गये हैं।

19.8.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2015 में जनपद टिहरी गढ़वाल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया तथा वर्ष 2018 में मसूरी शहर को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अध्यादेश 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को राज्य में E-Cigarette को प्रतिबन्धित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) कोटपा, 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 1302 व्यक्तियों का चालान किया गया है, जिसमें ₹ 137210 की धनराशि वसूल की गयी। इसके अतिक्ति तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र में धूम्रपान की लत से छुटकारा दिलाने हेतु कुल 4406 व्यक्तियों को परामर्श प्रदान किया गया तथा 799 व्यक्तियों को निकोटेक्स च्विंगम वितरित की गयी।

19.8.15 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमः

राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलेसिस की सुविधा प्रदान कराने के उददेश्य से कोरोनेशन चिकित्सालय देहरादून एवं बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में वर्ष 2017 में संचालित दो डायलेसिस केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य के 06 जनपदों में वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 07 नये डायलेसिस केन्द्रों (मेला चिकित्सालय हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ एवं जिला चिकित्सालय उधमसिंहनगर) की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 (दिसम्बर तक) कुल–1056 रोगियों को डायलेसिस की सूविधा प्रदान की गयी। कुल–47485 डायलेसिस सेशन किये गये हैं।

हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर (Health and Wellness Center)

आयुष्मान भारत के कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सैन्टर में उच्चीकरण किया जाना है, जिस हेतु प्रत्येक हैल्थ एण्ड वैलनेस सैन्टर में एक मिड लेवल हैल्थ प्रोवाईडर (CHO- Community Health Officer) एवं टीम द्वारा निम्न 12 कोम्प्रहेन्सिव प्राइमरी हैल्थ केयर प्रदान किया जाना है।

1. डिलिवरी पॉइंट्स पर व्यापक मातृ स्वास्थ्य एवं देखभाल प्रदान किया जाना है।
2. व्यापक नवजात शिशु और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं।
3. व्यापक बाल और किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवाएं।
4. व्यापक परिवार नियोजन सेवाएं ।
5. व्यापक प्रजन्न स्वास्थ्य संवाएं।
6. संक्रमणीय बीमारियों का व्यापक प्रबंधन।
7. गैर–संक्रमणीय बीमारियों की जॉच एवं व्यापक प्रबंधन।
8. बेसिक नेत्र चिकित्सा की सेवाएं।
9. बेसिक ई0एन0टी0 की सेवाएं।
10. मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जॉच एवं व्यापक प्रबंधन।
11. बेसिक दंत स्वास्थ्य सेवाएं।
12. बेसिक जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाएं।

भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में उच्चीकरण किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर को तैनात किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 13 जनपदों में कुल 441 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटरों का उच्चीकरण सम्पन्न किया गया है, एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 886 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटरों को स्थापित किया जाना है। दिसम्बर 2020 तक कुल 600 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर का उच्चीकरण सम्पन्न कर दिया गया है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1847 उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सैन्टर के रूप में वर्ष 2022–23 तक उच्चीकृत करने की प्रक्रिया गतिशील है। दिसम्बर 2020 तक कुल 307 मिड लेवल हैल्थ प्रोवाईडर (CHO- Community Health Officer) कार्यरत है एवं 400 CHO की नियुक्ति का कार्य गतिमान है। वर्तमान में उपरोक्त 12 सर्विसेज में से क्रम सं0 01 से 07 तक की सर्विसेज प्रदान की जा रही है। शेष सर्विसेज वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ की जानी है।

19.9.1 आशा कार्यक्रमः– वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्री कार्यरत है। आशा सर्पोट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है।

19.9.2 वी0एच0एस0एन0सी0ः– राज्य के अन्तर्गत 14648 वी0एच0एस0एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्य रखे गये है। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री को बनाया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते है तथा समुदाय एवं जरूरतमंद लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 संक्रमण के दौरान वी0एच0एस0एन0सी0 (Village, Health, Sanitation and Nutrition Committee) के अन्तर्गत अनटाइड धनराशि से समिति के सदस्यों के द्वारा गांव के जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया गया।

कम्यूनिटी एक्शन फॉर हेल्थः– स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक प्रयास राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक प्रमुख रणनीति है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति समुदाय की सक्रियता और भागीदारी को बढाना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से समुदाय और सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच होती है। जिससे उनकी कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़े। राज्य के अन्तर्गत समस्त जनपदों में कम्यूनिटी एक्शन हेल्थ कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे समस्त कार्यक्रमों से लिए गये प्रश्नों को संकलित करने के उपरान्त राज्य स्तर पर तैयार किये गये Community enquire Toolkit के माध्यम से समस्त जनपदों के विकासखण्डों में वर्चुअल जनसंवाद आयोजित कराये जाने हेतु सामुदायिक पूछताछ की प्रक्रिया गतिमान है। विगत वर्षों में सम्पादित किये गये जनसंवाद के उपरान्त निम्न फायदे हुए है।

- स्वास्थ्य अधिकार, सरकारी सेवाओं और योजनाओं के बारे मे जागरूकता व उनके उपयोग में वृद्वि।
- सेवाओं की समुदाय में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार।

19.10 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)– नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 36 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेश सेन्टर (27 यू0पी0एच0सी0 पी0पी0पी0 मोड,एवं 09 गवर्नमेंट मोड) निम्नलिखित स्थानों पर 01 जून 2019 से संचालित किए गए हैं–

तालिका 19.6
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का संचालन केन्द्र

क्र. सं.	शहर	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) राज्य के 36 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित किया गया है–
1	देहरादून	1. नाला पानी (डी0एल0 रोड) 2. भगत सिंह कॉलोनी 3. खुरबुरा 4. दीपनगर 5. बकरावाला 6. चूना भट्टा (अधोईवाला) 7. गोंधीग्राम 8. जाखन/काठबंगला 9. कारगी 10. माजरा 11. रीठा मंण्डी 12. सीमाद्वार
2	हरिद्वार	1. ज्वालापुर–1, 2. ज्वालापुर–2, 3. टिबडी 4. कनखल 5. भुपतवाला 6. रामधाम कालोनी
3	रूडकी	1. आदर्शनगर (सोलानिपुरम) 2 चन्द्रपुरी 3.गणेशपुर 4.माहिग्राम 5.पुरानी तहसील 6. सेलमपुर ।
4	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3.सैनी बाजार 4.वनभुलपुरा।
5	रामनगर	1.रामनगर
6	रूद्रपुर	1.टी0 कैम्प 2. रामपुरा 3. खेरा
7	काशीपुर	1.महेशपुरा 2. अली खान
8	जसपुर	1.जसपुर
9	कोटद्वार	1.रतनपुर

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक कुल यू0पी0एच0सी0 (Urban Primary Health Centre) की संख्या 36, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 263933, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 (Ante Natal Care) की कुल संख्या 14694, कुल जॉच पड़ताल की संख्या 34621, तथा यू0एच0एन0डी0 (Urban Health and Nutrition Day) की कुल संख्या 2655 हैं।

19.11 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः– राज्य के सभी 13 जनपदों में 139 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत हिमालयन हॉस्पीटल ट्रस्ट, जौली ग्रान्ट, फॉर्टिस हॉस्पीटल एवं मंहत इन्द्रेश हॉस्पीटल ट्रस्ट, देहरादून, एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेश में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 माह नवम्बर तक 10 बच्चों के दिल का आपरेशन, 28 बच्चों का न्यूरल टयूब डिफेक्ट, 6 बच्चों को

कानों की मशीन, 1 बच्चें को आंखों से सम्बन्धित उपकरण एवं 4 बच्चों को अन्य शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराते हुये कुल 49 बच्चों को शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी, इसमें cure international द्वारा 22 बच्चों को उपलब्ध करायी गयी सुविधा भी सम्मिलित है।

तालिका 19.7

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) की प्रगति माह दिसम्बर, 2020

संस्था	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1139555	24820	2
आंगनबाड़ी केन्द्र	1616734	60017	4
योग	**2756289**	**84837**	**3**

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.12 राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएंः–

19.12.1 निजी लोक सहभागिता (Public Private Partnership,PPP):– राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित हैं–

19.12.2 नैफ्रोडायलिसिस यूनिटः– राज्य में 02 चिकित्सालयों (पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून व बेस चिकित्सालय हल्द्वानी) में नैफ्रोडायलिसिस यूनिट मार्च,2017 से नये अनुबन्ध के अन्तर्गत संचालित हो रही हैं। अनुबन्ध के अनुसार बी0पी0एल0 व एच0 आई0वी0के मरीजों को मुफ्त डायलेसिस उपलब्ध करायी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में दोनों चिकित्सालयों में कुल 33,591 डायलेसिस की जा चुकी हैं, जिसमें 18,567 बी0पी0एल0 मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ हैं।

19.12.3 कार्डियक केयर यूनिटः– राज्य के 02 चिकित्सालयों (पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून व एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर) में कार्डियक केयर यूनिट संचालन किया जा रहा हैं। बी0पी0एल0 मरीजों को सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

- पं0 दीन दयालय उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून में कार्डियक सर्जरी भी की जाती हैं, उक्त यूनिट में वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ओ0पी0डी0 12,313 तथा सर्जरी 79 की जा चुकी हैं।
- एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर में कार्डियक सुविधायें प्रदान की जा रही है। उक्त यूनिट का संचालन दिनांक 22 नवम्बर, 2018 से किया जा रहा हैं। उक्त यूनिट में संचालन की तिथि से कुल ओ0पी0डी0 495 की जा चुकी है।

19.12.4 108 आपातकालीन सेवाः– राज्य के जनमानस को 108 आपातकालीन एम्बुलेंन्स सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा के माध्यम से नवीन कार्यदायी संस्था कम्यूनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल द्वारा दिनांक 01 मई, 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 139 एम्बुलेंन्स तथा 01 बोट एम्बुलेंन्स संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 79,967 लाभार्थियों को 108 आपातकालीन सेवा का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

19.12.5 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपकेन्द्रः–

- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खाती, जनपद बागेश्वर को प्रो–बोनो आधार पर "द हंस फाउण्डेशन" को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
- राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय धनौल्टी को प्रो–बोनो आधार पर एम्स– ऋषिकेश को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– रायवाला तथा थानो को भी प्रो–बोनो आधार पर एम्स– ऋषिकेश को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

उप केन्द्र रामनगर डाण्डा जनपद देहरादून को भी प्रो–बोनो आधार पर एम्स–ऋषिकेश को हस्तान्तरित कर दिया गया एवं उनके द्वारा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

19.12.6 राज्य व्याधि सहायता निधि योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 से उत्तराखण्ड़ अटल आयुष्मान योजना में समाहित कर ली गयी है।

19.12.7 रैन बसेराः– जिला चिकित्सालयों/बेस चिकित्सालयों/संयुक्त चिकित्सालयों के द्वारा रैफर किये गये रोगियों को प्रदेश से बाहर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान, सफदरगंज चिकित्सालय, जी0बी0पन्त चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने हेतु उनके साथ उनके तीमारदारों को उचित ठहरने की व्यवस्था के अन्तर्गत 2007 से नवम्बर, 2020 तक 7929 तीमारदार/रोगी योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

19.13 स्वास्थ्य बीमा योजनाः– राज्य में निम्न बीमा योजना संचालित की जा रही हैंः–

19.13.1 अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना की महत्वपूर्ण जानकारीः–

योजना का संक्षिप्त विवरण

- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को बीमारी के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹ 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार (भर्ती होने की दशा में) उपलब्ध कराया जा रहा है।
- दिनांक 01 जनवरी 2021 से उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु भी "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" संचालित है जिसके अंतर्गत असीमित प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या को इस योजना में शामिल करते हुए 'Universal Health Coverage' प्रदान की है।

गोल्डन कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था

- लाभार्थियों के E-Card (Golden Card)/गोल्डन कार्ड/आयुष्मान कार्ड जन सुविधा केंद्रों (Common Service Centres) तथा सूचीबद्ध अस्पतालों में 'आरोग्य मित्र' द्वारा निम्न डेटा बेस (Data Base) के आधार पर बनाए जाते हैंः–

  NFSA राशन कार्ड डेटा बेस– 23 लाख परिवार

  MSBY कार्ड डेटा बेस– 12 लाख परिवार

  SECC/SECC Plus डेटा बेस– 20 लाख परिवार

लाभार्थी परिवार का नाम डेटा बेस में उपलब्ध होने पर Family ID (राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर की

कॉपी) तथा Individual ID की आवश्यकता होती है। बायोमेट्रिक हेतु आधार कार्ड आवश्यक है।

- राशन कार्ड (या परिवार रजिस्टर की नकल) फैमिली आई0डी0 के रूप में उपलब्ध न होने पर व्यक्तिगत आईडी यथा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई सरकारी आईडी जिसमें लाभार्थी के माता/पिता/पति/ पत्नी का नाम हो तथा उसका मिलान NFSA, MSBY तथा SECC डेटाबेस से हो जाता है, उस दशा में बिना राशन कार्ड (या परिवार रजिस्टर की नकल) के भी गोल्डन कार्ड बनाये जा सकते हैं।
- डेटा बेस में उपलब्ध प्रदेश के लगभग 25 लाख परिवारों में से ESI, ECHS तथा CGHS के लगभग 06 लाख परिवारों को छोड़कर 19 लाख परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं। 19 लाख परिवारों में से, जिनमें 03 लाख परिवार राजकीय सेवक/पेंशनर के सम्मिलित हैं, के सापेक्ष कुल 17.25 लाख परिवारों (कम से कम एक सदस्य) के 41 लाख गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं।
- प्रदेश में योजना के आरम्भ से अभी तक 41 लाख पात्र लाभार्थियों (15 लाख परिवारों के सदस्य) द्वारा विभिन्न जनपदों में गोल्डन कार्ड बना लिये गये हैं।
- राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नियमानुसार चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 18 नवम्बर 2020 से SGHS गोल्डन कार्ड बनाए जाने का कार्य वर्तमान तक गतिमान है। अब तक 2.70 लाख राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों द्वारा गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं।

गोल्डन कार्ड बनाये जाने में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान

- प्रदेश के 80 प्रतिशत परिवारों के एक या एक से अधिक सदस्यों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। NHA के अनुसार SECC डेटा बेस के कुल परिवारों में से 80% परिवारों के गोल्डन कार्ड बना कर अधिकतम परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाने में उत्तराखंड राज्य का केरल प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है।

गोल्डन कार्ड बनाये जाने में उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से कई गुना आगे

- सम्पूर्ण देश में 12 करोड़ गोल्डन कार्ड बने हैं। उत्तराखंड में 41 लाख कार्ड बने हैं। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 1 प्रतिशत है। अतः इस दृष्टि से प्रदेश में बने कार्ड राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।
- इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में 5 करोड़ परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में 16 लाख परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में परिवारों की संख्या देश के कुल परिवारों की संख्या का 1 प्रतिशत है। इस दृष्टि से प्रदेश में आच्छादित परिवार राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।

चिकित्सालयों में उपचार व्यवस्था

- नवताज शिशुओं को उनकी माँ के गोल्डन कार्ड पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- राज्य के बाहर इलाज कराने हेतु नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा अब आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के समस्त पात्र लाभार्थियों हेतु अनुमन्य है।

- अस्पताल में भर्ती होने के लिए "आरोग्य मित्र" के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों को उपचार सुविधा

- लाभार्थियों को 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर के रूप में अस्पताल में भर्ती होने पर अथवा (डे केयर पैकेज के लिए) Cashless चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वहीं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों हेतु असीमित चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियो के लिए 1578 पैकेज निर्धारित हैं।
- यदि इन 1578 पैकेज के अतिरिक्त अन्य कोई बीमारी है तो उसके लिए 1.0 लाख रूपये की सीमा तक Unspecified Package का भी प्राविधान है, साथ ही राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों हेतु Unspecified Package की कोई सीमा नहीं है।
- पैकेज के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक की दवाइयों सहित भर्ती के दौरान अस्पताल के सभी उपचार संबंधी खर्चे (रोगी के भोजन सहित) सम्मिलित हैं।

योजना के अंतर्गत रोगियों को उपचार प्रदान करवाने में राज्य की उपलब्धियाँ

- अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 2 लाख 28 हजार रोगियों का विभिन्न बीमारियों के लिए निशुल्क इलाज संपन्न हुआ है, जिसमें से 241.45 करोड़ रुपये की धनराशि निहित है।
- यह योजना 15 हजार से अधिक लाभार्थियों के लिए जीवन दायिनी साबित हुयी है। जिसमें हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, किडनी फेलियोर, कैन्सर, बर्न, एक्सिडेन्टल केस आदि का उपचार कराकर रोगियों की जीवन रक्षा का कार्य किया गया है।
- 54589 लाभार्थियों को मेडिकल पैकेज जैसे हाइपरटेन्शन, पैन्क्रियेटाइटिस, एन्ट्रिक फीवर, एक्यूट फ्रेबराइल इलनेस, मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, डीसेन्ट्री, ऐनीमिया, निमोनिया, साँस सम्बन्धी बीमारियां, आदि का उपचार उपलब्ध कराया गया है।
- 13299 लाभार्थियों को शल्य चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इसमें हार्निया, एपेन्डीसाइटीस, पथरी, कटे होठो का उपचार, सिश्ट, हाइड्रोसील, आदि की शल्य चिकित्सा की गयी है।
- 4881 हृदय रोगियों को स्टेंट, एन्जियोप्लास्टी, वाल्व रिपलेस्मेन्ट, पेस मेकर तथा बॉइ पास सर्जरी का उपचार किया गया है।
- 2330 रोगियों को न्यूरो सर्जरी में ब्रेन ट्यूमर, क्रेनियोप्लास्टी, स्पाइनल रोग आदि का उपचार दिया गया है।
- 2836 गुर्दा रोग से ग्रसित रोगियों को 01 लाख से भी अधिक बार डायलिसिस की सुविधा ने रोगियों की जीवन रक्षा की है।
- 14385 कैन्सर रोगियों के लिए यह योजना जीवन दायिनी साबित हुयी है। इसमें रोगियों को कीमोथैरेपी, रेडियोथैरेपी, कैन्सर सर्जरी, बोन ट्यूमर, स्किन ट्यूमर आदि का उपचार किया गया है।
- 7918 हडडी रोग से ग्रसित लाभार्थियों को कूल्हा एवं घुटना रिप्लेसमेन्ट, एम्प्यूटेशन, फ्रेक्चर, स्पाइन फिक्शेसन आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

- 5960 महिला रोगियों को सिजेरियन डिलीवरी, हिस्ट्रेक्टोमी, लैपरोटोमी, ट्यूबोप्लास्टी, आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर रोग का निदान किया गया है।
- 4569 रोगियों को यूरोलोजी की विभिन्न बीमारियों से निजात दिलायी गयी है।
- 266 रोगियों को बर्न केसेस में उपचार की सुविधा दी गयी है।

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का दिनांक 01 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक की उपलब्धि–

- योजना के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2021 से मात्र 18 दिनों में कुल 308 लाभार्थियों का विभिन्न बीमारियों के लिए निशुल्क इलाज संपन्न हुआ है, जिसमें 57 लाख 87 हजार रुपये की धनराशि निहित है।
- योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम राज्य के हंस फाउंडेशन जनरल चिकित्सालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल द्वारा किया गया।

अस्पतालों में क्लेम भुगतान में उत्तराखंड देश में प्रथम

सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी अस्पतालों द्वारा भुगतान हेतु 2 लाख 21 हजार क्लेम फाइल किये गये। इनमें से 2 लाख 19 हजार क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। अस्पतालों के साथ हुए अनुबंध के अनुसार 15 दिन में क्लेम के भुगतान का प्राविधान है। जबकि SHA द्वारा 7 दिनों के भीतर क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। 2 लाख 21 हजार में से केवल 1041 क्लेम ऐसे हैं जो जांच में होने के कारण 7 दिनों से अधिक अवधि से भुगतान हेतु लंबित है।

अस्पतालों को क्लेम की धनराशि का भुगतान करने की दृष्टि से उत्तराखंड संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है।

Daily Quick Audit System (DQAS)

- क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) द्वारा प्री–ऑथोराइजेशन / क्लेम प्रोसेसिंग के कार्यों में Review/Monitoring, अस्पतालों द्वारा किए गए क्लेम्स् के परीक्षण तथा क्लेम्स् के प्रतिदिन भुगतान को सुनिश्चित किए जाने हेतु DQAS विकसित किया गया है।
- DQAS से न केवल योजना के Misuse/Abuse पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है, वरन् इससे ISA की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार एवं अस्पतालों के क्लेम्स् के त्वरित भुगतान की व्यवस्था भी विकसित हुई है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना / अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु सम्मिलित कोविड टेस्ट एवं पैकेज

- योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को कोविड महामारी के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में ईलाज हेतु कोविड टेस्ट एवं कोविड पैकेज सम्मिलित किये गए जिससे लाभार्थी परिवार कोविड महामारी के इस दौर में वांछित चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे।

उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 12.5 करोड़ डॉलर है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 10 करोड़ डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 2.5 करोड़ डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है।

वर्तमान में प्रदेश में सामान्य चिकित्सकों के 48 प्रतिशत तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 76 प्रतिशत पद रिक्त है जबकि सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता एवं आकर्षक वेतन दिये जाने की उदार नीति भी लागू है परन्तु फिर भी चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी निरन्तर बनी हुई है। इसी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना की कार्य योजना निम्न प्रकार तैयार की गई है।

घटक–1 उपघटक 1.1 प्रदेश के पर्वतीय तथा असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध कराना–

इस उपघटक में चिन्हित जनपदों में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों 1–सी0एच0सी0 बेलेश्वर, 2–सी0एच0सी0 देवप्रयाग तथा जिला चिकित्सालय, बौराड़ी को एक समूह का संचालन हेतु हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रान्ट के सहयोग से मार्च/अप्रैल, 2019 से शुरू किया गया है। उक्त समूह में विशेषज्ञ चिकित्सकों को संदर्भण हेतु मोबाईल हैल्थ वैन को भी समूह का एक हिस्सा बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत सेवाएं देने का प्राविधान इस परियोजना में है। जिसके अंतर्गत दो क्लस्टर 1–SDH Ram Nagar, CHC Bhikiyasen & CHC Beeronkhal, 2–DH/FH/Pauri, CHC Pabau & CHC Ghandiyal पर कार्यवाही गतिमान है।

SDH Ramnagar को माह जुलाई 2020 से क्रियाशील किया जा चुका है। पौड़ी क्लस्टर का हस्तान्तरण कार्य गतिमान है तथा उक्त क्लस्टर को माह जनवरी 2021 से क्रियाशील किया जाना है।

घटक–1 उपघटक 1.2 प्राथमिक उपचार को स्वास्थ्य बीमा के अनुरूप संचालित करना–

इस उपघटक के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा उपचार आच्छादन का विस्तार करते हुये किशोर स्वास्थ्य एवं प्राथमिक देखभाल स्तर पर गैर संचारी रोगों आदि के केस प्रबन्धन एवं निजी/सरकारी स्वास्थ्य प्रदाताओं से स्वास्थ्य देखभाल करने हेतु राज्य में संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के सहयोग से किया जायेगा। चूंकि इस अवयव में कल्पित/लक्षित बाल स्वास्थ्य एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ के उद्देश्यों की पूर्ति अन्य कार्यक्रमों यथा अटल आयुष्मान योजना RBSK एवं NCD हैल्थ – वैलनेस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। अतः इस उपघटक को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

घटक–2 स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण–

1. NABH- इस घटक के अन्तर्गत चयनित 05 जनपदीय स्तर चिकित्सालयों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग और जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये उपरोक्त अस्पतालों को NABH स्तरीय मानकों तक लाने के लिये Gap Assessment पूर्ण कर लिया गया है।

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation तक पहुँचाने के लिये Turn Key Basis पर कार्य गतिमान है।

2. ट्रेनिंग नीड एसेसमेन्ट पूर्ण किया गया। इस क्रम में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण गतिमान है।

3. कम्यूनिकेशन कार्ययोजना पूर्ण कर विश्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया एवं संस्था के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

तलिका 19.8
जिला चिकित्सालय बौराड़ी, टिहरी में पी0पी0पी0 मोड से पूर्व तथा पश्चात् बाह्य एवं अन्तः रोगी सुविधाओं में वृद्धि

DH Indicators: Comparison of OPD, IPD & Emergency in the year 2018 v/s 2019 v/s 2020

OPD			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	9639	5963	6411
February	8573	6340	8574
March	10061	5887	5569
April	8936	6552	368
May	10848	8880	4442
June	10376	9418	4438
July	10676	12273	6562
August	11247	12797	6603
September	11304	13108	5359
October	8743	8559	6519
November	7596	8404	6277
December	7859	7541	

IPD			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	410	224	357
February	414	197	397
March	470	346	211
April	523	214	29
May	573	292	235
June	544	416	185
July	521	417	353
August	511	480	371
September	480	500	223
October	315	390	272
November	271	285	375
December	353	297	

Emergency			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	168	151	440
February	214	117	601
March	228	478	798
April	258	849	120
May	325	849	490
June	237	704	406
July	269	710	588
August	287	900	694
September	250	878	480
October	183	882	560
November	155	647	551
December	205	452	

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

तलिका 19.9
जिला चिकित्सालय बौराड़ी, टिहरी में पी0पी0पी0 मोड से पूर्व तथा पश्चात् प्रसव सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि

DH Indicators: Comparison of Institutional Delivery, C- section & USG Services

Total Institutional deliveries			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	46	48	65
February	44	27	52
March	37	26	38
April	26	27	0
May	29	38	31
June	34	39	29
July	57	51	75
August	59	52	72
September	46	45	29
October	37	47	31
November	53	37	64
December	43	44	

LSCS			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	0	0	4
February	0	0	4
March	0	0	3
April	0	0	0
May	1	5	5
June	0	3	5
July	0	3	17
August	0	8	20
September	1	9	4
October	0	5	4
November	0	8	11
December	2	2	

Ultrasound			
Month	Year 2018	Year 2019	Year 2020
January	303	21	559
February	389	192	613
March	423	527	410
April	250	670	81
May	591	558	542
June	537	883	580
July	511	980	722
August	595	916	629
September	410	773	569
October	414	640	534
November	452	0	472
December	251	156	

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

तलिका 19.10

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर एवं देवप्रयाग, जनपद टिहरी में पी0पी0पी0 मोड से पूर्व तथा पश्चात् स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि

Status of CHC Beleshwar

CHC Beleswar	2018-19 (Before PPP)	2019-20 (After PPP)	2020-21 (April – November)
OPD	16645	19529	12125
IPD	867	1082	831
Total Surgery	0	10	100
Normal Delivery	318	128	134
LSCS	0	0	13
LAB Test	17186	30770	25205
USG	0	485	929
ECG	0	242	205

Status of CHC Devprayag

CHC Devprayag	2018-19 (Before PPP)	2019-20 (After PPP)	2020-21 (April – November)
OPD	5604	12953	5897
IPD	394	1059	460
Total Surgery	0	52	100
Normal Delivery	80	117	71
LSCS	0	16	17
LAB Test	0	14471	12340
USG	0	40	112
ECG	10	92	98

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

तलिका 19.11

संयुक्त चिकित्सालय रामनगर, जनपद नैनीताल में पी0पी0पी0 मोड से पूर्व तथा पश्चात् स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि

Ramnagar Cluster Performance

Comparison of Indicators of SDH Ramnagar

Sl. No.	Indicators	Pre-PPP (July to Nov 2019)	Post PPP during COVID-19 phase (July to November 2020)
1.	OPD	73848	36465
2.	IPD	4137	1449
3.	Lab test	20568	16046
4.	Minor Surgery	75	335
5.	Major Surgery	26	225
6.	Normal Delivery	288	308
7.	C section	0	137
8.	X-Ray	1424	2500
9.	ECG	308	245

स्रोतः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.15 होम्योपैथी चिकित्साः–

19.15.1 होम्योपैथिक पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक निदेशालय स्थापित है। जनपद स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैंः–

- सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 21 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 7 होम्योपैथिक चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित हो रहे हैं।
- केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तथा पौड़ी गढ़वाल में एक–एक कुल 05 आर0सी0एच0 केन्द्र तथा जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में एक–एक कुल चार त्वचा रोग केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशनः– राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में औषधि क्रय हेतु ₹ 43.48 लाख, स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ₹ 13 लाख, प्रचार–प्रसार हेतु ₹ 10.00 लाख एवं पब्लिक हैल्थ आउटरिच एक्टिविटी के लिये 65.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का प्रचार–प्रसार, दूरस्थ ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों के आयोजन की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रत्येक जनपद में दो विकासखण्ड कुल 26 विकासखण्डों में स्कूल स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत चयनित 26 विकासखण्ड़ों में कुल 23,871 छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से 14,32,064 रोगियों का उपचार किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद स्तर पर कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी कोविड–19 में होने के फलस्वरूप माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 4,87,791 रोगियों का उपचार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में डेंगू रोग की रोकथाम के लिये 01 लाख से अधिक व्यक्तियों को डेंगू रोधी औषधि वितरित की गयी।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर भारत सरकार की गाईड लाईन तथा मा0 मंत्रीमण्डल के निर्णयों के अनुपालन में माह दिसम्बर, 2020 तक लगभग 12,86,091 व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि Arsenic Album-30 का वितरण किया गया।

भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

तलिका 19.12

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्साधिकारी	111	89	22
02	भेषजिक	111	109	02
03	वार्ड ब्वाय	77	66	11
04	स्वच्छक कम चौकीदार	30	29	01

स्रोतः होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तलिका 19.13

भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत स्थापित 05 आर0सी0एच0 एवं 04 त्वचा रोग केन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की तैनात कार्मिकों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	09	09	0
02	भेषजिक	09	08	01
03	वार्ड ब्वाय	09	09	0
04	स्वच्छक कम चौकीदार	09	09	0

स्रोतः होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तलिका 19.14

होम्योपैथिक विभाग में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की तैनात कार्मिकों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	28	27	01
02	भेषजिक	28	28	0

स्रोतः होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.16 आयुर्वेदिक

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 519 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) सेवा प्रदान की जा रही है।

19.16.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापनाः–सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

19.16.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापनाः– जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग पर संचालित है।

19.16.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापनाः– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

19.16.4 राष्ट्रीय आयुष मिशनः–केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा 519 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुषविंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154–पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय (सरस मार्केट हल्द्वानी) में स्थापना की जा रही है। आयुष विभाग भारत सरकार द्वारा ₹ 931.610 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से माह सितम्बर 2020 तक 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त के साथ ही ग्राम–जलेम, पट्टी जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल एवं जनपद–चम्पावत के टनकपुर में 50 शैययायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। सम्बन्धित चिकित्सालयों की स्थापना/निर्माण हेतु प्रेषित आगणन शासन को प्रेषित किये गये हैं। जिस पर व्यय वित्त समिति (EFC) की कार्यवाही प्रचलित है।

19.16.5 यूनानी चिकित्सा पद्धतिः– राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद–हरिद्वार में यूनानी कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

19.16.6 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसीः– हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के माध्यम से रोगियों को मुफ्त वितरण हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है।

19.16.7 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाः– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

तालिका 19.15
आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1	चिकित्साधिकारी	857	614	243
2	पैरामेडिकल स्टाफ	795	718	77

स्रोतः आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.17 स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधानः– चिकित्सा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, शोध एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया जाना है। राज्य में दो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तथा हल्द्वानी स्थापित है। 03 अन्य मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, रूद्रपुर तथा देहरादून निर्माणाधीन है जिनमें से 150 प्रशिक्षु क्षमता का दून मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2016–17 से संचालित है।

तालिका 19.16
एम0बी0बी0एस0 पाठयक्रम की स्थिति
वर्ष 2020–21

क्र0 सं0	संस्था का नाम	स्वीकृत सीट (संख्या)	प्रवेशार्थियों की संख्या
1	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल	125	125
2	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	125	125
3	दून मेडिकल कालेज	175	175

स्रोतः स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।

तालिका 19.17
उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य शिक्षा
(30 जनवरी, 2021)

क्र0 सं0	संकेतांक	संख्या
1	मेडिकल कॉलेज (MBBS)	3
2	आर्युवेदिक कॉलेज	2
2	डेण्टल कॉलेज	2
4	नर्सिंग कॉलेज / स्कूल	10
5	मेडिकल सीटें	MBBS-425, MD/MS-69

स्रोतः स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।

19.17.1 स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून– चन्दरनगर, देहरादून में स्थित राज्य के प्रथम नर्सिंग कॉलेज "स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग" की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 1300 नर्सें सेवारत है। इस कॉलेज में बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग) तथा एम0एस0सी0 नर्सिंग के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है। वर्तमान में 9 नर्सिंग संस्थान में कुल 1730 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। पांच बेसिक हेल्थ वर्कर महिला ट्रेनिंग सेंटर में 100 प्रशिक्षणार्थी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

न्यूनतम आवश्यकता सूचकांकः– भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में 26 मानकों को लेते हुये न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक तैयार किया गया है। इन 26 मानकों को पॉच भागों में वर्गीकृत किया गया है– जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म वातावरण, अन्य सुविधायें। यह सूचकांक समस्त राज्यों हेतु तैयार किया गया है तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 69वीं आवृत्ति, वर्ष 2012 एवं 76वीं आवृत्ति, वर्ष 2018 में Drinking water, sanitation hygiene and housing condition विषय पर कराये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त न्यूनतम आवश्यकता सभी वर्गो के लिए आवश्यक है तथा सभी के जीवन को प्रभावित करती है। सभी को उक्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होने की स्थिति में, मानव के समय की बचत होगी और वह उस समय को अन्य उपयोगी आर्थिक गतिविधियों में लगा सकेगा। नक्शे में उपयोग किये गये तीन रंग हरा, पीला और लाल, घरों तक न्यूनतम आवश्यकता तक पहुंच प्रदान करने में राज्य का स्तर प्रदर्शित करते है। हरा रंग (0.70 से ऊपर) उच्च स्तर को दर्शाता है और इसलिये सबसे वांछनीय है, इसके बाद पीला रंग (0.50 से 0.70) जो मध्यम स्तर को दर्शाता है, इसके विपरीत लाल रंग (0.50 से नीचे) निम्न स्तर को इंगित करता है। यह सूचकांक ग्रामीण, नगरीय व सम्पूर्ण राज्य हेतु तैयार किया गया है। निम्न ग्राफ के माध्यम से उक्त सूचकांक को दर्शाया गया है जो उत्तराखण्ड की वर्ष 2012 व 2018 की स्थिति को दर्शाता है।

Figure 1

Improvement in the Bare Necessities Across India (Rural + Urban) from 2012 to 2018

BNI for India (Rural +Urban)2012 BNI for India (Rural + Urban)2018

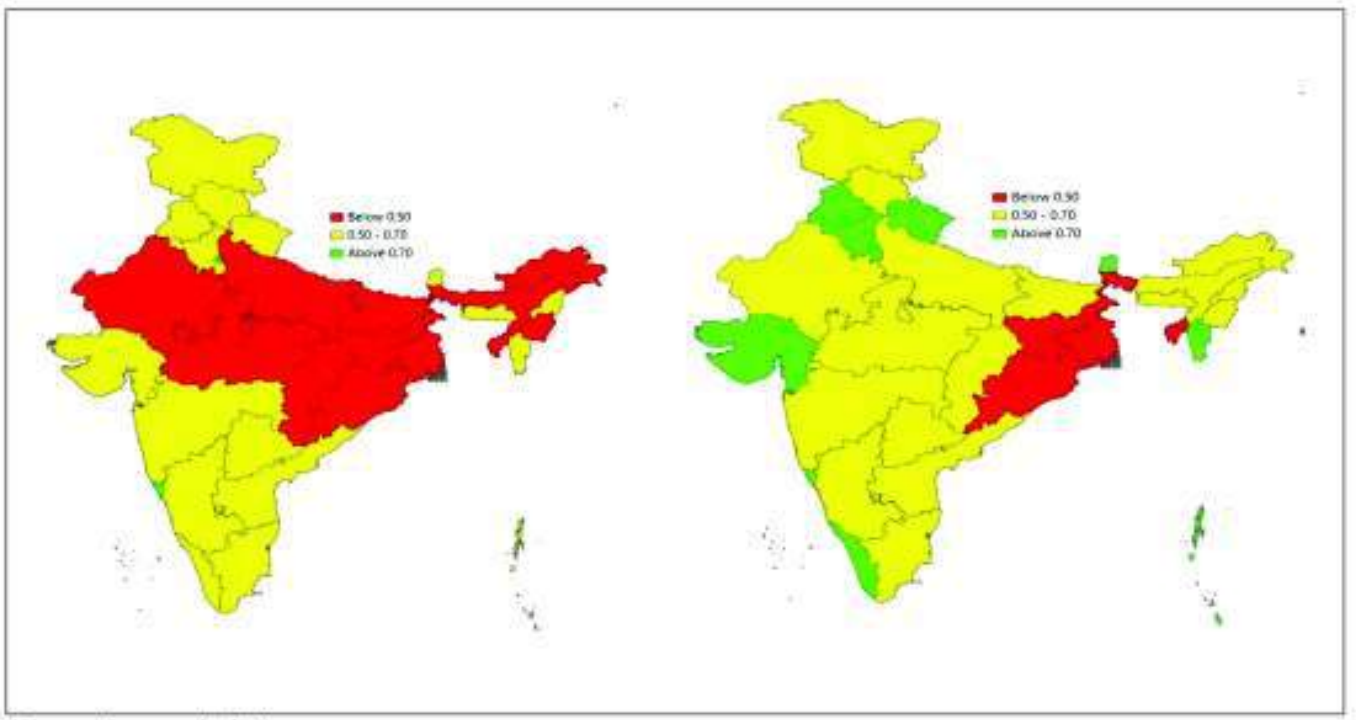

Source: Survey calculations.

Figure 2

Improvement in the Bare Necessities Across Rural India from 2012 to 2018

BNI for Rural India 2012 BNI for Rural India 2018

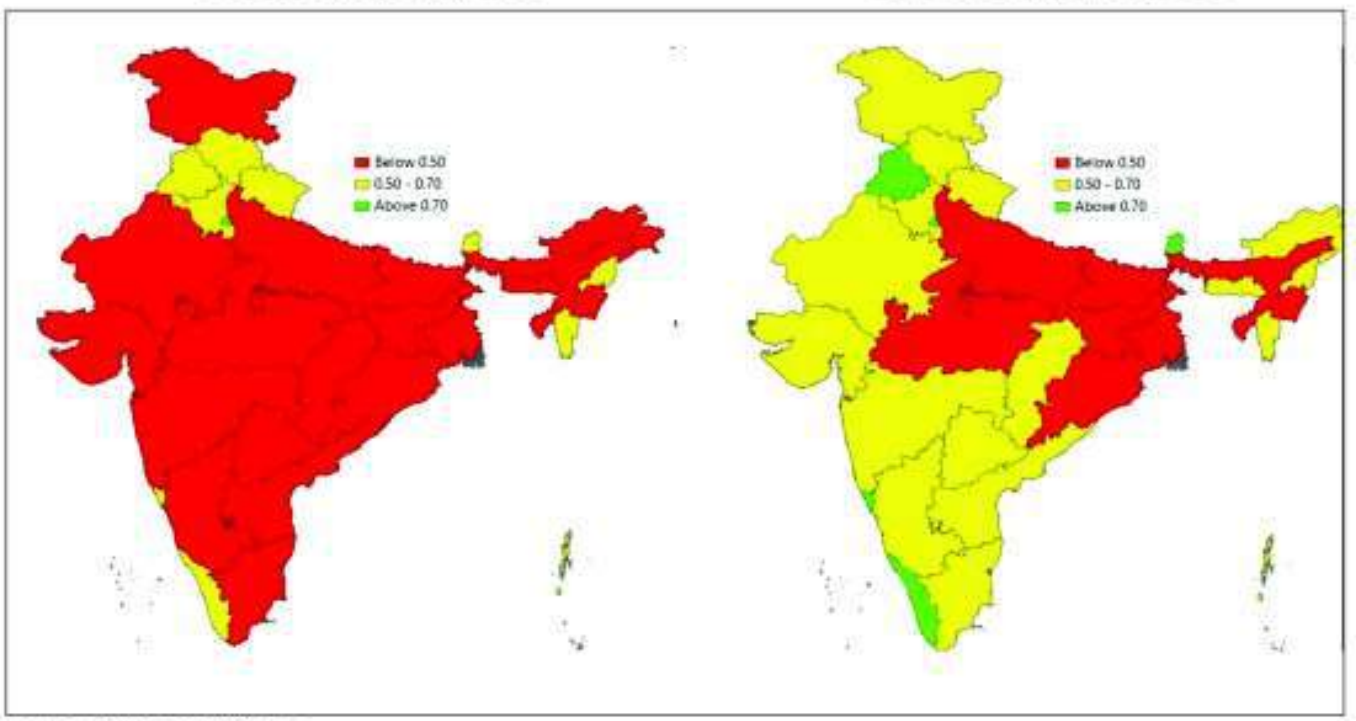

Source: Survey calculations

Figure 3

Improvement in the Bare Necessities Across Urban India from 2012 to 2018

BNI for Urban India 2012 BNI for Urban India 2018

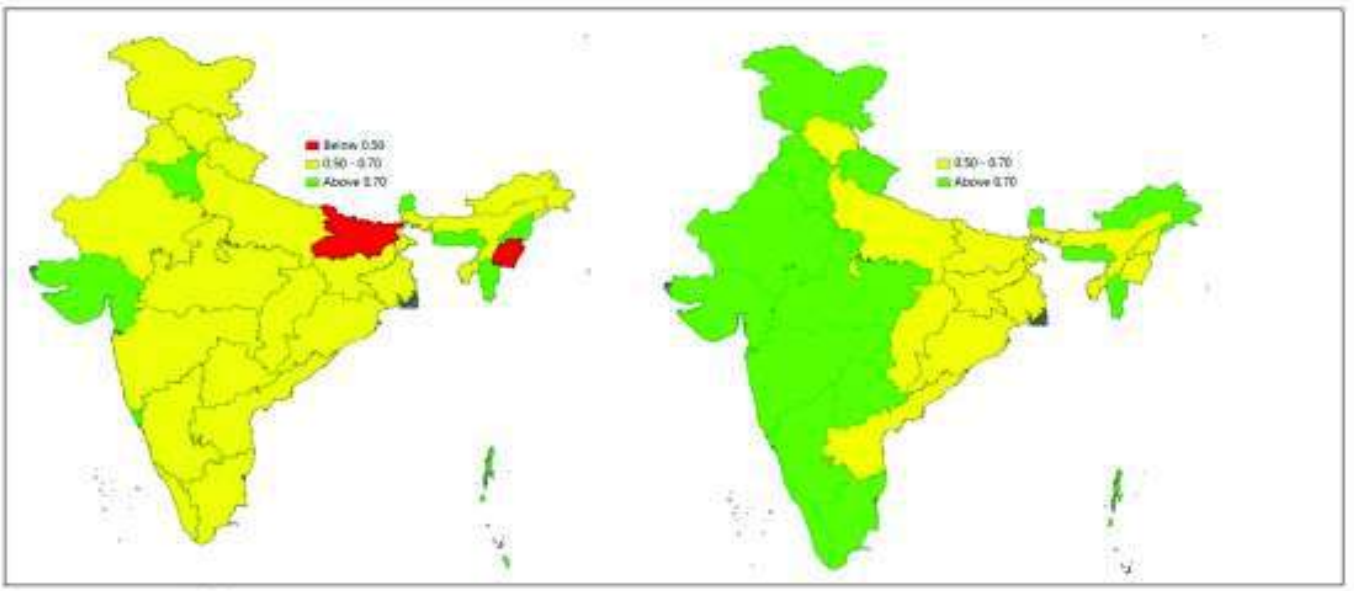

Source: Survey calculations.

अध्याय–20
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
Women Empowerment & Child Development

20.1 सामान्य विवरणः– सशक्त महिला तथा सशक्त समाज दोनों ही एक–दूसरे के पूरक है। महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में वृद्धि करना है। भारत का संविधान भी महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए सभी को समानता के अवसर प्रदान करता है। महिलाओं की शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला एवं संस्कृति, सेवा क्षेत्रों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी विकास के लिये उपलब्ध मानव संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा दोनो को बढ़ाता है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता प्राप्त करना हमारे समाज तथा देश के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। एस0डी0जी0 इंडिया इनडैक्स 2.0 के अनुसार एस0डी0जी0–05 में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर 15वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसी के अनुसार एस0डी0जी0 इन्डैक्स, उत्तराखण्ड, 2019–20 की रिपोर्ट तैयार की गई है। चार्ट 20.1 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नीति आयोग की पद्वति के अनुसार एस0डी0जी0–05 में जनपद उधमसिंह नगर व देहरादून फ्रन्ट रनर के रुप में सबसे आगे है जबकि जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत व पौड़ी गढ़वाल आकांक्षी श्रेणी में आये है शेष जनपद परफॉर्मर की श्रेणी में वर्गीकृत हैं तथा कोई भी जनपद 100 स्कोर को प्राप्त नही कर पाया है। इससे यह परिलक्षित होता है कि जनपदों द्वारा विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने होगें। सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन विभाग द्वारा एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क तैयार किया गया है तथा जनपद/ब्लॉक स्तर पर विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण करने के लिए मॉनीटिरिंग फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है।

चार्ट 20.1

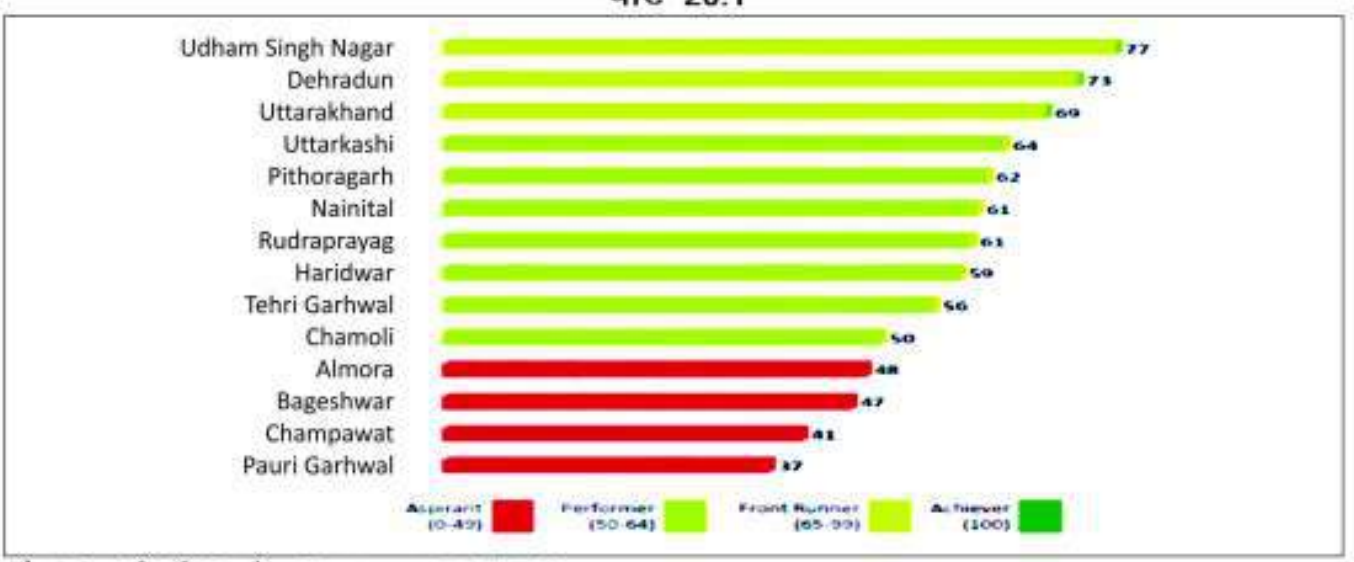

स्रोतः एस0डी0जी0 इन्डैक्स, उत्तराखण्ड, 2019–20

चार्ट–20.2 से स्पष्ट है कि लिंगानुपात को समान करने व महिलाओं की कार्य भागीदारी दर बढ़ाने तथा **''सतत् विकास लक्ष्य–05''** को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा 2004–05 से लगातार बाल विकास, महिला कल्याण, दिव्यांग, वृद्ध, निराश्रित कल्याण हेतु कुल बजट में वृद्धि की जाती रही है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष भी बजट की वृद्धि विभिन्न वर्षों में 0.38 प्रतिशत से 0.70 प्रतिशत तक हुई है।

चार्ट 20.2

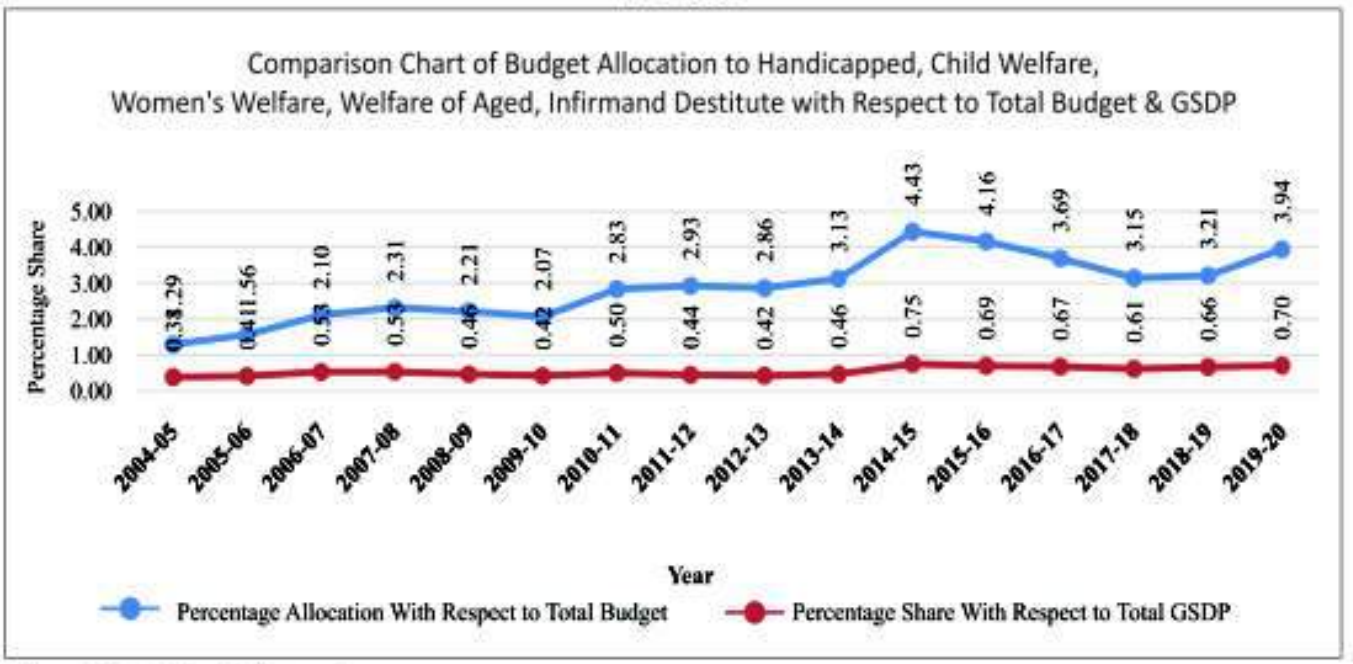

स्रोतः अर्थ व संख्या निदेशालय।

महिलाओं, बालक व बालिकाओं को सुरक्षित समाज तथा आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में कई योजनायें संचालित की गयी है। महिला उत्पीड़न को समाप्त करने पर भी प्रदेश द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे है।

20.2 अवस्थापना सुविधायें:– तालिका 20.1 के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20033 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18784 केन्द्र संचालित तथा कुल 33739 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं। चुंकि प्रदेश के शहरी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं अतः शहरी आंगनवाड़ी केंन्द्रो को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाना उचित होगा।

तालिका 20.1

क्र० सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	मिनी आंगनबाड़ी (संख्या)	आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी में कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1190	670	1803	1136
2	बागेश्वर	9	558	276	828	548
3	चमोली	9	724	354	1064	716
4	चंपावत	7	397	284	664	394
5	देहरादून	15	1657	250	1883	1631
6	हरिद्वार	3	3056	123	3014	2799
7	नैनीताल	11	1032	384	1412	1028
8	पौड़ी	11	1082	771	1794	1044
9	पिथौरागढ़	3	656	455	1085	590
10	रुद्रप्रयाग	9	457	223	669	444
11	टिहरी	10	1278	739	1961	1233
12	ऊ0सि0नगर	8	2191	196	2315	2097
13	उत्तरकाशी	4	663	367	992	595
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**14941**	**5092**	**19484**	**14255**

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 20.2
राज्य में गर्भवती / धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2015–16	96737	100196
2016–17	95823	100057
2017–18	84605	93129
2018–19	91654	91393
2019–20	92285	93573
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)	89146	88380

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 20.2 के अनुसार दिसम्बर, 2020 तक 89146 गर्भवती व 88380 धात्री महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

20.3 कुपोषण की स्थिति– तालिका 20.3 से स्पष्ट है कि राज्य में पिछले वर्षों में कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। वर्ष 2020–21 में 1369 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, जिन्हें ''ऊर्जा'' (स्थानीय आधारित खाद्यान्न) पोषण आहार के द्वारा सामान्य श्रेणी में लोने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका 20.3
राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–2	वर्ष 2020–21
कुपोषित बच्चे	47993	32492	25149	16305	13111	10323
अति कुपोषित बच्चे	4097	2870	1686	1153	1565	1369

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2020–21 में प्राविधानित ₹ 99110.86 लाख के सापेक्ष ₹ 41418.66 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 27264.53 लाख व्यय किया गया है। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

20.4 केन्द्र पोषित योजनायें–

20.4.1 अनुपूरक पोषाहार– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020–21 में पंजीकृत 1127890 लाभार्थियों के सापेक्ष 855578 को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है। वर्ष 2020–21 में ₹ 11159.30 लाख धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 8912.23 लाख का व्यय किया गया।

20.4.2 कुक्ड फूडः– इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) एवं मॉर्निंग स्नैक्स (टेक होम राशन के रूप) भी में प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुल 222787 बच्चों को घर–घर जाकर कुक्ड फूड दिया जा रहा है।

तालिका 20.4
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित	
	6 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2015–16	532263	255805
2016–17	546323	246153
2017–18	424601	179100
2018–19	430123	168109
2019–20	435055	153328
2020–21 (दिसम्बर 2020 तक	455265	222787

स्रोतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

20.4.3 टेक होम राशनः– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह मे कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।

अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित–Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक कुल 455265 लाभार्थियों को टेक होम राशन दिया गया। कोविड–19 के कारण कार्यकत्रियों द्वारा घर–घर जाकर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है।

20.4.4 स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरणः– टीकाकरण कोविड के कारण आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा ANM द्वारा घर–घर जाकर टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच की गयी।

20.4.5 वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलैट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनवाडी केन्द्र पर उपलब्ध है। जिसमें सामान्य रोगों की दवाऐं उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाती है। कोविड–19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में पंजीकृत 782341 लाभार्थियो के सापेक्ष कुल 77892 लाभार्थियों का वजन का अनुश्रवण कार्यकत्रियों द्वारा घर–घर जाकर किया गया।

20.4.6 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है। कोविड–19 के कारण घर–घर जाकर कार्यकत्रियों एवं सुपरवाईजरों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 177100 महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण की जानकारी के साथ–साथ कोविड–19 की भी जानकारी दी गयी है।

20.4.7 स्कूल पूर्व शिक्षाः– इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5000 प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ₹ 5000 प्रति मिनी केन्द्र का मानक भारत सरकार से प्री–स्कूल किट एवं एक्टीविटी बुक आदि निर्धारित है। वर्ष 2020–21 में कुल 222787 बच्चे पंजीकृत हुए किन्तु कोविड–19 के कारण आगंनवाडी केन्द्र संचालित नही हो रहे हैं, जिस कारण प्री–स्कूल शिक्षा आगंनवाड़ी केन्द्रों में बाधित रही है।

20.4.8 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90% के0सहा0) PMMVYः– मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वंय केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा। योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में कुल ₹ 5000 की धनराशि प्रदान की जाती है। आतिथि तक कुल 1,70,159 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। दिसम्बर, 2020 तक ₹ 2240.97 लाख का व्यय किया गया।

20.4.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन 'पोषण अभियानः– यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु ICDS-CAS के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये है। पोषण अभियान के

अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, युवा कल्याण, स्वच्छता एवं पेयजल, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 4500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

20.5 राज्य सेक्टर की योजनायें–

20.5.1 उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनाः– योजना के अन्तर्गत महिला परक अभिनव परियोजनाओं के संचालन हेतु 86 विकासखण्डों में 71 संस्थाओं एवं 1887 महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण प्रदान किया गया है, योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की 61064 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में 07 स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दलिया इकाई, दाल ग्रेडिंग, पैकेजिग यूनिट, मुर्गी पालन, मंडुवा, दाल/अनाज ग्रेंडिंग इकाई, एवं गौधारा इकाई का संचालन किया जा रहा है।

दलिया इकाई

मौन शहद उत्पादन

गौधारा इकाई

20.5.2 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 416 महिला लाभार्थियों को उनके आवश्यकता एवं मांग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर परिसम्पत्तियों का वितरण किया गया है, जिसके तहत देहरादून में 211 एवं जनपद हरिद्वार 205 लाभार्थी सम्मिलित हैं। राज्य के जनपदों में देहरादून–07, चम्पावत–02, नैनीताल–02, हरिद्वार–02 एवं पौड़ी गढ़वाल–05 कुल 18 सखी महिला ई–रिक्शा'' का वितरण किया गया है। वर्ष 2020–21 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 20.00 लाख आवंटित किया गया।

महिला कैदियों को स्वालम्बन हेतु प्रशिक्षण

तुलसी कुंवर जनपद–टनकपुर चम्पावत

20.5.3 कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्यवस्थाः– इस योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला

छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिनके संचालन की कार्यवाही गतिमान है। जनपद उत्तरकाशी में किराये के भवन में महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में उक्त योजनान्तर्गत ₹ 50.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 35.00 लाख आवंटित किया गया।

20.5.4 नन्दा गौरा योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित की गयी है, जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किश्त में 11000 की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में ₹ 51000 की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी। वर्ष 2020–21 में ₹ 8000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 4000.00 लाख आवंटित किया गया।

20.5.5 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकिन की व्यवस्था– किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं सेनेटरी नैपकिन निर्मित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर में सैनेटरी नैपकिन यूनिट स्थापना की गयी। विभाग द्वारा ₹ 14.70 की सब्सीडी की दर से आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को ₹ 2.00 प्रति पैकेट पारितोषिक धनराशि देय की जाती है। वर्तमान तक कुल 1,77,780 सैनेटरी नैपकिन पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से वितरित किये गये। वर्ष 2020–21 में धनराशि रूपये 6/– की सब्सिडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) उपलब्ध करवाये जाने हेतु निविदा कोविड–19 के कारण समय पर नहीं हो पायी। वर्तमान में निविदा की प्रक्रिया गतिमान है। वर्ष 2020–21 में ₹ 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

20.5.6 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण): राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम' के तहत् बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोडेड टेबलेट/स्मार्ट फोन पुरस्कार स्वरूप वितरित किये जाते हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक 1064 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद' के माध्यम से मलिन बस्तियों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 190 किशोर एवं किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹ 1 करोड़ कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है, जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

20.6–अन्य योजनायें–

20.6.1 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स– भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ जनवरी 2019 को किया गया। इस योजना का राज्य के सभी जिलों में विस्तार हो जाने के साथ किशोरी शक्ति योजना (के0एस0वाई0) को समाप्त कर दिया गया। 11–14 आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी पात्र किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना हैं। आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत गर्भवती और धात्री माताओं को दिये जा रहे पोषाहार की तर्ज पर ही किशोरियों को वर्ष में 300 दिन प्रति लाभार्थी 600 कैलोरी प्रतिदिन (18–20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व) दिया जायेगा। माह दिसम्बर 2020 तक 5936 लाभार्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

20.6.2 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास तथा बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है।

20.6.3 वन स्टॉप सेन्टर:– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहें है।

तालिका 20.5
वन स्टॉप सेन्टर/महिला हेल्प लाईन (181) में पंजीकृत निस्तारित मामले

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्प लाईन (181)	
	पंजीकृत	निस्तारित	पंजीकृत	निस्तारित
2018–19	830	–	1835	–
2019–20	1763	1065	2993	2957
2020–21 (माह दिसम्बर 2020)	3413	2909	4436	4425

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 20.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/अपराध के पंजीकृत मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुयी है।

20.6.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण– इस योजना के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन व्यवस्था हेतु वर्ष 2020–21 में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु भारत सरकार का 1.00 लाख प्रति भवन मानक निर्धारित है। इस वर्ष 3869 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹ 2800.00 लाख का बजट प्रावधान है।

विभागीय प्रयास

- **अनुपूरक पोषाहार**– कोविड–19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा टेक होम राशन (टी0एच0आर0) एवं कुक्ड फूड (टी0एच0आर0 के रूप में) घर–घर जाकर वितरित किया गया।
- जनपद नैनीताल, उधमसिंह नगर, बागेश्वर में सैनेटरी नैपकिन इकाई की स्थापना की जा चुकी है। जनपद पौड़ी एंव हरिद्वार में सैनेटरी नैपकिन की स्थापना हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है। **कोविड–19 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा घर–घर जाकर सैनेटरी नैपकिन वितरित किया गया।**
- **तीलू रौतेली पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 किशोरी/महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- **05 मार्च 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत** "क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस" नामक पुस्तिका में देश के 25 राज्यों द्वारा अभिनव पहलों का संकलन करते हुए जनपद नैनीताल के द्वारा "वॉल पेन्टिंग–प्रचार–प्रसार की नवाचार पहल" को पुरूस्कृत किया गया है।

भावी अभिनव योजनाएँ

- **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना**– वर्ष 2020 में 159 बालिकाओं को पुरस्कृत करने की कार्यवाही प्रक्रियागत।
- **पूर्ण श्री योजना**– किशोरियों में भोजन की आवृत्ति एवं अंतराल की जानकारी न होने के कारण भोजन छोड़ने की कमी को दूर करने हेतु "पूर्ण श्री" (PURNA- Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolsecent Girls) योजना आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से संचालित की जाएगी तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। **योजना का मुख्य उद्देश्य**– किशोरियों में एनीमिया की कमी को दूर करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, किशोरियों में भोजन करने की आवृत्ति को सुधारना, किशोरियों को घर से भी भोजन लाने के लिए प्रेरित करना, व्यक्तिगत स्वच्छता (विशेष रूप से मासिक धर्म के समय) एवं साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, पोषक तत्वों एवं पानी की कमी से होने वाले शारीरिक, मानसिक दुष्प्रभावों की जानकारी देना, किशोरियों में क्षमता विकास करना है।
- **मा0 सौभाग्यवती योजना**– विभाग के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम बच्चे के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत **"मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट"** प्रदान किया जायेगा। सौभाग्यवती किट की प्रति किट लागत ₹ 3500 निर्धारित है। स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
- **बाल संजीवनी योजना**– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत अतिकुपोषित बच्चों को विटामिन, मिनरल एवं प्रोटिन को अनुपूरित करने एवं उनमें कुपोषण मूल से ही समाप्त करने हेतु अतिकुपोषित बच्चों को **"बाल संजीवनी किट"** प्रदान किया जायेगा। बाल संजीवनी की प्रति किट लागत ₹ 2000 निर्धारित है। योजना का मुख्य उद्देश्य–अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कुपोषित बच्चों के अतिरिक्त देखभाल एवं स्वच्छता पर विशेष परामर्श प्रदान करना, स्तनपान के विषय में जानकारी, विशेष कर नवजात शिशु को प्रथम 01 घण्टे के अन्दर स्तनपान कराने से सम्बन्धित, बच्चों की वजन वृद्धि पर नियमित रुप से निगरानी रखना, जटिलता होने पर चिकित्सालय सन्दर्भित करना है।
- **मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना**– योजना के अन्तर्गत समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला एवं 02 दिन दूध उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। योजना का उद्देश्य–गर्भवती/धात्री माताओं में पोषण स्तर में सुधार लाना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, एनीमिया की कमी को दूर करना, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन तथा कैलोरी अतिरिक्त रूप से प्रदान करना, गर्भवती/धात्री माताओं के पोषण स्तर को सुधारते हुये बच्चों को कुपोषण मुक्त करना, लाभार्थी महिलाओं को मुर्गी पालन हेतु प्रेरित करना है।
- **राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना**– योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं देहरादून में **इको फ्रैन्डली बैग** उत्पादन इकाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया गतिमान है। योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की **तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं** को सम्मिलित करते हुये सरल रोजगार प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने की प्रक्रिया गतिमान एवं उक्त के अतिरिक्त रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत प्रमाणित सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नॉलॉजी (सीपेट), भानियावाला जनपद देहरादून के साथ समन्वयन कर प्लॉस्टिक टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में 120 बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

अध्याय–21
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

21.1 ग्रामीण विकासः– विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामीण अवमूल्यन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, रिवर्स पलायन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। राज्य में राज्य तथा केन्द्र द्वारा विकासात्मक योजनायें/कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है। इनका विवरण निम्नलिखित हैः–

केन्द्र पोषित योजनायें

21.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– यह योजना उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में चरणबद्व तरीके से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की क्षमता एवं कौशल विकास कर उन्हें सतत आजीविका संवर्द्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 13 सरस सेन्टरों को जनपद स्तर पर आउटलेट के रुप में तैयार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 20 ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहें हैं।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान समय में 31851 स्वयं सहायता समूह की 2.54 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 2694 ग्राम संगठन तथा 138 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 25996 समूहों को अब तक कुल ₹ 2565.90 लाख परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 26468 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 11602 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में ₹ 5544.40 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 46.18 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें कुल 1500 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 9740 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल ₹ 43.83 करोड ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक कुल 6279 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 3139.50 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2020 तक जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

तालिका 21.1
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत जिलावार
वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹ लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	712	435	320.4	217.5
बागेश्वर	150	135	67.5	67.5
चमोली	772	608	347.4	304
चम्पावत	410	337	184.5	168.5
देहरादून	910	484	409.5	242
हरिद्वार	1000	445	450	222.5
नैनीताल	1000	651	450	325.5
पौड़ी	1100	742	495	371
पिथौरागढ़	614	328	276.3	164
रूद्रप्रयाग	305	224	137.25	112
टिहरी	900	828	405	414
उधमसिंह नगर	1108	562	498.6	281
उत्तरकाशी	759	500	341.55	250
कुल योग	**9740**	**6279**	**4383**	**3139.5**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक लक्ष्य के सापेक्ष 64.46 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 71.63 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है।

21.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– भारत सरकार की इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2022 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। दिसम्बर, 2020 तक 25000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 2407 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है, 2619 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 1657 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कुल प्रशिक्षित ग्रामीण गरीब युवाओं के 70 प्रतिशत को सुनिश्चित आश्वस्त रोजगार प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

21.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में **94238 पात्र परिवारों का पंजीकृत एवं जीयोटैग का कार्य** आवास प्लस के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद नैनीताल के 47 भूमिहीन परिवारों को माह मई, 2020 में भूमि पट्टा एवं आवास आवंटित किया गया है, जिन्हें माह जनवरी, 2021 तक पूर्ण कराया जाएगा।

योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स के तहत मनरेगा से 12373 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। अकुशल श्रमांश के तहत 863272 मानव दिवस सृजित करते हुए कुल ₹ 1509.45 लाख व्यय किये गये हैं।

तालिका 21.2

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण आवास			व्यय धनराशि (लाख में)
				IAY	PMAY-G	योग	
1	2017–18	4086	4224	3250	5559	8809	8661.31
2	2018–19	–	2277	0	6054	6054	6596.25
3	2019–20	–	30	0	760	760	565.99
4	2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	13399	47	0	00	0	86.65
	योग	17485	6578	3250	12373	15623	15910.2

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, में योजनान्तर्गत एसईसीसी–2011 सर्वे के आधार पर पात्र लाभार्थियों की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में गत वर्षों के निर्माणाधीन क्रमशः 6054 आवासों एवं 760 आवासों को पूर्ण कराया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 13399 आवास निर्माण का लक्ष्य माह नवम्बर, 2020 के अन्त में प्रदान किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यवाही गतिमान है।

21.1.4 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act-MNREGA):– ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है।

वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर, 2020 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 673.65 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश हिस्से के रूप में ₹ 46.55 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की जा चुकी है। 17608 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 218.43 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 12.18 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 8.17 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक प्रति परिवार औसत लगभग 37.32 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 21.3

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस का विवरण

क्रं0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2017–18	735423	662630	22304235	12146439
2	2018–19	707138	639054	22182135	12232764
3	2019–20	734557	661269	20625216	11677147
4	2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	874484	791092	22067314	11997614

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका 21.3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया का प्रतिशत क्रमशः 90 प्रतिशत, 90.37 प्रतिशत, 90 प्रतिशत तथा 90.46 प्रतिशत रहा। **सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्श 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक 50 प्रतिशत से अधिक रहा जो सराहनीय है।**

तालिका 21.4
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	1531	1133.53	9987	11817.63	9424	11647.42	3325	4109.41
2	2018-19	1785	1215.59	7629	8300.05	10153	12209.92	3798	4791.96
3	2019-20	1524	1882.82	3808	6541.69	8725	17290.54	3694	6000.80
4	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	1207	3030.59	2345	6445.65	7437	19193.56	3042	6174.70

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतो का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2017-18	125	1129.56	10499	11931.6	34266	3824.38
2	2018-19	1146	921.14	6789	6787.08	8809	1005.87
3	2019-20	770	975.85	3280	6583.59	1899	619.46
4	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	589	865.10	3336	8302.64	1049	360.34

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रलाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2017-18	6404	5163.33	30890	8772.72	1958	827.71
2	2018-19	5859	4693.31	34354	9008.25	534	182.95
3	2019-20	4534	7344.93	17263	5693.17	42	18.96
4	2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	4648	8837.79	8041	4597.48	11	7.83

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका–21.4 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में क्रमशः 108409, 80856 एवं 45539 कार्य पूर्ण किये गये तथा 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में क्रमशः ₹ 60357.29, ₹ 49116.12 लाख एवं ₹ 52951.8 की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) 31705 कार्य पूर्ण किये गये तथा ₹ 57815.7 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

मनरेगा के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 325 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 359 आंगनवाडी केन्द्रों में निर्माण कार्य कराये गये।

कोविड–19 महामारी की अवधि में किये गये विशेष प्रयास (20 अप्रैल 2020 से)

- प्रवासियों के पंजीकरण हेतु प्रयास किये गये।
- अधिकाधिक परिवारों को रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया गया।
- सभी इच्छुक प्रवासियों का जॉब कार्ड हेतु पंजीकरण सुनिश्चित किया गया। इसके लिए पंजीकरण शिविर लगाए गये।
- कार्य की मांग को सुगम करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य की मांग प्राप्त करने की योजना प्रारम्भ की गई।
- राज्य में 22 अप्रैल 2020 से व्यापक पैमाने पर कार्य प्रारम्भ किये गये और अपेक्षा से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आतिथि तक 1.60 लाख नये श्रमिकों का पंजीकरण करते हुए 8.59 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। जिसमें से 128216 नये पंजीकृत (प्रवासी) श्रमिक हैं।

भविष्य की रणनीति

- अधिकाधिक कार्य की मांग प्राप्त करने हेतु व्हाट्सअप नम्बर जारी किया जाना।
- मोबाईल एप्प के माध्यम से मांग प्राप्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित जल स्रोतों के वैज्ञानिक उपचार हेतु स्रोत सम्वर्द्धन कार्यक्रम।

तालिका 21.5
मनरेगा के अन्तर्गत जिलावार पंजीकृत श्रमिकों का विवरण

क्र० सं०	जनपद	प्रारम्भ किये गये कुल कार्य	श्रमिकों की कुल संख्या	श्रमिकों की संख्या जिनका नया पंजीकरण कर जॉबकार्ड उपलब्ध कराया गया	नये पंजीकृत श्रमिक जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया
1	अल्मोड़ा	6178	107446	4602	3854
2	बागेश्वर	3819	34952	12911	11481
3	चमोली	9553	73430	9931	9931
4	चम्पावत	2598	35107	15161	5006
5	देहरादून	3728	42018	3464	2580
6	हरिद्वार	4611	37619	9599	9599
7	नैनीताल	3940	45730	3436	3011
8	पौड़ी	7815	100943	19388	17813

9	पिथौरागढ़	8115	69797	15928	7464
10	रुद्रप्रयाग	5072	41935	8185	8185
11	टिहरी	6226	138576	25179	18356
12	ऊधमसिंह नगर	5194	49534	19706	19000
13	उत्तरकाशी	5721	82558	13881	11936
कुल		72570	859645	161371	128216

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

अभिनव प्रयोग

आजीविका पैकेज मॉडलः निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सतत साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रुप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 14350 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसमें से 3814 परिवारों हेतु कार्य प्रारम्भ हो गया है।

कोसी नदी पुनर्जनन अभियानः मनरेगा जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के सहयोग से जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल की लाईफ लाईन कोसी नदी के पुनर्जनन कार्य को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अल्मोड़ा की कोसी नदी की तर्ज पर जनपद बागेश्वर की गरुड़ गंगा, जनपद नैनीताल की शिप्रा सहित विभिन्न जनपदों की 31 नदियों को पुनर्जनन कार्य हेतु चयनित किया गया है। जिन पर कार्य किया जा रहा है।

गिविंग लाईफ टू पॉण्डसः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उधमसिंह नगर द्वारा 300 से अधिक ऐसे तालाब, जो अतिक्रमित और प्रदूषित थे, उनको राजस्व विभाग के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराकर मनरेगा के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। इससे जहां एक ओर जल संरक्षण हुआ वहीं दूसरी ओर एन0आर0एल0एम0 समूहों के माध्यम से मत्स्य पालन के द्वारा आजीविका विकल्पों का भी विकास हुआ। इस कार्यक्रम को **स्कॉच** पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

21.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असम्बद्व गांवों को अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 से दिसम्बर 2020 तक कुल 1057.31 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

तालिका 21.6
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जोड़े गये बसावटों की संख्या

Financial Year	Financial Status (Rs. in Cr.)		Physical Progress					
			Works in Nos.		Length in Km.		Habitations in Nos. (250+)	
	Sanctioned Cost from GoI	Expn.	Sanctioned Works	Completed Works	Sanctioned Length	Constructed Length	Sanctioned	Connected
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	1076.49	607.33	219	135	1776.25	1839.11	243	207
2018-19	3665.71	698.43	857	130	6209.05	1756.29	330	202
2019-20	566.45	1080.48	112	148	905.83	2036.49	0	154
2020-21 (Till Dec, 2020)	0.00	748.00	0	130	0.00	1316.00	0	70
Total	5308.65	3134.24	1188	543	8891.13	6947.89	573	633

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

21.1.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना–

ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण 1 से चरण 4 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया है, जिसका विवरण तालिका 21.7 में दिया गया है–

तालिका 21.7
माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं0	मा0 सांसद का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
		चरण– 1			
1.	श्री भगत सिह कोश्यारी	नैनीताल	सरपुड़ा (सरपुड़ा बग्घा चौवन)	खटीमा	ऊधमसिंह नगर
2.	मे0जन0 भुवन चन्द्र खण्डुड़ी	पौड़ी	देवली भणीग्राम	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
3.	डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	गोरधनपुर	खानपुर	हरिद्वार
4.	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	बौन	डुण्डा	उत्तरकाशी
5.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सूपी	कपकोट	बागेश्वर
6.	श्री महेन्द्र माहरा	राज्य सभा	रौलमेल	पाटी	चम्पावत
7.	श्री राजबब्बर	राज्य सभा	लामबगड़	गैरसैंण	चमोली
		चरण– 2			
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	जुम्मा	धारचूला	पिथौरागढ़
2.	डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	जमालपुर कलान	हरिद्वार	हरिद्वार
3.	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	अटकफार्म	सहसपुर	देहरादून
4	श्री भगत सिह कोश्यारी	नैनीताल	लोहाली	बेतालघाट	नैनीताल
5	श्री तरुण विजय	राज्य सभा	तेवा	जौनपुर	टिहरी
6	श्री प्रदीप टम्टा (श्री तरुण विजय के स्थान पर)	राज्य सभा	वाछम	कपकोट	बागेश्वर

चरण– 3					
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सल्ली	चम्पावत	चम्पावत
2.	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खेडीशिकोहपुर	रूड़की	हरिद्वार
3	श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह	टिहरी	भरवा काटल	जौनपुर	टिहरी
चरण– 4					
1.	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	जंगलियागॉव	भीमताल	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	सिरतोली	थलीसैंण	पौड़ी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सुनौली	ताकुला	अल्मोड़ा
4	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	क्यारा	रायपुर	देहरादून

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

21.1.7 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (SPMRM)

इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बनाये रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और योजनाबद्ध तरीके से रूर्बन कलस्टरों का सृजन करना है।

तालिका 21.8
श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत राज्य को तीन चरणों में कुल 06 कलस्टर चयनित किये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	चयनित कलस्टर का नाम	चरण	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	हरिद्वार	भगतनपुर–आबिदपुर	1	7
2	देहरादून	रानीपोखरी	1	11
3	टिहरी गढ़वाल	धनौल्टी	2	10
4	उत्तरकाशी	डुण्डा	2	5
5	ऊधमसिंह नगर	पहेनिया	3	7
6	बागेश्वर	कौसानी	3	12
कुल				52

स्रोतः विकसित होता उत्तराखण्ड (पत्रिका)

योजना के प्रथम चरण में जनपद हरिद्वार के भगतनपुर–आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के रानीपोखरी क्लस्टर मे कुल ₹ 206.57 करोड़ की डी0पी0आर0 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कलस्टर में कार्य प्रगति पर है। द्वितीय चरण में जनपद टिहरी के धनौल्टी एवं जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर में कुल ₹ 104.98 करोड़ की डी0पी0आर0 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कलस्टर में कार्य प्रगति पर है।

तृतीय चरण में जनपद उ0 सि0 नगर के पहेनिया कलस्टर तथा जनपद बागेश्वर के कौसानी कलस्टर में ₹ 101.33 करोड़ की डी0पी0आर0 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कलस्टर में कार्य प्रगति पर है।

21.1.8 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.):– इस विकास कार्यक्रम द्वारा सीमान्त जनपदों में आवासित आम–जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना सृजन कार्यक्रम संचालित है।

तालिका 21.9
सीमान्तक्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित जनपद एवं विकासखण्ड का विवरणः–

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	चम्पावत	चम्पावत
		लोहाघाट
2	चमोली	जोशीमठ
3	पिथौरागढ	धारचूला
		मुनस्यारी
		मुनाकोट
		कनालीछिना
4	ऊधमसिंहनगर	खटीमा
5	उत्तरकाशी	भटवाड़ी

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में भारत सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 3244.67 लाख तथा ₹ 4937.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। माह दिसम्बर, 2020 तक वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के सापेक्ष क्रमशः ₹ 2755.70 एवं 3103.96 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यों में व्यय की जा चुकी है।

राज्य पोषित योजनायें

21.1.9 मेरा गांव मेरी सड़क योजना– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 624.87 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 162.87 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 20 सड़कों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 17 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है जिसमें 4.23 कि०मी० सडक निर्मित की गई है। शेष 3 सड़कों पर पुनर्रीक्षित स्वीकृति शासन से अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 1347.63 लाख राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष ₹ 183.01 लाख की धनराशि 7 सड़कों हेतु अवमुक्त की गयी है, जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

21.1.10 इन्दिरा अम्मा भोजनालय– राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 42.15 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 40.60 लाख की धनराशि उपयोग की गयी है तथा 46154 व्यक्तियों द्वारा इन्दिरा अम्मा भोजनालयों में भोजन किया गया।

21.1.11 एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना (Integrated Livelihood Support Project- ILSP)

ग्रामीणों के आजीविका सुधार हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 28 नये विकासखण्डों में कुल 3,569 गाँवों में 14,180 उत्पादक समूहों के माध्यम से 1,31,722 परिवारों को विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दिया गया है।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

1– 161 संग्रहण केन्द्रों (Collection Center) एवं 690 लघु संग्रहण केन्द्रों (Small Collection Center) का निर्माण।

2– दिसम्बर, 2020 तक 3568 प्लास्टिक सिंचाई टेंक के निर्माण में आजीविका संगठनों को 85 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया।

3– दिसम्बर, 2020 तक कुल 24,398 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

4– दिसम्बर, 2020 तक कुल 6,501 युवाओं को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

5– 9,616 युवाओं द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है।

6– परियोजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, पौड़ी तथा चम्पावत के 7 विकासखण्डों में 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों (माइक्रो वाटरशैड)को विकसित किया जा रहा है।

7– वर्तमान तक कुल 1,681 उत्पादक समूह, 2,20 निर्बल वर्ग समूह तथा 30 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है, जिससे 22,420 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

8– 2,625 क्यू.मी कृषि योग्य भूमि का उपचार।

9– 3,352 क्यू.मी. पत्थरों से चेक डाम का निर्माण।

10– 69 छत जल संचयन टैंक का निर्माण।

11– 01 डोंगी तालाब निर्माण, ग्रामीण प्रवेश हेतु छोटे– छोटे पुलों का निर्माण एवं 3.177 कि.मी. सिंचाई चैनल निर्माण कर भूमि के सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की गयी।

परियोजना के सभी घटकों (उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, परियोजना समिति–जलागम प्रबन्ध निदेशालय तथा उपासक) द्वारा दिसम्बर 2020 तक कुल ₹ 62.66 करोड़ व्यय किये गये हैं।

21.1.12 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है।

योजना क्रियान्वयन की तिथि–योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय–योजना प्रारम्भिक चरण में है तथा कुल ₹ 20 करोड़ का वित्तीय प्रावधान इस वित्तीय वर्ष किया गया है।

21.1.13 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

राज्य पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारपरक/कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना क्रियान्वयन की तिथि–योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय–योजना प्रारम्भिक चरण में है तथा कुल ₹ 18 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

नई पहल

रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना

नई पहल के रुप में राज्य द्वारा आइफैड के वित्तीय सहयोग से दो रुरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना क्रमशः जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।

योजना की प्रमुख विशेषतायें

वर्तमान में राज्य में गठित विभिन्न सामुदायिक संगठनों/बेरोजगार युवाओं तथा स्थापित किये जा रहे सूक्ष्म उद्यमों का तकनीकी तथा ज्ञान आधारित सहयोग/वित्तीय लिंकेज/वित्तीय समावेशन में सहायता करना।

- सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार के आवश्यकीय पंजीयन हेतु Legal प्रक्रियाओं में सहयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करना।
- Enterpreneurs के समस्या निदान एवं स्थानीय Scalable Business Model चिन्हित करने, जागरूकता एवं क्षमता विकास, स्थानीय उत्पादों के Value Chain विकास, विपणन आदि सहगामी क्रियाकलापों में सहयोग।
- इस हेतु एक सशक्त समर्पित तकनीकी मानव संसाधन युक्त तंत्र की व्यवस्था की जा रही है, जिस हेतु आर0एफ0पी0 जारी की जा चुकी है एवं चयन प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

योजना क्रियान्वयन की तिथि–योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय–योजना प्रारम्भिक चरण में है। अवस्थापना विकास हेतु दोनों जनपदों को अवस्थापना पुनरूद्धार हेतु ₹ 109 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जबकि क्रियान्वयन एजेन्सी चयन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

21.2 पंचायती राज– भारतीय संविधान में शासन चलाने से सम्बन्धित कुछ निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख है इन्हें Directive Principles of State Policy कहते हैं, इन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि भारत की सरकार देश में ग्राम स्वशासन की दिशा में कार्यवाही करे। इस निर्देश के अनुपालन के लिए 1992 में संविधान में 73वॉ संशोधन किया गया।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें तथा नगर निकाय के विस्तारीकरण/गठन के फलस्वरूप 7791 ग्राम पंचायतें स्थापित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अर्न्तगत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में 05 वर्ष का कार्यकाल है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना, पंचायतों की आय हेतु आय के साधन जुटाना पंचायत क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, पथ प्रकाश, जल निकासी, स्वच्छता आदि की व्यवस्था, जन्म–मृत्यु का शत–प्रतिशत पंजीयन करना एवं अन्य रोजगार सृजन किया जाना है।

पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

21.2.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ हुई। पूर्व में यह राजीव गॉधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से संचालित थी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 प्रारम्भ होते ही अप्रैल, 2020 से प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी थी तथा सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निविदा भी आमंत्रित करने के साथ ही मई, 2020 के मध्य से प्रशिक्षण का कलैण्डर तैयार करते हुए भारत सरकार के साथ साझा भी किया गया था, किन्तु इस मध्य कोविड–19 महामारी से उपजी विषम परिस्थितयों के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है, तथापि पंचायत प्रतिनिधियों के कौशल वृद्धि हेतु अनौपचारिक रूप से मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 केन्द्रीय मंत्री पंचायतीराज की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आहूत कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य में सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के लगभग सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों ने अपने–अपने निवास स्थान से मोबाईल, लैपटॉप आदि उपकरणों के माध्यम से प्रतिभाग किया।

21.2.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जाती है, जो पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्यों पर व्यय की जाती है। उक्त धनराशि से पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्य कराये जाते हैं। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पचांयतों हेतु 35 प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं।

मानकों के अनुरूप संक्रमित धनराशि से प्रथमतः निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान किया जाता है। शेष धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि जलापूर्ति पर तथा अवशेष राशि सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैप्टेज प्रबंधन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, स्ट्रीट लाईट, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष इत्यादि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्यों पर व्यय की जाती है।

तालिका 21.10
व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पंचायतें	वर्ष	राज्य वित्त आयोग	
			आवंटन	व्यय
1	ग्राम पंचायतें	2019 -20	11518.00	1316.71
		2020 -21	862266.00	5972.62
2	क्षेत्र पंचायतें	2019 -20	8738.00	1406.13
		2020 -21	646663.00	4589.71
3	जिला पंचायतें	2019 -20	17059.37	7388.59
		2020 -21	1279449.00	11776.45
योग (माह दिसम्बर, 2020 तक)		**2019 -20**	**37315.37**	**10111.43**
		2020 -21	**2788378.00**	**22338.78**

स्रोतः पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।

21.2.3 चौदहवॉ वित्त– 14 वे वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार धनराशि ग्राम पंचायतों के निवर्तन पर रखी जा रही है, जिसे पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप, जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबन्धन सहित स्वछता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पतियों का रखरखाव, सड़को, फुटपाथों, स्ट्रीट लाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव जैसे–विकास/निर्माण कार्यो पर व्यय किया जाता है।

14वें वित्त में ग्राम पंचायतों हेतु प्राप्त एवं उपयोग की गयी धनराशि की स्थिति निम्नानुसार हैः–

- **मूल अनुदानः–**

तालिका 21.10
मूल अनुदान के रूप में वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक आवंटित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2015–16	20326.00	20326.00
2	2016–17	28145.00	28145.00
3	2017–18	32519.00	32519.00
4	2018–19	37619.00	37619.00
5	2019–20	50831.00	27500 .00
कुल		**169440.00**	146101.00

स्रोतः पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।

- **निष्पादन अनुदानः 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 02 मानक/शर्तें निर्धारित की गयी हैं :**

1. ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तक अपने समस्त लेखों की लेखा परीक्षा करायी गयी हो।

2. उन ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व/आय में वृद्धि की गयी हो।

वर्ष 2016–17 के सापेक्ष ₹ 36.92 करोड़ की धनराशि कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है, जिनका वितरण प्रदेश की 04 जनपदों क्रमशः हरिद्वार (41 ग्रा.पं.), देहरादून (26 ग्रा.पं.), पौड़ी (17 ग्रा.पं.) एवं उधमसिंहनगर (10 ग्रा.पं.) कुल 94 ग्राम पंचायतों के मध्य किया गया, जिसका उपभोग सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कर लिया गया है। वर्ष 2017–18 के सापेक्ष कार्य निष्पादन अनुदान हेतु 41.78 करोड़ की राशि की संस्तुति के सापेक्ष 21.58 करोड़ प्राप्त हुये जिसे पात्र पंचायतों को आवंटित किया गया है।

21.2.4 15वॉ वित्त आयोगः– 15वें वित्त आयोग के अनुदान से ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा

पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं के उपयोग के संबंध में परामर्श जारी किये गये है। **15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (50 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान/टाईड फण्ड (50 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।** आबद्ध अनुदान/टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण तथा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य गतिविधियों यथा मौजूदा पेयजल स्रोतों का संवर्धन, पंचायत अंतर्गत सामुदायिक भवनों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने, सेवा वितरण में सुधार के लिए मौजूदा जलापूर्ति प्रणालियों का पुनः संयोजन, दूषित जल उपचार एवं पुनः उपयोग, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सोक पिट, कम्पोस्ट पिट का संचालन और रख–रखाव, घरों से अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, सामुदायिक स्तर पर शौचालयों का पुनः संयोजन, जल निकासी नाली, सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट निपटान हेतु पृथकिकरण प्रणाली आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रथम किस्त कि रूप में कुल 287.00 करोड़ आवंटित हुए है।

21.2.5 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत 29 विषयों पर स्थानीय योजनायें बनाये जाने की व्यवस्था है। जी0पी0डी0पी0 की संरचना हेतु उस विशेष पंचायत के विभिन्न सामुदायिक व व्यक्तिगत योजनाओं के गैप की स्थिति का आंकलन किया जाना है। उक्त के क्रम में पंचायती राज व्यवस्था को सबल करने हेतु एस0डी0जी0 16 के अन्तर्गत संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए जी0पी0डी0पी0, बी0डी0पी0, डी0डी0पी0 तैयार करने हेतु नीतिगत विषयों के लिए सी0पी0पी0जी0जी0 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजन विभाग के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है।

वर्ष 2019–20 के प्रशिक्षण के क्रम में अवगत कराना है कि पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन माह दिसम्बर, 2019 में पूर्ण हुआ है। अब तक राज्य स्तर पर 81 मास्टर ट्रेनर तैयार किये गये हैं, जबकि लगभग 250 पंचायतीराज व रेखीय विभागों के कार्मिकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया। डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव येाजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में समस्त 7791 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाऐं प्लान प्लस पर अपलोड़ कर दी गयी है।

21.2.6 ई–पंचायत– ई–ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसका शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, के तहत सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी कार्य योजना (विकास योजना) इसी पोर्टल पर अपलोड करनी है और इसी पोर्टल के अनुरूप अन्य कार्य सम्पादित करने हैं। साथ ही सम्पादित कार्यो का भुगतान इसी पोर्टल के माध्यम से पी.एफ.एम.एस. से किया जाना है। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, जहॉ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनैक्टिविटी से सम्बन्धित समस्याऐं विद्यमान रहती हैं, के उपरान्त भी सभी पंचायतों द्वारा अपने अथक प्रयासों से उक्त कार्य/केन्द्र वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के शत–प्रतिशत भुगतान ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी एफ एम एस–प्रिआ सॉफ्ट इंटरफेस का उपयोग करते हुए सम्पादित किये जा रहे हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यो में पारदर्शिता, तकनीकी का उपयोग एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी के लिए पंचायतीराज सुलभ कराने मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत 11 एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं।

- **प्रिया साफ्टः**– ई–पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स एकॉउण्टिग सॉफ्टवेयर्स विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि के आवंटन एवं भुगतान करना है।
- **प्लान प्लसः**– इसका उद्देश्य नियोजन का विकेन्द्रीकरण करना तथा जिला स्तर पर सैक्टर वार योजनाओं के निर्माण को सरल बनाना है।
- **एल.जी.डीः**– लोकल गर्वनमैन्ट डायरेक्टरी का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतो की राजस्व प्राप्तियों को आनलाईन करना है।
- **एरिया प्रोफाईलरः**– इसका उद्देश्य स्थानीय शासन को जनसांख्यिकीय लोक अवस्थापना, निर्वाचन एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूचना को व्यवस्थित करना है।
- **नैशनल एसेट डायरेक्टरीः**– इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य ग्रामीण संस्थाओं द्वारा निर्मित/संग्रहित/अनुरक्षित सम्पत्तियों का ब्योरा रखना है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर पालिका आदि की परिसम्पत्तियों का भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्यौरा संरक्षित किया जाता है।
- **सर्विस प्लसः**– इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक ही पोर्टल में संग्रहित करना है। इस पोर्टल पर व्यापार अनुज्ञापत्र, निर्माण कार्य, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य उपभोक्ता उपयोगी सेवाएं अवस्थित हैं, जिनका उपयोग साधारण जनमानस द्वारा किया जा सकता है।
- **एक्शन–सॉफ्टः**– इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों व लाईन विभागों द्वारा अनुमोदित एक्शन प्लान के अर्न्तगत करवाएं जा रहे कार्यो का भौतिक एंव वित्तीय प्रगति के आंकड़ें रखे जाते है तथा इनका अनुश्रवण किया जाता है।
- **सोशल ऑडिट एण्ड मीटिंग मैनेजमेण्टः**– सामाजिक लेखा परीक्षा एंव अधिवेशन प्रबन्ध सॉफ्टवेयर का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का सामाजिक ऑडिट करना है।
- **नेशनल पंचायत पोर्टलः**– राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल समस्त पंचायत वेबसाइट के समूह का नाम है जिसका कार्य सम्पूर्ण भारत की पंचायतों जैसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्यों के पंचायती राज विभागों हेतु वेबसाइट/आकड़े बनाना है।
- **ट्रैनिंग मैनेजमेण्ट पोर्टलः**– इस पोर्टल का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों/निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी प्रशिक्षण आवश्यक्ताओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु मंच उपलब्ध करवाना है।
- **जी. आई. एसः**– इसके अर्न्तगत उपरोक्त समस्त सॉफ्टवेयर्स में संग्रहित/संरक्षित डाटा/सूचनाओं को एक लेयर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यह सॉफ्ट्वेयर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विकसित किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के पी0एफ0 एम0एस0 सॉफ्ट्वेयर की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में राज्य वित्त की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

आई0टी0 के क्षेत्र में हुआ विकास, भारतनेट फेज–2 को 2000 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी:– पिछले साढ़े तीन साल में सूचना प्रौद्योगिकी ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की हैं। इन वर्षों में नवीनतम तकनीकी आधारित ग्रीन स्टेट डाटा की स्थापना की गई। उत्तराखण्ड की 5911 ग्राम पंचायतों को भारतनेट फेज–2 के अन्तर्गत आच्छादित कर इंटरनेट व दूरसंचार सेवा दिए जाने की ₹ 2 हजार करोड़ की परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। उत्तराखण्ड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (UKSWAN) के अपग्रेड 5 जनपदों में प्रथम चरण पूर्ण व दूसरे चरण में 8 जनपदों मे अपग्रेड हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है, लगभग 1600 कार्यालय UKSWAN से जुडे हैं।

21.2.7 पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना– पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने हेतु यह योजना वर्ष 2011–12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा यह योजना दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के नाम से संचालित है। योजनारम्भ से अभी तक 8 जिला पंचायतों, 16 क्षेत्र पंचायतों तथा 30 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। विषय आधारित श्रेणियों में 09 विषय सम्मिलित है– 1. स्वच्छता, 2. नागरिक सेवायें यथा पेयजल, स्ट्रीट लाईट, आधारभूत संरचना, 3. प्राकृतिक संसाधनों को प्रबन्धन, 4 हाशिये पर रहने वाले वर्गों (महिलाऐं अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक) के लिए कार्य, 5. सामाजिक सेक्टर मे कार्य उपलब्धी, 6. आपदा प्रबन्धन, 7. समुदाय आधारित संगठन (CBOs)/व्यक्तियों द्वारा पंचायतों को समर्थन देने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही, 8 राजस्व वृद्वि/सृजन में नवाचार, 9. ई–गवर्नेंस।

21.2.8 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति– ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए "स्वच्छ गॉव समृद्व गॉव" के उददेश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पंचायतों मे ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के तहत 08 ग्राम पंचायतों के भोगपुर क्लस्टर, विकास खण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून में इण्डस इण्ड बैंक के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत पायलट आधार पर संचालित किया जा रहा है।

सम्पूर्ण प्रदेश में उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को लागू करते हुए अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य कार्य चरणबद्व रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सभी पंचायत प्रतिनिधियों/पंचायत कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से विकास खण्ड/जनपद मुख्यालय/राज्य मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

जनपद हरिद्वार में कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग फैसिलिटी की स्थापना का कार्य गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम चरण में 95 ग्राम पंचायतों में कॉम्पैक्टर की स्थापना हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

21.2.9 कोविड–19 के दौरान पंचायत राज कर्मियों द्वारा तकनीकी का प्रयोग:–

कोविड–19 के दौरान पंचायती राज कर्मियों द्वारा

निम्न प्रकार से तकनीकी का प्रयोग करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया गया–

- ई–ग्राम स्वराज एवं पी. एफ. एम. एस. विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें कुल 932 कार्मिकों ने प्रतिभाग किया।
- उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में स्थापित 500 वर्चुअल क्लास रूम (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम) के माध्यम से 3190 नवनिर्वाचित प्रधान तथा 487 पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं रेखीय विभागों के कार्मिक सहित कुल 3549 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जनपदों से 35 प्रधानों सहित कुल 400 अधिकारी, कार्मिक एवं निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
- अधिकारियों एवं कार्मिकों का ऑनलाईन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त विभागीय योजनाओं, केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों, सतत विकास लक्ष्य, जी पी डी पी तथा प्रशिक्षण की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया।
- पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर समस्त विकास खण्डों के नोडल अधिकारियों, समस्त कार्मिकों, समस्त ग्राम पंचायत प्रधानों, समस्त जिला पंचायत अध्यक्षों / उपाध्यक्षों, समस्त प्रमुख क्षेत्र पंचायतों तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के व्हट्स ऐप ग्रुप तैयार किये गये हैं तथा दिनांक 8 जून, 2020 को उक्त सभी पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी समस्या समाधान हेतु निदेशालय के अधिकारियों के दूरभाष नं0 साझा किये गये हैं।
- दिनांक 8 जून, 2020 को उक्त दूरभाष नं0 पंचायतों के साथा साझा किये जाने के उपरान्त प्रत्येक दिन 100 से अधिक समस्याओं का ऑनलाइन निस्तारण किया गया, जिसमें समस्त विभागीय योजनाओं, केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों, सतत विकास लक्ष्य, जी पी डी पी तथा प्रशिक्षण की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला गया।
- 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में जिला पंचायतों / क्षेत्र पंचायतों की विकास योजना / नियोजन हेतु पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से आहूत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 29 प्रतिभागी उपस्थित रहे, जिनमें पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं नियोजन विभाग के उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्य थे। इस कॉन्फ्रेंस द्वारा हिमालयी राज्यों को जनपद पंचायत / ब्लॉक पंचायतों के संदर्भ में नियोजन प्रक्रिया पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- NIRD & PR, हैदराबाद द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्य पर 04 दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें सतत् विकास लक्ष्य के विभिन्न 17 लक्ष्यों पर ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर्भ में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
- मा0 प्रधान मंत्री / मा0 मुख्य मंत्री एवं मा0 मंत्री पंचायतीराज के कार्यक्रमों से एक ओर जहाँ निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्मिकों को पंचायत के विभिन्न कार्यक्रमों तथा उनके पदेन कर्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर इनके क्षमता विकास के उद्देश्यों को भी पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हुई है।
- अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रतिभागियों को ई–ग्राम स्वराज, पी. एफ. एम. एस., स्वामित्व, रोजगार वृद्धि, कोविड–19, सतत विकास लक्ष्य, ग्राम पंचायत विकास योजना आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है।

कोविड–19 के दौरान पंचायतों द्वारा किये गये कार्य

1– कोविड–19 के दौरान पंचायतों द्वारा जन–जागरूकता हेतु दीवारों पर वॉल पेंटिंग, पब्लिक एनाउसमेंट व सोशल मीडिया के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाया गया।

2– ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियो एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से चिन्हिकरण कर होम आईसोलेशन/क्वारंटाईन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

3– राशन डीलरों के माध्यम से जरूरतमंदों को राशन बटवांया गया।

4– ग्राम पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु गोले बनवाये गये।

5– आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा वर्कर्रों, ए0एन0एम0, पुलिस/राजस्व कर्मचारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जन–जागरूकता व मौलिक कर्तव्यों की जानकारी हेतु उचित मंच उपलब्ध कराया गया।

अध्याय–22
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

22.1 राज्य सरकार द्वारा "सतत विकास लक्ष्य 2030" के अर्न्तगत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्को की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

वर्तमान में राज्य के स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 22.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2020/वर्तमान
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	63	72	91
1.1	नगर निगम (संख्या)	01	06	08
1.2	नगर पालिका परिषद (संख्या)	31	28	41
1.3	नगर पंचायत (संख्या)	31	38	42
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	28.58
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	विनियमित क्षेत्रों की संख्या	21	21	शून्य (जिला सतरीय विकास प्राधिकरण घोषित होने के कारण विनियमित क्षेत्र समाप्त हो गये।)
5	अन्य आवास एवं विकास परिषद आदि की संख्या	01	01	01

स्रोतः शहरी विकास विभाग एवं आवास विभाग।

स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

तालिका 22.2

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	**जनसंख्या**	**स्थानीय निकाय तथा सेंसस टाउन की संख्या**
2001 (जनगणना 2001)	21.79 लाख (25.70%)	**83**
2011 (जनगणना 2011)	34.48 लाख (34.19%)	**91**

स्रोतः जनगणना 2001 एवं 2011।

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रूझान है।

शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ता दबाव

- जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार गत दस वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों से पलायन कर कुल 17.10 लाख व्यक्ति राज्य के शहरी क्षेत्रों में आये।
- वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कुल 368.53 लाख पर्यटकों द्वारा पर्यटन हेतु भ्रमण किया गया जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का तीन गुने से भी अधिक है।

इतने अधिक जनसंख्या के प्रवाह को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनायें गतिमान हैं। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत डेवपलमेन्ट ऑफ स्मार्ट अरबन क्लैस्टर प्रोजेक्ट (DSUCP) के तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में राज्य में 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायतों सहित कुल 91 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 634.02 करोड़ धनराशि प्राविधान की गई है और दिसम्बर, 2020 तक ₹ 343.50 करोड का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 22.3
स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्रोत से	राज्य/केन्द्र से प्राप्त	
1	2017-18	11350.70	89256.57	98025.00
2	2018-19	13007.10	87085.00	76767.00
3	2019-20	13994.60	89440.00	72198.00
4	2020-21 प्रस्तावित	11000.00	150302.00	73802.40

स्रोतः शहरी विकास विभाग।

ग्राफ 22.1

स्रोतः शहरी विकास विभाग।

तालिका 22.3 एवं ग्राफ 22.1 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय नाम मात्र है (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 (प्रस्तावित) हेतु क्रमशः 17%, 19% एवं 15%)।
- गत 10 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक वृद्वि हुई हैं साथ ही राज्य/केन्द्र से प्राप्त धनराशि में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक स्वयं के स्रोतों से आय में गत वर्षों की अपेक्षा वृद्वि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के कारण निकायो की स्वयं के स्रोत की आय में कमी दर्ज की गयी है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2018–19 में कुल आय (चालू एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मिलित) के सापेक्ष कुल व्यय (चालू एवं पूँजीगत व्यय सम्मिलित) का प्रतिशत 83.75 है। ग्राफ 22.2 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

ग्राफ 22.2

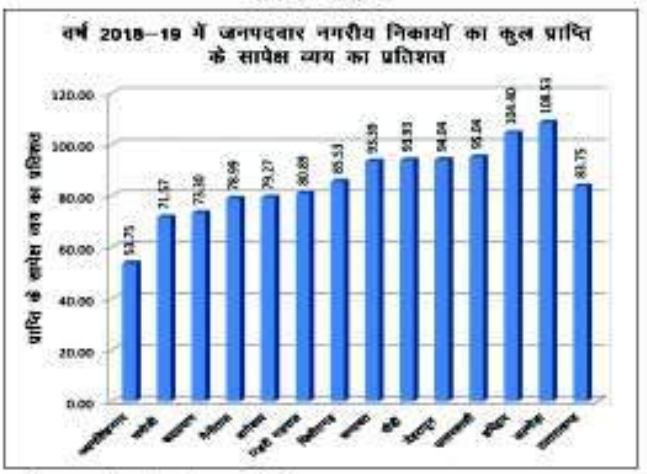

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट है कि जनपद अल्मोड़ा मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 108.53 है जो कि सबसे अधिकतम है तथा जनपद उधमसिंह नगर मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 53.75 है जो कि सबसे कम है। व्यय में पूंजीगत व्यय सम्मिलित होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत हुआ है।

ग्राफ 22.3 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2018–19 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूँजी निर्माण पर ₹ 29323.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

ग्राफ 22.3

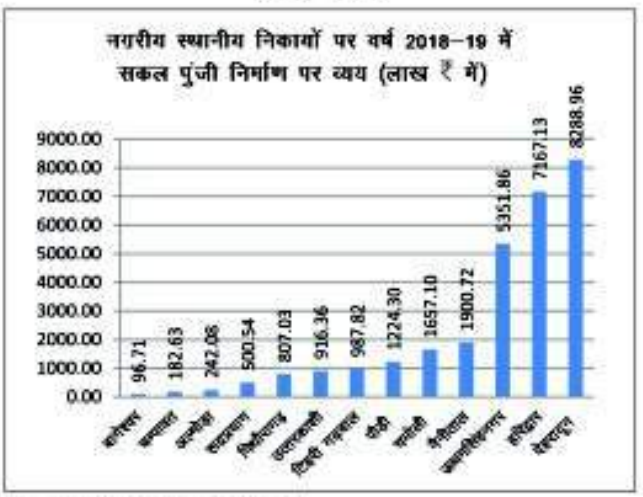

स्रोतः शहरी विकास विभाग।

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद बागेश्वर में पूँजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद देहरादून में सबसे अधिक है।

कोविड–19 के बढते संक्रमण से बचाव हेतु नगरीय निकायों मे किये गये कार्यों का विवरण–

1– निकायों के अन्तर्गत जन–जागरूकता, प्रचार–प्रसार हेतु लगाये गये वाहनों की संख्या–148

2– सार्वजनिक सैनिटाईजेशन हेतु लगाये गये वाहन– 92

3– सार्वजनिक सेनिटाईजेशन हेतु लगाये गये कार्मिक– 411

4– सैनिटाईजेशन किये गये सार्वजनिक स्थानों यथा कार्यालयों/बस स्टशन/रेलवे स्टेशन/बाजार/मोहल्लों आदि में संक्रमण रोधी दवा के छिड़काव की मात्रा (ली0 में) – 12769

5– निकायों के अन्तर्गत समस्त वार्डो/मलिन बस्तियों में डेंगू रोग की रोकथाम हेतु प्रतिदिन उपयोग की गयी दवा की मात्रा (ली0 में)– 570

6– सैनिटाईज किये गये व्यक्तिगत भवनों की संख्या– 10275

7– सोशल डिस्टैसिंग/सुरक्षित दूरी में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों/संस्थाओं/कार्यालयों के विरूद्ध काटे गये चालान– 11

8– सोशल डिस्टैसिंग/सुरक्षित दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों/संस्थाओं/कार्यालयों से वसूली गयी धनराशि– 1300 रूपये

मास्क पहनने/मास्क न पहनने वालों का एक सर्वे कराया गया जिसमें 84.36 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा मास्क सही ढंग से पहना गया था, 9.66 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा मास्क पहना गया किन्तु नाक व मुंह खुला था एवं 5.98 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा मास्क नही पहना था।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020.21 में माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 22082.30 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है और दिसम्बर, 2020 तक ₹ 22082.30 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

22.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM)

मिशन के प्रमुख घटक

- **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 140 लक्ष्य के सापेक्ष 353 महिला स्वयं सहायता समूहों व 11 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 24.90 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी तथा 1800 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन किया गया।

- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** अन्तर्गत 380 लक्ष्य के सापेक्ष 685 लाभार्थियों को ₹ 856.25 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।

- **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 20321 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 19730 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप 20321 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।

- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 12697 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैकों द्वारा 7830 आवेदन पत्रों को ₹ 7.83 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है। **इस योजना में 10 हिमालयी राज्यो की रैकिंग में उत्तराखण्ड राज्य प्रथम स्थान पर है।**

- **कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार** के अन्तर्गत 8000 लक्ष्य। प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण। कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण कार्य नही कराये जा सके।

- वर्ष 2020–21 में ₹ 1800.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक ₹ 80.31 लाख का व्यय हुआ है।

22.3 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR SMALL & MEDIUM TOWNS):–

यह योजना राज्य के हल्द्वानी, मुनिकीरेती, नरेन्द्रनगर, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी, बडकोट, पुरोला, रूद्रप्रयाग, गोपेश्वर, मंगलौर व मसूरी नगर निकायों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण, पुरातत्व क्षेत्रों आदि के विकास हेतु कुल ₹ 192.48 करोड़ की 14 परियोजनायें स्वीकृत है।

- परियोजना के अन्तर्गत मसूरी में 01 सीवरेज परियोजना लागत ₹ 61.73 करोड़, मंगलौर में पेयजल योजना लागत ₹ 35.86 करोड़, नगर निगम, हल्द्वानी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन लागत ₹ 34.88 करोड़ तथा 10 निकायों में सड़क व जल निकासी की योजना हेतु ₹ 43.36 करोड़ व्यय किया गया है।

22.4 स्वच्छ भारत मिशनः–

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैः–

- व्यक्तिगत घरेलु शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जन जागरूकता।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशिः– भारत सरकार द्वारा ₹ 10800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 1200.00 कुल ₹ 12,000.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान

1–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 22000 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 5640 शौचालय निर्माणाधीन है।

2–सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2000 के सापेक्ष 1408 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 1071 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है।

3–सार्वजनिक मूत्रालय के कुल लक्ष्य 750 के सापेक्ष 227 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 523 सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

4– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid and Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 1190 वार्डों में से 1190 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ तथा 926 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ। जिसमें 09 कैन्ट बोर्ड सम्मिलित है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 33257.31 लाख की डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 88 निकायों हेतु 62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी0पी0आर0 पर Technical Appraisal का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- योजना अन्तर्गत कुल ₹ 8850.10 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष ₹ 8553.56 लाख का व्यय हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर 2020 तक ₹ 923.39 लाख व्यय हुआ हैं।

22.5 अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर पालिका परिषद् (नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 18507.98 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 15598.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुए है, जिसे व्यय किया गया है । योजना प्रारम्भ सें दिसम्बर 2020 तक अमृत योजना में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 360.99 करोड़ के सापेक्ष ₹ 303.36 करोड़ व्यय किया गया।

- योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 8 पूर्ण एवं 39 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
- सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 21 योजनायें पूर्ण एवं 20 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
- ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 3 योजनायें पूर्ण एवं 13 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- Green Space में पार्क की कुल 44 योजनाओं के सापेक्ष 22 पूर्ण एवं 22 योजनाओं पर योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

22.6 प्रधानमंत्री आवास योजनाः— प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है—

1. निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन—सिटू पुनर्विकास— प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।

2. Credit Linked Subsidy के माध्यम से EWS (30 वर्ग मी0 आवास) तथा LIG (60 वर्ग मी0 आवास) हेतु किफायती आवास के अर्न्तगत ₹ 6.00 लाख तक के ऋण पर 15 वर्षो तक 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जाना है।

3. निजी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership)- प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहॉ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो।

4. योजना अन्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अन्तर्गत 173 परियोजनायें में 17215 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 8606 आवासों पर कार्य प्रगति पर है व 1586 आवास पूर्ण कर लिए गये है। भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत 15 परियोजनाओं में 13180 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है। जिनमें से 464 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिए गये है।

5. राज्य में 91 निकायो में आवास माँग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है जिसमें कुल आवास माँग 85648 है।

6 वर्तमान में बी०एल०सी० घटक के अंतर्गत कुल 17826 मॉग प्राप्त है जिसमें से 17215 आवासों को भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

7. वर्ष 2020—21 में ₹ 90.13 करोड का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2020 तक ₹ 15.72 करोड अवमुक्त हुआ है, जिसका व्यय किया गया है।

22.7 स्मार्ट सिटी मिशनः— केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अर्न्तगत देहरादून नगर के चयनित वार्डो के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1000.00 करोड़ प्राविधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान में परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करेगा, के स्थापित करने की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2020—21 में ₹ 9228.60 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसमें से ₹ 4100.00 लाख स्मार्ट सीटी को अवमुक्त किया गया।

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यः–

1. स्मार्ट स्कूल, 2. वाटर ए0टी0एम0, 3. स्मार्ट रोड, 4. दून एकीकृत कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर, 5. स्मार्ट टायलेट, 6. पेयजल आपूर्ति संवर्धन, 7. परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्वार, 8. पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास, 9. मॉडर्न दून लाइब्रेरी, 10. स्मार्ट पोल, 11. सीवर लाईन कार्य 12. राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, 13. ग्रीन बिल्डिंग, 14 इलैक्ट्रिक बस आदि।

1– स्मार्ट स्कूलः– योजना के अन्तर्गत 03 राजकीय विद्यालयों (1. रा0बा0इ0 कालेज, राजपुर रोड, 2. रा0इ0का0 खुडबुड़ा, 3. रा0कन्या जूनियर हाईस्कूल खुडबुड़ा) में स्मार्ट शिक्षा एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने की सुविधायें जिसमें 26 स्मार्ट क्लासेस, 80 कम्प्यूटर युक्त लैब आदि की व्यवस्था। कार्य की कुल लागत ₹ 5.05 करोड़ जिसके सापेक्ष व्यय ₹ 4.02 करोड़।

2– वाटर ए0टी0एम0:– योजना के अन्तर्गत दून शहर में कुल 24 वाटर ए0टी0एम0 लगाये जाने है जिसमें से 15 वाटर ए0टी0एम0 लग चुके हैं। (गाँधी पार्क, दीनदयाल पार्क, दून अस्पताल, कचहरी परिसर, रिस्पना पुल आदि)

3– स्मार्ट रोडः– योजना के अन्तर्गत कुल 8.1 किमी0 के चार मार्ग (राजपुर रोड, ई0सी0 रोड़, चकाराता रोड व हरिद्वार रोड) का विकास किया जाना प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 203.23 करोड़ के सापेक्ष व्यय ₹ 50 करोड़।

4– दून एकीकृत कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर के अन्तर्गत पुलिस सर्विलांस एवं निगरानी सम्बन्धित कार्यों व स्वचलित प्रणालियों के संचालन में सहायक होगा। कार्य की कलु लागत ₹ 294.23 करोड़ है। (वी0एम0डी0 बोर्ड / सी0सी0टी0वी0 / स्मार्ट ट्रैफिक लाइट आदि)

5– स्मार्ट टायलेट योजना के अन्तर्गत 07 स्थानों पर स्मार्ट शौचालय का निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें से कलैक्ट्रेट परिसर का स्मार्ट टायलेट कार्यरत है। शेष पर कार्य प्रगति पर है कुल लागत ₹ 1.81 करोड़ है।

6– पेयजल आपूर्ति संवर्धन के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य तथा नलकूप एवं डिस्ट्रीब्यूशन मेन का कार्य किया जाना है। कुल लागत ₹ 32.50 करोड़ है।

7– परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्वार के अन्तर्गत सड़क कार्य, ड्रैनेज कार्य, वर्षा जल संग्रहण टैंक, लैडस्केपिंग कार्य तथा जलापूर्ति कार्य प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 21.19 करोड़ है।

8– पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास योजना हेतु कुल लागत ₹ 13.81 करोड़ है।

9– मॉडर्न दून लाईब्रेरी योजना के अन्तर्गत दून लाईब्रेरी के निकट लैंसडौन चौक के सामने मॉडर्न दून लाईब्रेरी का नया बहुमंजिला भवन (04 मंजिला) प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 12.33 करोड़ है।

10– स्मार्ट पोल योजना के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 नेटवर्क (लगभग 10 किमी0 से अधिक) इन्टेलीजेन्ट पोल (130 नग) वाई–फाई प्वाइंट (30 नग) स्मार्ट एल0ई0डी0 (60 नग) का कार्य प्रस्तावित है। कुल लागत ₹ 57 करोड़।

11– सीवर लाईन कार्य के अन्तर्गत ए0डी0बी0 क्षेत्र में सीवर लाईन का कार्य प्रस्तावित है। (पल्टन बाजार में परेड ग्राउण्ड के तीनों ओर, दर्शन लाल चौक से गांधी रोड़ होते हुए सहारनपुर चौक, तिलक रोड़ से सहारनपुर चौक लूनिया मौहल्ला में) कुल लागत ₹ 28.41 करोड़।

12– राष्ट्रीय ध्वज स्मारक के अन्तर्गत 100 फीट ऊचाँई का राष्ट्रीय ध्वज दिलाराम चौक के निकट स्थापित किया जाना है।

13– ग्रीन बिल्डिंग योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु बहुमंजिला इमारत वर्तमान में कलैक्ट्रेट देहरादून की भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भवन Green Rating for Integrated Habitat Assessment के मानदण्डों के अनुसार बनाया जायेगा। कुल लागत ₹ 187.75 करोड़।

14– इलैक्ट्रिक बस योजना के अन्तर्गत शहर में कुल 30 इलैक्ट्रिक बस लाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षण के रूप में 01 बस वर्तमान में शहर में चल रही है योजना की कुल लागत ₹ 66.68 करोड़ है।

22.8 स्मार्ट सिटी परियोजना के अर्न्तगत स्मार्ट सिटी विजन के संदर्भ बिंदुओं के रूप में सतत् विकास लक्ष्यों के मापदंडों के साथ स्वस्थ और सुरक्षित नागरिकों के साथ एक ग्रीन स्वच्छ और आर्थिक रूप से जीवंत शहर की परिकल्पना की गई है। छोटे बच्चों की रक्षा और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए शहर के बच्चों के लिए अनुकूल एक व्यापक गतिशील योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 ₹ 2664.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है, योजना हेतु अभी धनराशि प्राप्त होनी है।

बाह्य सहायतित योजना–

22.9 नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतानः– इस परियोजनान्तर्गत नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की व रामनगर में सीवरेज व पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों से वहां के लोगों को बेहतर पेयजल व ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों में जलापूर्ति एवं सीवरेज सुविधाओं के लिये वृहद् नियोजन किया गया है। परियोजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में ₹ 116.00 करोड का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक ₹ 14.50 करोड का व्यय हुआ। योजनान्तर्गत विभिन्न शहरों में स्थिति निम्नानुसार है:–

1. देहरादून शहर में 68 एम0एल0डी0 सीवरेज शोधन संयत्र का निर्माण पूर्ण, 126 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया।

पुरूकुल ग्राम में 15 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं कमिशनिंग, शहंशाही में 14 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का पुर्नस्थापन, दिलाराम में 7.5 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण एवं 20 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का पुर्नस्थापन। बादल नदी पर कंक्रीट वियर का निर्माण लगभग 7500 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

2. रूड़की शहर में 196 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, एवं कमिशनिंग का कार्य पूर्ण, लगभग 17000 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

80 कि0मी0 सीवर लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 33 एम.एल.डी. सीवर शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है।

3. रामनगर शहर में 11 एम0एल0डी0 जल शोधन संयत्र का निर्माण, 4 उर्ध्व जलाशयों का निर्माण, 57.3 कि0मी0 लम्बी जलापूर्ति पाईप लाईन बिछाने का कार्य, 7862 घरों में जलापूर्ति पाईप लाईन का संयोजन।

4. हल्द्वानी शहर में 16 उर्ध्व जलाशयों एवं 1 भूमिगत जलाशय का निर्माण, 10.6 कि0मी0 राईजिंग मेन पाईप लाईन के बिछाने का कार्य, 2 नये पम्प हाऊस का निर्माण एवं 1 पम्प हाऊस का पुर्नस्थापन

5. नैनीताल शहर में 46 पम्पिंग उपकरणें का प्रतिस्थापन एवं 4 नलकूपों का निर्माण। 107 कि0मी0 जल वितरण तंत्र का निर्माण। 10 स्टील एवं 10 आर0सी0सी0 जलाशयों का निर्माण। 5 ट्रान्सफॉर्मरों का स्थापन एवं कमिशनिंग। 4 नये

पम्प हाऊसों का निर्माण कार्य। 2 नये पम्प टैंको का निर्माण। 1 वाटर साफ्टनिंग प्लांट का निर्माण। 6000 ए.एम.आर. वाटर मीटर लगाये गये है।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अर्न्तगत वर्ष 2020–21 में प्राविधानित ₹ 5180.11 लाख के सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक ₹ 205.87 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरणः–

22.10 उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय शहरी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020–21 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान है, धनराशि अवमुक्त की जानी है।

22.11 नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development)- इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2020–21 में ₹ 2200.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 363.10 लाख 06 नगर निकाय क्रमशः दिनेशपुर, गूलरभोज, मुनीकीरेती, अगस्तमुनी, गजा एवं शक्तिगढ को अवमुक्त किया गया है।

22.12 श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (ए0बी0सी0) कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस तीन नगर निकायों देहरादून, मसूरी, नैनीताल में संचालित है तथा हल्द्वानी और रुद्रपुर में निर्माण प्रगति पर है। हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, कोटद्वार, नगर निगम, में निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 2020–21 में ₹ 500.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 41.45 लाख रूद्रपुर एवं देहरादून को अवमुक्त किया गया।

22.13 रैन बसेरों का निर्माण योजना हेतु वर्ष 2020–21 में ₹ 200.00 लाख का बजट में प्रावधान है।

22.14 नगर पालिकाओं में पार्कों की स्थापना योजना के अर्न्तगत नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्कों के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्कों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है।

22.15 सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि को राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेडी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 10.00 लाख का परिव्यय है।

22.16 हाईटेक शौचालयों का निर्माण– यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु नगर निकाय नई टिहरी, रूडकी, बडकोट, चम्बा, गगोत्री, घनसाली, टनकपुर में हाईटेक शौचालय निर्माण पूर्ण हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपये 700.00 के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 34.34 लाख नगर निकाय धारचूला, खटीमा बद्रीनाथ में योजना निर्माण हेतु स्वीकृत है।

22.17 सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जाचं आदि कराना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 20.00 लाख के बजट प्राविधान है।

22.18 सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोच्च योगदान देने पर पुरस्कृत किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 20.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है।

आवास विभाग

22.19 आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

- उत्तराखण्ड राज्य के तीन विकास प्राधिकरण मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण तथा दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू हो चुका है। 11 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में मास्टर प्लान लागू करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
- Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में मानचित्र स्वीकृति प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से किये जाने हेतु मार्च 2019 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा अपने Flagship Programme Ease of Doing Business के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये Business Reforms Action Plan (BRAP) के अनुसार Online Map Approval System लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तदक्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित प्रारूप में ऑनलाइन मैप एप्रुवल सिस्टम प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य प्राधिकरणों में जिसमें निकाय क्षेत्र भी सम्मिलित है, में उक्त प्रणाली से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। भारत सरकार की अमृत योजना में भी निकाय क्षेत्रों की मानचित्र स्वीकृति ऑनलाइन माध्यम से कराये जाने की बाध्यता है।
- वर्तमान में प्रथम चरण में समस्त प्राधिकरणों में Online Map Approval System Module को लाईव कर दिया गया है। दिसम्बर 2020 तक राज्य में ऑनलाइन माध्यम से कुल 6145 मानचित्र स्वीकृत किये गये है।

22.20 कोविड–19 के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर रिर्वस पलायन के अन्तर्गत लौटे प्रवासियों हेतु किये गये विशेष प्रयासों का विवरण:– कोविड–19 महामारी के कारण माह मार्च 2020 से ही देशभर में लॉक डाउन के कारण निर्यात यातायात तथा आर्थिक गतिविधियों का जनसामान्य के समग्र जीवन में व्यापक असर पड़ा है। इसका स्वाभाविक प्रभाव राज्य के लोगों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं के आर्थिक गतिविधियों में भी पड़ा है। अतः विभाग द्वारा इस संबंध में किये जा रहे विशेष प्रयासों के अर्न्तगत राज्य में बड़े पैमाने पर रिवर्स पलायन के अन्तर्गत लौटे प्रवासियों में से महिलाओं को रोजगार

उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें महिलाओं को कियोस्क बनाकर मुख्य सड़क के किनारे तथा व्यवसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों तथा मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख स्थलों में आवंटन किया जायेगा। आवास विभाग को 5100 कियोस्क का निर्माण किये जाने का लक्ष्य प्रदान किया गया है जिस हेतु उत्तराखण्ड आवास व नगर विकास प्राधिकरण (उडा) द्वारा मसूरी, नैनीताल, केदारनाथ, बद्रीनाथ के अतिरिक्त राज्य के अन्य जनपदों के ऐसे स्थानों जो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं, में भी कियोस्क निर्माण कर स्थापित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना दिनांक 02.12.2020 को लागू की गयी है।

22.21 राज्य में विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्रों में वाहन पार्किंग विकसित किये जाने हेतु पार्किंग नीति प्रस्तावः– विभिन्न स्थानों में वाहन पार्किंग विकसित किये जाने हेतु लोक–निजी भागीदारी में पार्किंग योजनाओं का निर्माण किये जाने हेतु तथा निजी–भूस्वामियों को पार्किंग विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से वाहन पार्किंग नीति लायी जा रही है।

22.22 राज्य मे समेकित विकास हेतु वर्ष 2031 तक विज़न डॉक्यूमेंटः– उत्तराखण्ड राज्य में मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों मे एक समान अवस्थापकीय सुविधाओ, आवासीय सुविधाओं व पर्यटन सम्बन्धित सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2031 तक विज़न डॉक्यूमेंट एवं रोड मैप बनाया गया है। विंजन डाक्यूमेंट मे पर्वतीय क्षेत्रों मे भी एकीकृत टाउनशिप विकास तथा सामाजिक व मंनोरजन हेतु सुविधाओं को विकसित किये जाने मे सहायता प्राप्त होगी। इसके अन्तर्गत डोईवाला क्षेत्र में वृहद टाउनशिप निर्माण हेतु कान्सेप्ट प्लान विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

22.23 उत्तराखण्ड राज्य में Real Estate कारोबार से जुडे एजेंट तथा Builders हेतु भूसंपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 रेरा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्लॉट या मकान/फ्लैट बनाने से सम्बन्धित एजेंट व Builders को RERA के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक कर दिया गया है। RERA के अन्तर्गत राज्य में 299 परियोजनाओं तथा 314 एजेन्टस का पंजीकरण किया जा चुका है तथा अब तक प्राप्त 766 शिकायतों में से 470 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है तथा अवशेष पर कार्यवाही गतिमान है।

- आमजन की सुविधा के दृष्टिगत रेरा के अन्तर्गत बिल्डरों व ऐजेन्टों के पंजीकरण किये जाने तथा आमजन द्वारा शिकायत किये जाने हेतु ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है जिसके माध्यम से ही पंजीकरण व शिकायत संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

22.24 प्रधानमंत्री आवास योजनाः– राज्य मे प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्टनगर, देहरादून में 224 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आमवालातला देहरादून में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के आवंटन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। केन्द्र सरकार के प्रत्येक आवास ₹ 1.50 लाख की दर से दोनो आवासीय योजनाओं हेतु ₹ 696.00 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की

गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्येक आवास ₹ 1.00 लाख की दर से कुल ₹ 464.00 लाख का राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त धौलास क्षेत्र में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों तथा राजपुर रोड क्षेत्र में 886 ई0, डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण की स्वीकृत केन्द्र सरकार से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- रूद्रपुर आवास हीन परिवारों के लिये नयी निर्माण तकनीक मोनोलेथिक निर्माण विधि के माध्यम से 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण किये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1123.20 लाख का अनुदान राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। उक्त परियोजना जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर द्वारा अनुमोदित कर वाप्कोस को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित कर दिया गया है।
- हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण आवास हीन परिवारों हेतु 528 ई0डब्ल्यू0एस0 की इन्द्रलोक आवासीय योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत करायी गयी। केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 316.80 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है। योजना मे निविदा प्रक्रिया अन्तिम चरण मे है।
- आवास विकास परिषद उत्तराखण्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 9 विभिन्न परियोजनायें जिसमें 9208 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का डी0पी0आर0 भारत सरकार से दिनांक 30.01.2019 को अनुमोदन कराया जा चुका है, जिसके पश्चात् वर्तमान में उक्त परियोजना की भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में प्रेषित किये जा चुके है। भू–उपयोग परिवर्तन उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

22.25 मेट्रो रेल योजनाः– योजना के अन्तर्गत सैद्धान्तिक रूप से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:–

1– हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून मैट्रो लाईट परियोजना

2– हरिद्वार में पी0आर0टी0 (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) परियोजना

3– हर–की–पैडी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना

4– देहरादून में दो रोपवे प्रणाली (आई0एस0बी0टी0–ईस्ट कैनाल रोड/मधुवन होटल कॉरिडोर–9.30 कि0मी0, बल्लूपुर– विधान सभा/रिस्पनापुल कॉरिडोर– 8.61 कि0मी0)

5– ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

उत्तराखण्ड मैट्रो द्वारा वित्तिय वर्ष 2020–21 में अवमुक्त धनराशि ₹ 150.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 471.39 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मार्च 2021 तक कुल ₹ 775.00 लाख धनराशि व्यय करने की सम्भावना है।

अध्याय–23
समाज कल्याण
Social Welfare

राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं आदि के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है, जिससे इन वर्गों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। मुख्य योजना निम्नानुसार है:–

23.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं:–

विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा तथा किसान पेंशन योजना संचालित की जा रही है, जिसकी दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	योजना का नाम	कुल लाभार्थी (सं0 में)	कुल व्यय (लाख ₹ में) माह दिसम्बर, 2020 तक
1	वृद्धावस्था पेंशन योजना	4,52,948	₹ 39,167.47
2	विधवा पेंशन योजना	1,70,001	₹ 16,382.74
3	किसान पेंशन योजना	25,850	₹ 2,084.48

23.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं

क्र0सं0	योजना का नाम	टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना	कोविड 19 के कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 में छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया, जिस कारण छात्रवृत्ति वितरण नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु छात्रवृत्ति पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि 20 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है।
2	अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना	
3	अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	

23.3 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्ति योजनायें:–

23.3.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्ति:– वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत 14396 विद्यार्थियों के लिए ₹ 350 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

23.3.2 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वर्ष 2020–21 में 495 लाभार्थियों के लिए ₹ 300 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

23.3.3 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन:– योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में

छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु कुमाऊँ मण्डल से 04 एवं गढ़वाल मण्डल से 04 कुल 08 कोचिंग संस्थाओं का चयन कर 236 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया था। वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 550.06 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 30.40 लाख की धनराशि व्यय कर 70 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.3.4 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा 11 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 06 आवर्तक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वर्ष 2020–21 में ₹ 123.50 लाख बजट प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2020–21 में आवर्तक अनुदान पर संचालित योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 697.30 लाख की धनराशि व्यय कर 26 विद्यालयों को लाभान्वित किया गया।

23.3.5 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र/छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है। वर्ष 2020–21 में ₹ 3112.56 लाख बजट प्राविधान किया गया तथा माह दिसम्बर 2020 तक 2034 विद्यार्थियों को ₹ 1092.83 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.3.6 राजकीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालनः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। वर्ष 2020–21 में ₹ 473.29 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 137.31 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

विभाग द्वारा वर्तमान में 04 बालक राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 250 है। वर्ष 2020–21 में ₹ 261.54 लाख बजट प्रावधान से 250 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 147 छात्रों को ₹ 70.05 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.3.7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 360.33 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 137.31 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत 396 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 578.73 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 392 लाभार्थियों को दिसम्बर 2020 तक ₹ 178.01 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.3.8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, जनपद–देहरादूनः– वर्ष 2020–21 से जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड बाजपुर व खटीमा में नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत ₹ 462.81 लाख बजट प्रावधान से 480 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 521 विद्यार्थियों को ₹ 15.92 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.3.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहूल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत (अनुसूचित जाति हेतु) ₹ 2200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 499.44 लाख की धनराशि से 66 योजनाये स्वीकृत की गई है तथा अनुसूचित जनजाति हेतु वर्ष 2020–21 में ₹ 400 लाख के बजट प्राविधान से 100 योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 19.65 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3.10 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में ₹ 250.00 लाख के बजट प्रावधान से 16 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 60.22 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.3.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– योजना के अन्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में ₹ 150 लाख के बजट प्रावधान से 04 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

23.3.12 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 200.00 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ₹ 2000.00 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी।

23.3.13 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायताः– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर हेतु आवर्तक अनुदान के रूप में ₹ 57.71 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय की जा चुकी है।

23.3.14 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजनाः– योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2020–21 में ₹ 900.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 270.29 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.4 अल्पसंख्यक कल्याण

23.4.1 अल्पसंख्यक छात्रों के कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना (शत–प्रतिशत राज्य पोषित):– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 30,000 छात्र/छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर, 2020 तक योजनान्तर्गत 3500 आवेदन पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाईन भरे जा चुके हैं।

23.4.2 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना:– उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की आई.ए.एस./पी.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम ₹ 75,000 की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 50 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

23.4.3 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान:– उक्त योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है, को अधिकतम ₹ 25,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लक्ष्य 1488 छात्राओं के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 200.00 लाख की धनराशि से 1384 छात्राओं को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

23.4.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 3646 छात्र/छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 6670 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2021 निर्धारित है।

23.4.5 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 438 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 674 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2021 निर्धारित है।

23.4.6 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):– वित्तीय वर्ष 2020–21 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 26593 छात्र/छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 36691 द्वारा आवेदन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 निर्धारित थी। भारत सरकार स्तर से छात्र/छात्राओं को बचत खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

23.5 दिव्यांग कल्याण

23.5.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना:– कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 में ₹ 40.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना है जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी।

23.5.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः– दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2020–21 में ₹ 70.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है।

23.5.3 दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजनाः– दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बी0पी0एल0 चयनित परिवार के दिव्यांग अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले दिव्यांगजनों को ₹ 1,200 मासिक की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 7413.13 लाख की धनराशि व्यय कर 80,521 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की गयी है।

23.5.4 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः– दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत ₹ 50.00 लाख धनराशि का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID (UDID)

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदत्त किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता बनाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी) बनाये जाने हैं। यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कार्यालय अथवा जनपद के जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) में निम्न प्रपत्रों की छायाप्रतियां **(दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा –एक सादे कागज में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह (अंगूठा निशान आदि)** को स्वयं या किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। योजनान्तर्गत वर्तमान तक प्रदेश के 5562 दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये गये हैं।

23.6 महिला कल्याण

23.6.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 428.93 लाख की धनराशि व्यय कर 4592 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.6.2 विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदानः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक योजनान्तर्गत ₹ 44.00 लाख की धनराशि व्यय कर 88 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.6.3 निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्री की शादी हेतु अनुदानः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक

योजनान्तर्गत ₹ 44.50 लाख की धनराशि व्यय कर 89 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.6.4 अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदानः— वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत 1000 पुत्रियों के लिए ₹ 500 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

23.7 समाज कल्याण द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

23.7.1 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः— अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक योजनान्तर्गत ₹ 108.52 लाख की धनराशि व्यय कर 124 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर/पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाः— वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत ₹ 346.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी।

23.7.3 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्तिः— योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह–दिसम्बर, 2020 तक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के अवशेष छात्र/छात्राओं को ₹ 160.87 लाख की धनराशि व्यय कर 1935 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना है, जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी।

23.7.4 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः— इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/— की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 3650 लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु ₹ 731.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह दिसम्बर 2020 तक योजना में ₹ 35.80 लाख की धनराशि व्यय कर 179 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.5 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः— वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक योजना में ₹ 50.88 लाख की धनराशि व्यय कर 45 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.6 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः— वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह–दिसम्बर, 2020 तक योजना में वित्तीय वर्ष 2018–19 के अवशेष छात्र/छात्राओं हेतु ₹ 1.51 लाख की धनराशि व्यय कर 12 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.7.7 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजना/प्रस्ताव (NAPSrC):— भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत NATIONAL ACTION PLAN FOR Welfare of Senior Citizens (NAPSrC) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा योजना संचालित की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में योजना के सफल संचालन

हेतु विभाग द्वारा ₹ 144.116 लाख की कार्य योजना भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी है, जिसके सापेक्ष ₹ 75.00 लाख की धनराशि समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को भारत सरकार द्वारा आवंटित की गयी है।

वृद्धजनों के कल्याणार्थ योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने है–

- Organising Elders into Action Groups aimed at Social Reconstruction (AGRASR Groups) or Elder Self Help Groups
- Mobile Medicare Unit for Senior Citizens
- Physiotherapy Clinics for Senior Citizens
- Multi Service Centres (Day Care Centres) for Senior Citizens

Training to Geriatric Caregivers & Health Care and Capacity Building Programmes

23.7.8 सुगम्य भारत अभियानः– इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 शासकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹ 165.625 लाख की धनराशि व्यय कर 09 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित SIPDA योजनान्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के 44 पर्यटक विश्राम गृहों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने हेतु ₹ 280.28 की धनराशि राज्य सरकार को अवमुक्त की गयी है।

23.7.9 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- वर्तमान में प्रदेश के दो जनपदों क्रमशः जनपद नैनीताल एवं देहरादून को योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया है, जिस हेतु ₹ 220.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त जनपदों को योजना के संचालन हेतु क्रमशः ₹ 15.00–15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

23.8 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

23.8.1 अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाः– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित 175 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 08.01.2021 तक 16 लाभार्थियों को लाभान्वित कर ₹ 40.80 लाख बैंक ऋण, ₹ 17.00 लाख अनुदान, ₹ 10.20 लाख लाभार्थी अंश सहित कुल ₹ 68.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।

23.8.2 मौलाना आज़ाद ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण योजनाः–

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित 36 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 01 लाभार्थी को ₹ 0.55 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष ₹ 0.55 लाख इस वित्तीय वर्ष में तथा ₹ 22.471 विगत वर्ष में स्वीकृत लाभार्थी की द्वितीय, तृतीय किश्त सहित कुल ₹ 23.021 लाख का व्यय किया गया।

23.8.3 मुख्यमंत्री हुनर योजनाः– वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर 2020 तक 693 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर ₹ 44.761 लाख प्रशिक्षण शुल्क ₹ 11.55 लाख छात्रवृत्ति सहित कुल ₹ 6.311 लाख की धनराशि व्यय होने की सम्भावना है।

23.9 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर, रूड़कीः– हज यात्रा पर बिना महरम के भी 45 वर्ष से अधिक आयु की 05

महिला आवेदकों के ग्रुप को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है। गत वर्ष 2019–20 में कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा नहीं की जा सकी। भारत सरकार द्वारा पूर्व में राज्य हेतु लगभग 1278 हाजियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि तक 710 हाजियों द्वारा हज यात्रा हेतु आवेदन किया गया है।

23.10 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादूनः– उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राज्य सरकार द्वारा वक्फ रूल्स 2018 अधिसूचित किये गये जिससे कि वक्फ बोर्ड के कार्यों को सम्पादन करने में सहायता मिलेगी। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड कार्यालय द्वारा जनपद हरिद्वार एवं जनपद देहरादून की वक्फ में दर्ज सम्पत्तियों की जी.आई.एस. मैपिंग करवायी गयी है। उक्त मैपिंग होने के फलस्वरूप वक्फ की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा रोकने में सहायक सिद्व होगी।

23.11 उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्:–

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् में नवीन वैकल्पिक व्यवस्थानुसार संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विषयों का समावेश किया गया है। उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019'' और ''उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, विधेयक, 2016'' प्रख्यापित। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5233 छात्र/छात्राओं द्वारा आमिल, फाजिल, मुंशी/मौलवी की परीक्षा हेतु आवेदन किया गया था जिसमें 5232 छात्र उत्तीर्ण हुये।

23.12 उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

23.12.1 स्वतः रोजगार योजना (अनुसूचित जाति)– इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य 732 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 593 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए अनुदान ₹ 58.60 लाख, मार्जिन मनी ऋण ₹ 25.36 लाख एवं ₹ 357.98 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

23.12.2 शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना– वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के अंतर्गत गत वर्ष की लम्बित 9 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए ₹ 5.58 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.12.3 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना– इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक कुल 27 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए ₹ 2.70 लाख अनुदान तथा ₹ 8.55 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

23.12.4 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण)– इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक अनुसूचित जाति के कुल 760 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 26.92 लाख की धनराशि तथा जनजाति के कुल 180 व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर ₹ 6.78 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.12.5 कौशल वृद्धि योजना– वित्तीय वर्ष 2020–21 में कौशल वृद्धि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल 210 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों मे प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए ₹ 8.975 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.12.6 शिल्पी ग्राम योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2020 तक अनुसूचित जाति के 180 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹ 8.10 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के कुल 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए ₹ 4.50 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

कोविड–19 संक्रमण अवधि के दौरान विभाग द्वारा किये गये विशेष प्रयास

- वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज" के अन्तर्गत राज्य के 2.15 लाख BPL परिवारों को ₹ 1000 प्रति पेंशनर की दर अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेंशनार्थियों को प्रथम तिमाही किश्त (माह अप्रैल से जून, 2020) जो माह जून में दी जानी थी, को माह अप्रैल, 2020 में वितरित की गयी। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित समस्त पेंशन योजनाओं में 733912 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान भी भारत/राज्य सरकार द्वारा जारी सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनपद/विकासखण्ड स्तर पर 81 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 554 नवीन पेंशनर्स को पेंशन स्वीकृति, 108 दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत, 222 कृत्रिम अंगों का वितरण, 434 आधार कार्ड, 492 बैंक खाते एवं 2997 यू0डी0आई0डी0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये गये।

अध्याय–24

खेल तथा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल

Sports and Youth Welfare PRD

खेल सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो समयबद्धता, धैर्य अनुशासन, लगन तथा समूह में कार्य करना सिखाते हैं। खेल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ अच्छा स्वास्थ्य और शान्त मस्तिष्क है। युवावर्ग खेलों में प्रतिभाग कर अधिक अनुशासित स्वास्थ्य, सक्रिय व समयनिष्ठ हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु खेल विभाग कार्यरत है। गत वर्ष 2019–20 में कुल 27715 खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया। आगामी वर्ष के लिए 45000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक 1.60 लाख बालक व 1.60 लाख बालिका खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। जनपदों में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुए स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

24.1 खेल (Sports)

24.1.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.1

क्र.सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	25
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल	04
4	इंडोर क्रीड़ाहॉल	17

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड।

खेल विभाग के उक्त अवस्थापना सुविधाओं में से निम्न स्टेडियमों को कोविड–19 केयर सेंटर/स्टोर बनाया गया–

1. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून।
2. अन्तर्राष्ट्रीय मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स, हल्द्वानी।
3. स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी।
4. स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनि।
5. स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर।

24.1.2 जिला सैक्टर की योजनायें:–

1. खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– इस योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 45.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। कोविड–19 के दृष्टिगत विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं कराया जा सका।

2. खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः– राज्य एवं जनपद स्तर की खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 127.34 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। कोविड–19 के दृष्टिगत प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नहीं कराया जा सका।

3. आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 134.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	10
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	12
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	15
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	23
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	25
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	16
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	20
8.	रूद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	21
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	–
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	18
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	09
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	20
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	24
कुल योग				310	238

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड।

24.1.3 राज्य सैक्टर योजनायें:–

1. नकद पुरस्कार योजनाः– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 210.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 88.10 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 137 खिलाड़ियों एवं 63 प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है।

2. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः– उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2019–20 में 949 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 24 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इस योजना में ₹ 1100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 451.11 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः– देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 344 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। कोविड–19 के दृष्टिगत स्पोर्ट्स कॉलेज में शिक्षण एवं प्रशिक्षण स्थगित हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 654.60 लाख का बजट के सापेक्ष ₹ 224.22 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

4. खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः– राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5. पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों आदि को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 82.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 4.50 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है।

6. स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजनाः– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 20 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल तथा 17 इंडोर क्रीड़ाहॉल स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 30000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु

₹ 6400.04 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 5545.134 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

7. 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः— राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रस्तावित 200मी0 सिन्थैटिक एथलेटिक प्रैक्टिस ट्रैक का निर्माण।
2. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इंडोर क्रीडा हॉल नवीनीकरण का निर्माण कार्य।
3. जनपद देहरादून के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड में इंडोर क्रीड़ा हॉल के नवीनीकरण का कार्य।
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद में इंडोर क्रीड़ा हॉल के नवीनीकरण तथा 200कि0ली0 क्षमता के ओवरहैड टैंक का निर्माण कार्य।
5. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।
6. म0प्र0 स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के क्रिकेट मैदान में चैंजिग रूम का निर्माण कार्य।
7. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में नवनिर्मित एथलेटिक्स सिंथैटिक ट्रैक में 3000 क्षमता का दर्शकदीर्घा का निर्माण।
8. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की पश्चिमी दिशा की बाउण्ड्रीवॉल का निमार्ण कार्य।

वर्तमान में ₹ 13838.15 लाख की धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत देहरादून में शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य।
2. रोशनाबाद हरिद्वार के हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य।
3. जनपद देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।
4. परेड ग्राउण्ड देहरादून में निर्मित की गई खेल अवस्थापना सुविधाओ में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की सुविधा हेतु अतिरिक्त कार्य।
5. देहरादून, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में 01—01 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2020—21 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु ₹ 3000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 70.22 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.1.4 केन्द्र पोषित योजनायेंः—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः— राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकास किया गया है।

2. खेलो इंडिया योजनाः— वर्तमान में परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

भावी योजनाएं

1. उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2022 में होगा। अक्टूबर, 2021 तक जिसकी तैयारियां पूर्ण की जायेंगी।
2. राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी, ये प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल, रूद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेंगी।
3. देहरादून व हल्द्वानी में एक–एक खेल गांव बनाया जाना प्रस्तावित है।
4. राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षकों को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।

तालिका 24.3
वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राप्त पदकों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी/प्रशिक्षक का नाम	खेल का नाम	देय धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पदक	40 पदक	एथलेटिक्स	18.3125
		10 पदक	बॉक्सिंग	2.215
		21 पदक	बैडमिन्टन	9.69
		01 पदक	आइस स्कैटिंग	0.1875
		06 पदक	जूडो	1.965
		06 पदक	कराटे	1.435
		48 पदक	क्याकिंग एवं कैनोइंग	13.4575
		2 पदक	पावर लिफ्टिंग	1.05
		2 पदक	रोइंग	0.50
		11 पदक	शूटिंग	4.89414
		13 पदक	ताइक्वांडो	3.0625
		08 पदक	कुश्ती	2.0575
		01 पदक	वुशू	0.30

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड।

24.2 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल (Youth Welfare & PRD)

राज्य में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कल्याणार्थ, स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है। इसी के तहत जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों का सम्बद्धीकरण किया जाता है जिन्हें आर्थिक सहायता, प्रोत्साहन एवं उत्कृष्ट

कार्य करने वाले दल को विवेकानन्द यूथ अवार्ड प्रदान किया जाता है। प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को समय–समय पर 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण तथा 15 दिवसीय अर्द्धसैन्य पुर्नप्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुरूप ड्यूटी हेतु भेजा जाता है।

24.2.1 जिला सेक्टर योजनायें:–

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, विजेता खिलाडियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 संक्रमण के कारण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया है। विगत वर्ष 2019–20 में हुए आयोजन में कुल 13 खेल विधाओं में न्याय पंचायत स्तर में 59397 खिलाड़ियों, विकासखण्ड स्तर में 131156 खिलाड़ियों एवं जनपद स्तर पर 31068 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। योजनान्तर्गत कुल ₹ 123.82 लाख की धनराशि का बजट स्वीकृत है, जिसमें से माह दिसम्बर 20–21 तक ₹ 42.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

2. युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– कुल ₹ 26.83 लाख की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक 213 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान तक ₹ 10.98 लाख का उपयोग किया गया है।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवक एवं महिला मंगल दलों द्वारा जनजागरूकता अभियान के साथ–साथ इनके पदाधिकारियों द्वारा कान्टेक्ट ट्रेसिंग एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी ग्रामीणों हेतु आइसोलेशन/क्वारन्टाइन सेन्टर्स में व्यवस्था बनाने में सहयोग किया गया।

3. समाज सेवा/सुरक्षा कार्य–प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना में कुल ₹ 5173.95 लाख की धनराशि का प्राविधान कराया गया जिससे उन्हें ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर ₹ 3064.43 लाख का उपयोग कर 350291 मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

कोविड–19 से जन सामान्य को सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में लगभग 2500 पीआरडी स्वयं सेवकों को विभिन्न स्थलों यथा– कोविड केयर सेन्टर, क्वारंटीन सेन्टरों, पुलिस चैक पोस्ट, कोविड टेस्टिंग सेन्टरों आदि पर ड्यूटी हेतु तैनात किया गया।

4. विवेकानन्द यूथ अवार्ड–जनपदों में सम्बद्धीकृत युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में जिला सैक्टर में ₹ 2.16 लाख एवं राज्य सैक्टर से विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर पुरस्कार हेतु ₹ 10.51 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसके सापेक्ष 678 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किया गया है।

5. ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत ₹ 14.37 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020–21 में ₹ 3.69 लाख का उपयोग किया गया है।

6. युवा महोत्सव– इस योजना के अंतर्गत जनपदों में युवा महोत्सव आयोजन हेतु राज्य सैक्टर से कुल ₹ 29.25 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। इससे समस्त 13 जनपदों में 136 पुरुष एवं 118 महिला कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया।

24.2.2 राज्य/केन्द्र पोषित योजनायें:–

1. अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण– वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना में कुल ₹ 100.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान था, जिससे 139 युवाओं को आईएचएम गढ़ीकैन्ट देहरादून के माध्यम से फूड ब्रेवरेज सर्विस फूड प्रोडक्शन एवं हाउस कीपिंग प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित था। कोविड–19 के कारण उक्त प्रशिक्षण ससमय प्रारम्भ नहीं हो सका। वर्तमान में प्रशिक्षण संचालित है, जिसमें 139 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 200.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

2. आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य में खेल प्रतिभाओं के विकास एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु ₹ 400.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। इसके अंतर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर स्थित ग्राम पंचायत आमवाला में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिस हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 190.352 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया है। मिनी स्टेडियम का निर्माण मद के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 900.00 लाख के सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की पूर्ति हेतु 12 मिनी स्टेडियम निर्माण ₹ 633.324 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव एवं प्रशिक्षण– राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी (टिहरी) में विविध साहसिक गतिविधियों, व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, फर्स्टएड आदि का प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को साहसिक खेलों में रोजगार प्राप्त होता है। योजना में कुल ₹ 9.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। कोविड–19 संक्रमण के कारण उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

4. राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण– जनपद टिहरी के शिवपुरी में राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 139.452 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5. पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण– वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के 526 पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को 15 दिवसीय अर्द्धसैन्य पुर्न–प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाऐगा। इस योजना में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

6. युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 35.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

7. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– राज्य में आयोजित होने खेल प्रतियोगिताओं (खेल महाकुम्भ) में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 60.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष 1600 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

8. ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में निर्मित/संचालित खेल अवस्थापना सुविधाओं में 02–02 खेल प्रशिक्षक रखे जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राविधानित बजट ₹ 80.00 लाख के सापेक्ष सभी 95 विकासखण्डों में 01–01 खेल प्रशिक्षक की तैनाती की जायेगी।

9. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 50.00 लाख व ₹ 50.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति योजना में जनपद बागेश्वर के रा0इं0का0 सिरकोट विकासखण्ड गरूड तथा अनुसूचित जनजाति में जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

10. राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को आबंटित 59100 स्वयंसेवियों द्वारा 9 प्रकोष्ठों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत 1674 एक दिवसीय सामान्य शिविरों का आयोजन किया गया तथा रक्तदान शिविर आयोजित कर कुल 90 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एन0एस0एस0 स्वयंसेवियों द्वारा कोविड–19 संक्रमण के दौरान विभिन्न जनपयोगी कार्य किये गये।

कोविड–19 के दृष्टिगत विशेष प्रयास

- एन0एस0एस0 द्वारा जन सामान्य को कोविड–19 में स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने हेतु युवा शक्ति पोर्टल का निर्माण किया गया। जिसमें लगभग 1.50 लाख स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया गया जिनके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में व्यापक जन–जागरण का कार्य किया गया।
- एन0एस0एस0 के स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 5.5 लाख मास्क तैयार कर वितरित किए गए तथा विभिन्न जनपदों में 06 बड़े मास्क एवं सैनेटाइजर बैंकों की स्थापना की गई।
- एन0एस0एस0 के माध्यम से कोरोनाकाल में व्यापकजन–जागरूकता हेतु प्रत्येक जनपद में कोरोना आधारित क्विज, कविता पाठ एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 25000 स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- एन0एस0एस0 स्वयंसेवकों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग 320 सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना जागरूकता के लिए वाल पेन्टिंग का कार्य भी किया गया।
- एन0एस0एस0 इकाईयों द्वारा प्रशासन के माध्यम से कोरोना से सम्बन्धित कार्यों को उत्कृष्टता से करने हेतु लगभग 350 कोरोना योद्धओं को सम्मानित किया जा चुका है।
- कोविड–19 के दौरान आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने एवं उसका प्रयोग करने हेतु 154283 लोगों को जागरूक किया गया।
- 12248 एन0एस0एस0 स्वयं सेवियों द्वारा भारत सरकार के "आईगॉट दीक्षा पोर्टल" से कोविड–19 सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

अध्याय–25
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी
Science and Information Technology

सूचना प्रौद्योगिकी– शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु एक उपयोगी अवधारणाओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता, कार्य दक्षता एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी क्षीण किया है।

उत्तराखण्ड राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत मूल आधारभूत संरचना– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क की स्थापना, सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों को होरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान कर नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–गेटपास, ई–डिस्ट्रिक्ट, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन का कार्य तीव्रता से बढ़ रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक शासकीय प्रणाली के आवेदन के आलोक में जोखिमों को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। राजकीय इकाइयों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख व्यावसायिक उद्यम एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासकीय सेवाओं और डेटा की तैयारी और आदान–प्रदान का प्रावधान किया जा रहा है। आज, अधिकांश राजकीय सेवायें ई–शासन कार्यक्रमों को लागू करने के माध्यम से वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई0टी0 आधारभूत संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

25.1 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतियां/दिशानिर्देश– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत वर्ष राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी थी।

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गत वर्ष प्रथम Right of Way 2018 नीति जारी की गयी। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

25.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security)– राज्य के आई0टी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा साथ ही राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "Cyber Crisis Management Plan (CCMP)", एवं साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सी0आई0आई0 (Critical Information Infrastructure (CII)" नीति का क्रियान्वयन किया

जा रहा है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Sectoral Cert एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में Cert-UTK समिति गठित की गयी है। CIL Guideline के दिशा निर्देशों के तहत उत्तराखण्ड सरकार के सूचना एवं पुलिस विभाग के Infrastructure को Protective System घोषित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

साईबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए Cyber Crisis Management Plan 2020 (CCMP) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में 13 विभागों से Chief Information Security Officer (CISO) का नामांकन प्राप्त हो चुका है तथा अन्य विभागों से अपेक्षित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ई–वेस्ट नीति तथा ड्रोन नीति तैयार की जा रही है।

25.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, ई–डिस्ट्रिक्ट, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

25.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)– आई0टी0 डी0ए0 (Information Technology Development Authority) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई0टी0 पार्क, देहरादून में अत्याधुनिक तकनीकी– HCI (Hyper Convergent Infrastructure) युक्त 'स्टेट डाटा सेंटर' स्थापित किया गया है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर विभागों के लगभग 73 ऐप्लीकेशन्स लाईव हैं तथा 126 ऐप्लीकेशन्स लाईव किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप तथा डिजास्टर रिकवरी हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में विभिन्न विभागों की निम्नलिखित ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं–

SN	Application	URL
1	e-District	https://edistrict.uk.gov.in/
2	CM-Dashboard	https://cmdashboard.uk.gov.in/
3	Hiltron	https://hiltron.net/
4	Hiltron-Calc	https://calc.hiltron.net/
5	e-Gatepass	https://egatepass.uk.gov.in/
6	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	https://csr.uk.gov.in/
7	CM Helpline	https://cmhelpline.uk.gov.in/
8	Transport-Urban (VLT)	https://vlt.uk.gov.in/
9	Uttarakhand Tourism Development Board (E-office)	https://eofficetourismuk.org/cas/login?service=httpAFFeofficetourismuk.orgFlogin.php
10	Heli-Kedarnath	https://heliservices.uk.gov.in/
11	Uttarakhand Tourism Department (Travel And Trade)	https://uttarakhandtourism.gov.in/
12	Uttarakhand Board of School Education (UBSE)	http://ubseonline.uk.gov.in/UtetOnline/
13	Directorate of Economics and Statistics	https://desuk.in/
14	Uttarakhand Power Corporation Ltd.	https://usrp.upcl.org/
15	Commercial Tax Department, Uttarakhand GST	https://gst.uk.gov.in/
16	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM	https://uklegalaidservices.uk.gov.in/
17	Uttarakhand Civil Aviatiation Development Agency(UCADA)	https://ucada.uk.gov.in/
18	Shri Kedarnath Utthan Charitable trust	https://shrikedarnathcharitabletrust.uk.gov.in/
19	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	https://aajeevika-usrlm.uk.gov.in/
20	UTTARAKHAND AWAS AND VIKAS PARISHAD (UKAVPDDN)	https://ukavp.org/

21	E-Emantrimandal	https://emantrimandal.uk.gov.in/
22	Jageshwar Temple Website (Almora)	https://jageshwar-jyotirlinga.uk.gov.in/
23	Department of Rural Development	https://ukrdd.uk.gov.in/
24	Uttarakhand Disaster Management Authority (COVID-19 Drishti)	http://covid19usdma.uk.gov.in/
25	Department of Information, Science and Technology Fight Against Covid-19	https://covid19cso.uk.gov.in/
26	Uttarakhand Chief Minister Relief fund	http://cmrf.uk.gov.in/
27	E-Office Dehradun	https://eoffice-dehradun.uk.gov.in
28	Gopan(E-mantrimandal)	https://gopan.uk.gov.in
29	E-Office	https://eoffice.uk.gov.in/cas/login?service=http%3A%2F%2Feoffice.uk.gov.in%2Flogin.php
30	Skilled People Portal	http://hope.uk.gov.in/
31	Dehradun Smart City E-Office	https://smartcityeoffice.uk.gov.in/cas/login?service=http%3A%2F%2Fsmartcityeoffice.uk.gov.in%2Flogin.php
32	E-Office Training Secretariat	https://eoffice-training.uk.gov.in/
33	Police SP Traffic Office, Dehradun (SSP)	https://dehraduntrafficpolice.uk.gov.in/
34	Directorate of Industries	https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
35	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	https://uksrlm.uk.gov.in/
36	ITDA E-office	https://eoffice-itda.uk.gov.in
37	Veer Chandra Singh Garhawal Scheme (UTDB)	https://vcsgscheme.uk.gov.in/
38	Urban Development Directorate Uttarakhand	https://nagarsewa-uat.uk.gov.in/
39	Urban Development Directorate Uttarakhand	https://nagarsewa.uk.gov.in/
40	Department of Water and Sanitation	http://uwsp.uk.gov.in/
41	Department of Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand COVID-19	http://covid19.uk.gov.in/
42	Department of Yuva kalyan Prarad	http://yuvashakti.uk.gov.in/
43	Uttarakhand Primary Education Department	https://educationportal.uk.gov.in/
44	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA)	https://rpoureda.uk.gov.in/
45	Accountant General (A&E) Uttarakhand	http://gpfonline.uk.gov.in/
46	Department of Corbet Tiger Reserve(Nainital)	https://www.corbettonline.uk.gov.in/
47	Department of Women Empowerment And Child Development	https://wecdmis.uk.gov.in/
48	Directorate of Social Welfare Uttarakhand	https://ssp.uk.gov.in/
49	Geology & Mining Department	https://dgmappl.uk.gov.in/
50	E-Office UK POLICE	https://eoffice-police.uk.gov.in
51	E-Office UTTARAKHAND DIRECTORATE	https://eoffice-uttarakhand.uk.gov.in
52	E-Office NAINITAL	https://eoffice-nainital.uk.gov.in
53	E-Office ALMORA	https://eoffice-almora.uk.gov.in
54	E-Office UTTARKASHI	https://eoffice-uttarkashi.uk.gov.in
55	E-Office CHAMPAWAT	https://eoffice-champawat.uk.gov.in
56	E-Office TEHRI	https://eoffice-tehri.uk.gov.in
57	E-Office PITHORAGARH	https://eoffice-pithoragarh.uk.gov.in
58	E-Office CHAMOLI	https://eoffice-chamoli.uk.gov.in
59	E-Office PAURI	https://eoffice-pauri.uk.gov.in
60	E-Office BAGESHWAR	https://eoffice-bageshwar.uk.gov.in
61	E-Office RAJBHAWAN	https://eoffice-rajbhawan.uk.gov.in
62	E-Office HARIDWAR	https://eoffice-haridwar.uk.gov.in
63	E-Office RUDRAPRAYAG	https://eoffice-rudraprayag.uk.gov.in
64	E-Office UDHAM SINGH NAGAR	https://eoffice-usnagar.uk.gov.in
65	Stamp and Registration	http://eregistrationukgov.in/
66	Uttarakhand Police	https://uttarakhandpolice.uk.gov.in/
67	UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION	https://ubter.uk.gov.in/
68	Election commission	http://election.uk.gov.in/
69	Irrigation Department	http://ppms.uk.gov.in/
70	Board of revenue (Bhunaksha)	http://bhunaksha.uk.gov.in/
71	land Use	http://landuse.uk.gov.in/
72	Department of Industry (Growth centre)	http://growthcentres.uk.gov.in/
73	Board of revenue (Bhulekh)	http://bhulekh.uk.gov.in/

25.3.2 ई–जिला (E-District)– 'अपणी सरकार'

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः

राजस्व, पंचायती राज, शहरी विकास, रोजगार एवं समाज कल्याण विभागों से सम्बन्धित 32 सेवायें प्रदान की जा रही है। उपरोक्त अतिरिक्त ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2.0 का नवीन संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन हेतु एन0आई0सी0 (National Informatics Centre) के साथ एम0ओ0यू0 दिनांक 06 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें "सूचना का अधिकार अधिनियम" के अन्तर्गत चयनित विभिन्न विभागों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 217 सेवाओं तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

25.3.2.1 वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

Revenue Department (9 Services)		
	1	Domicile Certificate
	2	Character Certificate (Contractor)
	3	Character Certificate (General)
	4	Solvency Certificate
	5	Freedom Fighter Certificate
	6	Hill Area Certificate
	7	Uttarjivi Certificate
	8	Caste Certificate
	9	Income Certificate
Employment Department (3 Services)		
	10	Employment Registration
	11	COT in Employment Registration
	12	Renewal in Employment Registration
Panchayati Raj Department (10 Services)		
(a)	**Services of Panchayati Raj**	
	13	Add new Family
	14	Copy of Pariwar Register
	15	Separation of family
	16	Editing of family
(b)	**Birth certificate (Rural)**	
	17	Birth Registration /Certificate (Rural) Within one month
	18	Birth Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
	19	Birth Registration /Certificate (Rural) After one year
(c)	**Death certificate (Rural)**	
	20	Death Registration /Certificate (Rural) Within one month
	21	Death Registration /Certificate (Rural) After one year
	22	Death Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
Urban Development (4 Services)		
(a)	**Birth certificate (Urban)**	
	23	Birth Registration /Certificate (Urban) After one year
	24	Birth Registration /Certificate (Urban) within one year
(b)	**Death certificate (Urban)**	
	25	Death Registration /Certificate (Urban) within one year
	26	Death Registration /Certificate (Urban) After one year
Social Welfare Department (6 Services)		
(a)	27	Old Age Pension (Urban)
	28	Widow Pension (Urban)
	29	Disability pension (Urban)
(b)	30	Old Age Pension (Rural)
	31	Widow Pension (Rural)
	32	Disability pension (Rural)

ई–डिस्ट्रिक्ट /सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं हेतु नागरिकों के 80.91 लाख आवेदन माह दिसम्बर 2020 तक निस्तारित किये गये हैं।

25.3.2.2 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अन्तर्गत अधिसूचित 27 विभागों की 242 सेवाओं को, जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट 2.0 परियोजना के अन्तर्गत सभी सेवाओं को एम–गवर्नेंस मॉडल के अन्तर्गत विकसित किये जाने का लक्ष्य है, साथ ही इन सभी सेवाओं को Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG), Meity (Ministry of Electronics and Information Technology) उमंग ऐप्लीकेशन एवं डिजिटल लॉकर के साथ एकीकरण किया जायेगा। उक्त सेवाओं पर कार्यवाही गतिमान है। ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित सेवाओं का विभागवार विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	विभाग का नाम	कुल अधिसूचित सेवायें
(1)	(2)	(3)
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	02
2	राजस्व	20
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15
4	आवास विकास	11
5	परिवहन	04
6	पेयजल	09
7	समाज कल्याण	09
8	शहरी विकास	16
9	विद्यालयी शिक्षा	03
10	गृह विभाग	37
11	निबन्धन विभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग)	12
12	मनोरंजन कर	12
13	औद्योगिक विकास	04
14	वाणिज्य कर	08
15	पशुपालन	05
16	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	01
17	श्रम विभाग	14
18	ऊर्जा विभाग	10
19	मत्स्य विभाग	08
20	लोक निर्माण	13
21	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	09
22	पर्यटन	03
23	अल्पसंख्यक कल्याण	03
24	लघु सिंचाई	04
25	ग्राम्य विकास	02
26	कृषि	05
27	सैनिक कल्याण	03

25.3.3 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)– वर्तमान में दिसम्बर 2020 तक 12317 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 8858 कॉमन सर्विस सेंटर क्रियाशील हैं। जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1.	अल्मोड़ा	805	645
2.	बागेश्वर	385	270
3.	चमोली	481	378
4.	चम्पावत	361	289
5.	देहरादून	1764	1264
6.	हरिद्वार	2140	1378
7.	नैनीताल	1373	1023
8.	पौड़ी गढ़वाल	861	657
9.	पिथौरागढ़	460	333
10.	रुद्रप्रयाग	323	243
11.	टिहरी गढ़वाल	517	420
12.	उधमसिंह नगर	2330	1574
13.	उत्तरकाशी	517	384
	कुल	**12317**	**8858**

7357 केन्द्र ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं, जिनके माध्यम से अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक 1125243 Transactions किये गये जिनका मूल्य ₹ 3,37,57,290.00 है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी0एस0सी0 के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है।

सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. राज्य सरकार की G2C सेवायें
2. केन्द्र सरकार की G2C सेवायें
3. B2C सेवायें
4. बैंकिंग सेवायें
5. शिक्षण सम्बन्धित सेवायें
6. चिकित्सा सेवायें
7. बीमा सेवायें
8. कौशल विकास
9. रोजगार आवेदन हेतु सेवायें
10. प्रशिक्षण कोर्स
11. ट्रैवल बुकिंग सेवायें
12. प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड तैयार करना
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पंजीकरण सुविधा
14. प्रधानमंत्री किसान मानधन हेतु पंजीकरण सुविधा
15. प्रधानमंत्री किसान निधि हेतु पंजीकरण
16. स्वरोजगार एवं छोटे व्यापारियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण सुविधा
17. आर्थिक गणना

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत 5.06 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 4.17 लाख ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया जिसके सापेक्ष 3.26 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 2.43 लाख को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कम्प्यूटर या डिजिटल एक्सेस उपकरणों को संचालित करने, ई–मेल संचालन, इण्टरनेट ब्राउज, सेवाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

25.3.4 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)–

स्वान (State Wide Area Network-SWAN) योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। स्वान का संचालन विकास खण्ड/तहसील स्तर तक वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 133 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoPs) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत दिसम्बर 2020 तक 1628 होरिजेन्टल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 113 PoP पर (34/10 MBPS) बैंडविड्थ प्राप्त है। इसके अतिरिक्त स्वान को जनपद स्तर तक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network-NKN) से एकीकृत किया गया है। सचिवालय PoP से आई0टी0डी0ए0 तक रिडन्डेंट नेटवर्क हेतु डार्क फाईबर केबल बिछाई गयी है। स्वान नेटवर्क के प्रबन्धन हेतु एफ0एम0एस0 (Facility Management Service) के अन्तर्गत 217 तकनीकी मानव संसाधन तैनात किये गये हैं। सचिवालय लेन अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य मुख्यालय सहित पांच जनपदों में स्थापित स्वान नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया जा चुका हैं तथा शेष आठ जनपदों में अपग्रेडेशन का कार्य गतिमान है।

25.4 डिजीलॉकर (Digi Locker)– डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत

भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटललॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, सत्यापनकर्ताओं और नागरिकों को एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष में दिसम्बर 2020 तक 34897 व्यक्तिगत डिजीलॉकर पंजीकृत किये गये, तथा ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से सम्बन्धित 15.56 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत 2.72 लाख प्रमाण पत्र डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किये गये।

25.5 स्मार्ट गांव– आई0टी0डी0ए0 द्वारा गत वर्ष चमोली जनपद के दूरस्थ ग्राम घेस एवं हिमनी में कनेक्टिविटी प्रदान कर स्मार्ट विलेज बनाने की पहल की गयी है।

स्मार्ट विलेज 'घेस–हिमनी' में विभिन्न सेवायें नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं यथा ई–मेडिशन, ई–पशु, स्मार्ट क्लास, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है।

25.6 सी0एम0 डेशबोर्ड– उत्कर्ष (CM Dashboard)– मुख्यमंत्री डैश बोर्ड 'उत्कर्ष' स्टेट डाटा सेंटर से संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में 32 विभागों के 205 के0पी0आई0 (Key Performance Indicator) 48 प्राथमिकता कार्यक्रम (Priority Program) एवं 86 राज्य प्राथमिकता कार्यक्रम (State Priority Program) की समीक्षा सी0एम0 डैशबोर्ड पर मुख्य सचिव/सचिव एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाती है। भविष्य में नागरिक सहभागिता हेतु उक्त डैशबोर्ड में प्रावधान किया जायेगा एवं जनपद स्तर के अनुश्रवण हेतु भी डैशबोर्ड में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

25.7 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905' (CM Helpline '1905')– माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 1.07 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 58 हजार शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

25.8 वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की स्थापना– आई0टी0डी0ए0 द्वारा राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय में अपर सचिव स्तर तक के कार्यालय, समस्त जिलाधिकारी कार्यालय, स्वान केन्द्र, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अन्तर्गत कुल 258 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किये गये। कोविड 19 में लॉकडाउन अवधि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का विभागीय समीक्षाओं एवं बैठकों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगामी वर्ष में विभागों के निदेशालय स्तर तक के कार्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

25.9 ई–ऑफिस (E-Office)– वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। कोविड–19 की परिस्थितियों के उपरान्त समस्त विभागों में ई–ऑफिस के क्रियान्वयन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हो रही है। सचिवालय में 55 विभागों एवं 140 अनुभागों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है। इसे 39 निदेशालय/जिलाधिकारी कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रमों में क्रियान्वित किया गया है।

विवरण निम्नानुसार है–

1. सचिवालय (57 में से 55 विभाग, 152 में से 140 अनुभाग
2. आई0टी0डी0ए0
3. जिलाधिकारी, देहरादून
4. शहरी विकास
5. वन विभाग– प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय
6. सूचना आयोग
7. उत्तराखण्ड इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन
8. जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर
9. जिलाधिकारी, बागेश्वर
10. लोक निर्माण विभाग
11. सेवा का अधिकार आयोग
12. उत्तराखण्ड स्पेस ऐप्लीकेशन सेंटर
13. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
14. स्मार्ट सिटी देहरादून
15. पर्यटन

ई–ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु सचिवालय के लगभग 1100 कर्मियों तथा अन्य विभागों के 909 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अन्तर्गत ई–ऑफिस के संचालन की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	विवरण	e-Files Created	e-Receipt Created	Active Users
1.	सचिवालय	4239	5994	793
2.	जिला प्रशासन	2763	13033	216
3.	अन्य	2589	9639	301

निम्नलिखित विभागों में ई–ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो शीघ्र क्रियान्वित किये जायेंगे–

1. पुलिस मुख्यालय
2. स्वास्थ्य
3. होमगार्ड
4. पिटकुल
5. यू0पी0सी0एल0
6. सैनिक कल्याण
7. उत्तराखण्ड सूचना आयोग
8. उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)
9. यू0एस0ए0ए0टी0ए0
10. उत्तराखण्ड पी0एफ0एम0एस0
11. जिलाधिकारी– उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, चम्पावत, टिहरी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग
12. आई0आर0डी0टी0– तकनीकी शिक्षा बोर्ड
13. तकनीकी शिक्षा निदेशालय
14. फॉरेन्सिक साईंस
15. विजिलेंस अधिष्ठान
16. राजस्व परिषद
17. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

सी0एस0आर0 पोर्टल 'सहयोग' (Sahyog-CSR Portal)– माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना एवं पहल पर आई0टी0डी0ए0 द्वारा कॉरपोरेट रिस्पॉनसिबिलिटी पोर्टल 'सहयोग' निर्मित किया गया है। यह उत्तराखण्ड राज्य का एक डिजिटल पटल है, जो नागरिकों, कॉरपोरेट्स, एन0जी0ओ0 एवं समाज के अन्य हितधारकों/प्रतिभागियों को समाज के विकास के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास हेतु प्रोत्साहित करता है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राजकीय फ्लेगशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दूरदर्शिता एवं पारदर्शिता लाये जाने हेतु एक इकोसिस्टम बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

25.10 मानव रहित विमान–UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा पूर्व में आई0आई0टी0 मुंबई के साथ मिल कर एयरोस्टेट (बैलून) की परिकल्पना की प्रमाणिकता (Proof of Concept) पूर्ण की गयी, जिसका दो बार सफल परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 'बैलून' एवं ड्रोन के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है।

'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC)– सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO), भारत सरकार के सहयोग से 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान स्थापित करना, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, एवं वन सर्वे, पुलिस विभाग द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत निम्नलिखित उत्पाद तैयार किये जा चुके हैं–

1. डार्क ड्रोन (DARC X 1)– पूर्णतः स्वायत्त मल्टीरोटर ड्रोन निर्मित किया गया है, जो त्वरित प्रतिक्रिया एवं निगरानी हेतु तैयार किया गया है। यह बाधा अवरोधक तथा भू–भाग अनुगामी समर्थित एक 16 इंच विकर्ण वाला छोटा ड्रोन है, जिसकी रेंज 15 किमी तक है।

2. ड्रोन फ्लाइंग परमिशन ऐप– डार्क के माध्यम से यह ऐप्लीकेशन तैयार की गयी है, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड में ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा स्थानीय पुलिस से ड्रोन उड़ान की सहमति प्राप्त की जाती है। यह सेवा पुलिस के CCTNS- पोर्टल से एकीकृत है।

3. डार्क मैपर– डार्क द्वारा एक जी0आई0एस0 ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो एरियल इमेज से मैप, प्वाइंट क्लाउड, 3डी मोड्यूल तैयार कर सकता है। यह यूजर के अनुकूल इण्टरफेस है, जिसमें मैप व्यूवर, 3डी व्यूवर, यूजर लोग–इन, प्लगइन सुविधा इत्यादि फीचर उपलब्ध हैं, जो एक अत्याधुनिक ड्रोन मैपिंग प्लेटफार्म से अपेक्षित हो सकती है।

4. डार्क ऐप फॉर डीजेआई ड्रोन– सामान्यतः डीजेआई ड्रोन उपयोग किये जाते हैं। डीजेआई एक चाईनीज तकनीकी कम्पनी है, डीजेआई तकनीकी में फ्लाईट डाटा उनके सर्वर पर चला जाता है। डार्क द्वारा डीजेआई ड्रोन के संचालन हेतु यह ऐप्लीकेशन तैयार की गयी है जो बिना डीजेआई सिस्टम में लॉग–इन के संचालन को सम्भव करता है तथा इससे फ्लाईट डाटा उनके सर्वर में नहीं जा पाता।

उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों के सर्वेक्षण कार्य भी पूर्ण किये गये। जैसे– नगर विकास विभाग हेतु ड्रोन तकनीकी के उपयोग से झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण का सर्वेक्षण किया गया, तथा विकसित क्षेत्रों के डिजिटल फुटप्रिन्ट तैयार किये गये। इसके अतिरिक्त हरेला फेस्टिवल 2020 पर छः स्थलों में वृक्षारोपण की लाईव स्ट्रीमिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ब्रॉडकास्ट की गयी थी।

उक्त केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो 5 एवं 10 दिवस के कोर्स हैं। अभी तक 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 347 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें डी0जी0सी0ए0, एस0डी0आर0एफ0, बी0एस0एफ0, सी0आई0 एस0एफ0, कोलकाता पुलिस, वन विभाग तथा उत्तराखण्ड पुलिस इत्यादि सम्मिलित हैं।

INDIA DRONE FESTIVAL 2.0 - Dronathon@Dronanagari 2020

फरवरी 2020 में ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो एक विशेष प्रकार के थीम–एण्टी ड्रोन तकनीकी पर आधारित था, जिसका उद्देश्य त्वरित नवोन्मेष, तीव्र विकास एवं वैश्विक पहुंच समर्थ समस्त ड्रोन तकनीकी को एक छत के नीचे लाना था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में काउण्टर ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन, नॉलेज शेयरिंग सेशन, ड्रोन प्रतियोगितायें की गयी। इसमें राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों, अविष्कारक, एयरो मॉडलर्स, विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रायें, ड्रोन उत्साही, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, फ्लाइंग शिक्षा एवं व्यवसाय से जुड़े लगभग 1200 प्रतिभागी 20 राज्यों से पंजीकृत हुये।

UAV Forensic Hackathon

DARC के स्थापना दिवस दिनांक 09 जुलाई 2020 पर ड्रोन फॉरेन्सिक के क्षेत्र में नये विचारों/नवोन्मेष को पटल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसके अन्तर्गत तीन समस्या कथन (Three problem statements)–फॉरेन्सिक ओपन सोर्स टूल्स डिजाइन करना, वाई–फाई सिग्नल खोजना एवं उसकी सामर्थ्य एवं दिशा को पता करने हेतु उपकरण तैयार करना, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान से भवन के फुटप्रिन्ट निकालने पर विमर्श किया गया।

वर्तमान में DARC के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम/परियोजनायें प्रस्तावित हैं–

- मिशन प्लानर ऐप्लीकेशन
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टमाइजेशन
- माल/मानव वाहक ड्रोन विकसित करना, जो 5–10 कि0मी0 की रेंज में 20–25 मिनट तक 100 किलोग्राम के वजन को नियंत्रित कर सके।
- मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन– यह ऑटोमोबाईल वाहन में तैयार किया जाना है जो ऑनबोर्ड फ्लाईट कंट्रोल सिस्टम से रियल टाईम संचार स्थापित कर सके।
- वन्यजीव प्रबन्धन, वनाग्नि प्रबन्धन एवं वन नियोजन प्रबन्धन हेतु ड्रोन तकनीकी को ग्रहण करने तथा इंटीग्रेट करने हेतु वन विभाग को प्रस्ताव दिया गया है।
- जुमरानी डैम परियोजना को सम्बन्धित क्षेत्र के 15 ग्रामों के सर्वेक्षण प्रस्तावित है।
- नगर नियोजन विभाग हेतु मल्टी लेयर्ड बेस मैप तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- कुंभ मेला आयोजन की प्रगति पर निगरानी हेतु लाईव स्ट्रीमिंग प्रस्तावित है।
- भारत नेट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक ऑप्टिकल फाईबर स्थापित किये जाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रस्तावित है।

DARC की भविष्य की योजनायें–

- रिसोर्स सेंटर की स्थापना
- इण्डीजीनियस ड्रोन विकसित करना
- आधुनिक ड्रोन कार्यशाला स्थापित करना
- प्रमाणित तकनीशियन परिस्थितिकी प्रवाह विकसित करने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकी को अनुसंधान से उद्योग तक पहुंचाने के उद्देश्य से आई0आई0टी0 रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाना है
- ड्रोन –अवरोध समाधान
- ड्रोन डिज़ाइन एवं विकसित किये जाने हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

- ड्रोन परीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र की स्थापना

आई0टी0डी0ए0 में स्थापित उक्त पी0एम0सी0 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों को ड्रोन की बेसिक जानकारी, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान मे राज्य के पॉलीटेक्निक छात्र–छात्राओं तथा विभागीय कर्मियों को ड्रोन सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

25.11 ई–गेटपास (E-Gatepass)–

आई0टी0डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass-uk.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है। इस सिस्टम के माध्यम से 71 हजार से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं।

25.12 वाई–फाई जोन की स्थापना (Wi-Fi Zone)– राजभवन, सचिवालय एवं विधान सभा में वाई–फाई जोन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

25.13 ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 'आईटी0 कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना'– माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ग्रोथ सेन्टर योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के अधीन आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब/डिजिटल क्लास रूम तैयार किये गये हैं।

इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवाओं के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सके।

इन केन्द्रों को स्थानीय युवकों/युवतियों हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण/English Languages/ Foreign Languages में भी प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इन केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा/ e-learning Programme/ सी0एस0सी0 से सम्बन्धित समस्त सेवाएं एवं प्रदेश में चल रही ई–सेवाएं संचालित की जानी प्रस्तावित है।

कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पायें हैं तथा ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। ऋषिकेश केन्द्र में अब तक 35 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है एवं ऑनलाईन प्रशिक्षण की प्रक्रिया गतिमान है।

विज्ञान प्रौद्योगिकी (Science Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही है:–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)

- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

25.14 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यो को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनो के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

25.14.1 वेब जी0आई0एस0 ऐप्लीकेशंस फॉर कोविड–19

यूसैक द्वारा देहरादून में कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने में सुगमता के दृष्टिगत जिलाधिकारी के साथ समन्वय कर कोविड–19 के लिए जियोस्पाशियल ऐप्लीकेशन (Geospatial Application) का सृजन किया गया।

25.14.2 उत्तराखण्ड स्पाशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (यूकेएसडीआई) प्रोग्राम

यूसैक द्वारा "उत्तराखण्ड स्पाशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (यूकेएसडीआई) प्रोग्राम" के कार्यान्वयन और संचालन हेतु राज्य नियोजन विभाग को जियोस्पाशियल डेटाबेस मैनेजमेंट पर तकनीकी सहयोग उपलब्ध किया जा रहा है, तथा उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल हब विकसित किया जा रहा है।

25.14.3 शहरी विकास नियोजन

निदेशक यूसैक को अमृत योजना के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये –

- सहसपुर और रायपुर विकासखण्डों के उपग्रह चित्रों पर आधारित जी0आई0एस0 (Geographic Information System) मानचित्र तथा देहरादून के निर्वाचन क्षेत्रवार रोड नेटवर्क मानचित्र 1:10000 स्केल पर तैयार कर लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया।
- आठ जिलों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी) के जी0आई0एस0 आधारित रोड नेटवर्क मानचित्र प्रदान किए गए।

जी0आई0एस0 आधारित तकनीकी के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण कार्य

- कुम्भ मेला क्षेत्र, हरिद्वार का विस्तृत बेस मैप तैयार किया गया तथा व्यापक जियो–डेटाबेस तैयार किया जा रहा है
- अलकनंदा व यमुना बेसिन में हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन किया गया।
- उत्तराखण्ड के जलग्राही क्षेत्रों की अवस्थिति तथा वाटर क्वालिटी मैप्स सिंचाई विभाग के साथ साझा किये गये।
- पौड़ी जनपद के नयार नदी, थल नदी,

सकमुंडा गाड, रांदी गाड, रामगंगा तथा चमोली जनपद के गैरसैंण के साथ प्रस्तावित दस बहुउद्देशीय जल कुण्डों की वियर साइट भू–तकनीकी रिपोर्ट के साथ–साथ कैट योजना तैयार की गई।

- मोडिस (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य में वनाग्नि की अवस्थिति प्रदान की गई।
- कैम्पा परियोजना के अन्तर्गत राज्य के बुग्यालों यथा– दयारा आदि में मृदाक्षरण एवं इको–रेस्टोरेशन की जियो–जूट तकनीकी के उपयोग से जांच की गई।
- दुर्लभ, लुप्तप्राय खतरे (Rare, Endangered Threats-RET) एवं औषधीय–सुगंधित पादपों (Medicinal, Aromatic Plants-MAP) के संभावित वितरण और उपलब्धता की स्थिति को ज्ञात किया जा रहा है।
- कतिपय चयनित जनपदों हेतु गन्ने एवं गेहूं की फसल के अनुमानित उत्पादन एवं क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े कृषि विभाग को उपलब्ध कराये गये।
- हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर के कुछ ग्रामों को जी0आई0एस0 मृदा पोषक तत्वों के मानचित्र (GIS Soil Nutrients Maps) उपलब्ध कराये गये हैं।
- यूसैक द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों की आधारभूत सुविधाओं व परिसम्पत्तियों को संकलित कर 'उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल एटलस' तैयार की गई है।
- उच्च विभेदी उपग्रह (High Resolution Satellite) आंकड़ों के उपयोग से प्रिंस चौक से रिस्पना तथा काठ बंगला क्षेत्र के बहु–सामयिक मानचित्र (Multi-Time Maps) तैयार किये गये।
- उत्तराखण्ड का पर्यटन मानचित्र अपडेट किया गया तथा इसमें सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को जियोटैग किया गया।
- पौड़ी जनपद में सीता माता टूरिस्ट सर्किट को मानचित्रित कर नये पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया।
- मई से जून के मध्य उत्तराखण्ड के पुराने तीर्थयात्रा पैदल मार्ग के वनस्पति एवं जीव विविधता का विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया।
- केदारनाथ तीर्थ यात्रा मार्ग के आपदा संभावित क्षेत्रों में भू–तकनीकी इनपुट्स प्रदान किये गये।
- केदारनाथ धाम के लिए प्रस्तावित नए संरेखण तीर्थ यात्रा मार्ग की प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई।
- पोंटा साहिब से बरकोट और कोटद्वार से श्रीनगर तक के नये एवं अतिरिक्त प्रस्तावित सर्व–ऋतु मार्ग (All Weather Road) के मानचित्र तैयार किये गये।

25.15 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद– यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

25.15.1 प्रौद्योगिकी विकास

- जैवप्रौद्योगिकी विभाग, आई0आई0टी0 रुड़की द्वारा AgNPs नैनो–कोटिंग आधारित जीवाणुरोधी पीपीई किट के विकास के लिए सहायता।

- व्यक्तिगत एंटीमाइक्रोबियल सुरक्षा के लिए Plants secondary metabolites based Vapour & phase & mediated antimicrobial Device के विकास के लिए आई0आई0टी0 रुड़की और जे0एम0डी0 फुटवियर के सहयोगात्मक प्रयास को सहायता।

25.15.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

- एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने एवं मरम्मत हेतु 02 प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सजावटी रोशनी के 10 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों द्वारा ₹ 3.70 लाख का व्यवसाय किया गया, जिससे ₹ 1.85 लाख का शुद्ध लाभ प्रतिभागियों को प्राप्त हुआ। भविष्य में प्रतिभागी इन प्रशिक्षण सत्रों से प्राप्त ज्ञान को आजीविका के स्रोत के रूप में अपना सकते हैं।

25.15.3 विज्ञान लोकव्यापीकरण

वर्ष 2020 में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 24 कार्यशाला/सहगोष्ठी/सेमिनार/वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें कि 10 वेबिनार परिषद से डिजिटल माध्यम से आयोजित किये गए। परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रतिभाग करने वाले युवा वैज्ञानिकों/शोधार्थियों को 02 अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान प्रदान किए गए।

25.15.4 प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (TRC) की स्थापना

परिषद द्वारा टिहरी गढ़वाल के हेवल घाटी में राज्य की 10वीं टीआरसी की स्थापना की गयी, जिसमें विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और मसालों के लिए मशीन और उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस योजनान्तर्गत पूर्व में ही नौगाँव (उत्तरकाशी), कलेश्वर (चमोली), जाखोली (रुद्रप्रयाग), सहसपुर (देहरादून), कनाताल (टिहरी), रानीखेत (अल्मोड़ा), नैनीताल, कलसी (देहरादून) तथा हुड्डू, अगस्त्यमुनी (रुद्रप्रयाग) में टी0आर0सी0 स्थापित किये जा चुके हैं।

25.15.5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आई0पी0आर0)

उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देहरादून में पेटेंट सूचना केंद्र (पी0आई0सी0) बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुद्दों के बारे में जनता को जागरूक करने और आई0पी0आर0 से संबंधित कार्यों का नियमित रूप से संचालन करके एस0 एंड टी0 समुदाय को सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है। इस वर्ष भी कुल 23 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए थे और उसी के लिए प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुल 08 पेटेंट आवेदन अटॉर्नी दाखिल करने हेतु प्रेषण।

06 ट्रेडमार्क और 03 कॉपीराइट आवेदन प्राप्त हुए जिन्हें दाखिल करने के लिए संबंधित विभागों को प्रेषण। इस अवधि के दौरान कुल 02 पेटेंट, 04 ट्रेडमार्क और 03 कॉपीराइट आवेदन प्रदान किए गए।

25.15.6 साइंस सिटी देहरादून की स्थापना

साइंस सिटी देहरादून में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, आभासी वास्तविकता, आभासी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला आदि पर विषयगत दीर्घाओं के साथ स्पेस थियेटर सह प्लैनेटोरियम हिमालय पर डिजिटल पैनोरमा

सिम्युलेटर एक्वेरियम उच्च वोल्टेज, लेजर, क्षेत्र पर विज्ञान पर विशेष शोध और आउटडोर साइंस पार्क/थीम पार्क/बायो डोम/जीवाश्म पार्क आदि होंगे। अन्य सुविधाओं में कन्वेंशन सेंटर तथा अस्थायी प्रदर्शनी हॉल शामिल हैं। इसके अलावा, अल्मोड़ा में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण प्रगति पर है।

25.15.7 बाह्य वित्त पोषित परियोजना

1– पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य के चार संकुलो गैंडीखाता (हरिद्वार), बजीरा (रुद्रप्रयाग), भिगुन (टिहरी गढवाल) एवं कौसानी (बागेश्वर) में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर संचालित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य संकुल के लोगो की आजीविका में सुधार कर उन्हे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। चारो संकुलो में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामोदय सहकारी समिति की स्थापना की गयी है। संकुलो के लाभार्थियों की आजीविका में सुधार करने के लिए यूकॉस्ट द्वारा संकुलो में मशरुम उत्पादन इकाइयां आधुनिक नर्सरी (मिस्ट चैम्बर, पॉली हाउस एवं नैट हाउस), फल उत्पादन इकाई, मसाला उत्पादन इकाई, मधुमक्खी पालन इकाई की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में संकुलो में फल प्रसंस्कण इकाई, मशरुम प्रसंस्कण इकाई, मसाला प्रसंस्कण एवं पैकेजिंग इकाई की स्थापना की जा रही है। किसानो को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं भ्रमण कार्यक्रमों के माध्यम से इन इकाइयों में कार्य करने के लिए योग्य बनाकर उनकी आजीविका में सुधार किया जा रहा है।

परियोजना की अवधि	–	3.6 वर्ष
स्वीकृत धनराशि	–	₹ 6,30,54,000.00
अवमुक्त धनराशि	–	₹ 4,70,00,000.00

2– डीबीटी स्किल विज्ञान प्रोग्राम परियोजना

जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी), भारत सरकार के "डीबीटी–कौशल विज्ञान राज्य भागीदारी कार्यक्रम" को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप कार्य कर रही है। कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य युवा तकनीशियनों और बायोटेक्नोलॉजिस्ट को उद्योग, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आर0एण्डडी0 और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में नौकरी करने के लिए तैयार करना है।

परिषद प्रति वर्ष कुल 150 प्रशिक्षु छात्रों के लिए 18 अलग–अलग प्रशिक्षण आयोजित करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के पांच संस्थानों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे:

- कुमाऊं विश्वविद्यालय, भीमताल तथा एच0एन0बी0 गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर– गढ़वालः क्वालिटी कंट्रोल (माइक्रोबायोलॉजी)
- जी0बी0 पंत "राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (NIHE), अल्मोड़ाः लैब तकनीशियन/सहायक
- जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगरः मशरुम कल्टीवेशन एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन
- AIIMS ऋषिकेशः (14 विभिन्न तकनीशियन प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण) फार्मेसी असिस्टेंट, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बेसिक, फेलोबोटॉमी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, एक्स–रे टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, रिफाइनरीस्टिस्ट,

हिस्टोटेकनिशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब तकनीशियन, डायलिसिस तकनीशियन, रेडियोलॉजी तकनीशियन।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष

कुल लागत – ₹ 2,30,67,500.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 76,22,500.00

2– प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलांस प्रोग्रामः (पी0एम0यू0) परियोजना

यह परियोजना भारत सरकार के उपक्रम "जल जीवन मिशन के अन्तर्गत" (हर घर जल) के माध्यम से देश के समस्त राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का निर्माण किया गया है। पी0एम0यू0 का मुख्य कार्य समस्त प्रयोगशालाओं (26) का प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली की देख–रेख करना है, समस्त प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षित किये जा रहे सभी जल नमूनों की रिपोर्ट की पुनः जांच करने के उपरान्त उन्हें भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जायेगा। पी0एम0यू0 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 26,200 जल स्रोतों को परीक्षित करने के उपरांत भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

परियोजना अवधि – वर्ष 2020–21

कुल लागत – ₹ 1,99,03,320.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 48,30,670.00

उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त परिषद को वित्तीय वर्ष 2020–21 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित शोध एवं विकास परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है –

3– "प्रोस्पैक्टिंग एण्ड एसेस्समेंट ऑफ सरटेन इन्डिजिनियस रेसेपिज़ ऑफ बद्री तुलसी फ्रोम उत्तराखण्ड हाईलेडस"

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2020–23)

कुल लागत – ₹ 45,75,744.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 16,69,248.00

4–वाटर टैक्नोलॉजी इनिस्एटिव के तहत– "वाटर एनर्जी फूड नैक्स्स थ्रू सोलर–ग्रीन हाउस बैसढ़ हाईड्रोफोनिक सोल्यूशन विद एन्ड्रॉइड मोबाइल ऐपलिकेशन ऑफ वेजीटेबल मार्केट फॉर रूरल फॉरमर्स एण्ड अर्बन यूजर्स"

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 3,02,42,080.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 80,60,000.00

25.16– उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र– यूसर्क (Uttarakhand Science Education & Research Centre- USERC):– यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॅरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः–

- यूसर्क के यू–ट्यूब चैनल के माध्यम से यूसर्क द्वारा निर्मित विभिन्न वैज्ञानिक एवं शैक्षिक व्याख्यानों का प्रसारण किया जा रहा है। यूसर्क के यू–ट्यूब चैनल को उत्तराखण्ड सहित देश–विदेश में लगभग दस लाख बार देखा जा चुका है। यूसर्क में स्थापित स्टूडियो में विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण हेतु विषय

विशेषज्ञों द्वारा ई–कन्टेन्ट के निर्माण हेतु व्याख्यान आयोजित किये जा रहे हैं।

- जलगुणवत्ता की योजना के परीक्षण हेतु "Automated IOT based smart Water Quality Assessment System" शोध परियोजना द्वारा Low cost equipments का निर्माण किया गया है। मृदा गुणवत्ता के परीक्षण हेतु "Wireless Smart Agriculture Monitoring System" शोध परियोजना द्वारा Low cost equipments के निर्माण शोध कार्य प्रगति पर है।
- "Science of Revival of Rivers" कार्यक्रम के अन्तर्गत यूसर्क द्वारा 'रिस्पना' एवं 'कोसी' नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु जल गुणवत्ता का अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है, साथ ही इस सन्दर्भ में जागरूकता कार्यक्रम भी किये जा रहे है।
- केन्द्र सरकार की 'डिजिटल इण्डिया' की भावनाओं के अनुरूप यूसर्क द्वारा उत्तराखण्ड के दूरस्थ विद्यालयों तक विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु 'प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा' (Technology Enabled Science Education) का कार्य किया जा रहा है।
- प्रदेश के छात्र–छात्राओं के उचित मार्गदर्शन हेतु यूसर्क द्वारा मेन्टरशिप प्रोग्राम एवं ज्ञानकोष पोर्टल के विस्तारण का कार्य प्रगति पर है।
- यूसर्क द्वारा दिव्यांग केन्द्र की स्थापना कर उसके अन्तर्गत दिव्यांगों हेतु प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- पर्यावरण संवर्धन एवं जनजागरण हेतु बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा से जोड़ने तथा अपने गांव के आस–पास की पर्यावरणीय समस्याओं को समझने तथा उनके प्रति जन–जागरुकता हेतु ''स्मार्ट इको क्लब'' की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद के पाँच–पाँच माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट इको क्लबों का गठन किया गया है। द्वितीय चरण में इसे विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न विद्यालयों में गठित करने की योजना है।
- प्रदेश भर में छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियां, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी, जन जागरण एवं जागरुकता हेतु विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

25.16.1 कोविड–19 के अन्तर्गत विभागीय कार्यों में विशेष प्रयास

- "Socio Psychological Impact and Mitigation of Covid-19 Pandemic on Women and Children" विषय पर तथा "Establishing new teaching learning skills & Methodologies amidst Covid-19 Pandemic" विषय पर राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त यूसर्क व समर्थनम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ''कोविड–19 चुनौतियाँ एवं अवसर (मुख्यतः दिव्यांगजनों के सन्दर्भ में)'' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
- यूसर्क द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये विशेष उपयोगी तकनीक आधारित शिक्षा हेतु डेटा साइंस (AI & Machine Learning) विषय पर पांच दिवसीय ऑनलाईन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- राज्य के समस्त जनपदों के विद्यार्थियों तथा यूसर्क के मेंटरशिप कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न मेंटर्स के साथ क्रमशः मार्गदर्शन व वर्तमान एवं भविष्य से सम्बन्धित विषयों पर ई–संवाद किया गया।

- यूसर्क द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस तथा डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखण्ड के साथ संयुक्त रूप से कोरोना वॉरियर्स नामक एन्ड्रॉइड ऐप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसमें ऑनलाईन गेमिंग के माध्यम से विभिन्न क्विज के द्वारा कोरोना वायरस से सम्बन्धित जानकारियां प्रदान की जा रही है।
- यूसर्क द्वारा कोविड–19 के परिपेक्ष्य मे ट्रेकिंग सिस्टम ऐप का निर्माण किया गया। यह ऐप यूसर्क एवं नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से आम जनमानस अपने लक्षणों की जानकारी इसमें फीड कर सकते है।

25.17 उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB)

परिषद् उत्तराखण्ड की भौगोलिक विशेषताओं का उपयोग करके प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के साथ ही राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को संचालित कर मुख्य रूप से पादप ऊतक संवर्धन, आण्विक नैदानिक एवं नैनोटेक्नोलॉजी विधि द्वारा रोगों के पहचान व निदान, जैवसूचनिकी, हाइड्रोपोनिक्स, जलगुणवत्ता, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फसल सुधार एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी के साथ–साथ सगंध तथा औषधीय पौधों के विश्लेषण इत्यादि पर कार्य कर रहा है। परिषद् अपने जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण तथा विस्तार कार्यों के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

1. पादप ऊतक संवर्धन विधि द्वारा कीवीफल, स्टीविया व तिमूर इत्यादि के पौधों का उत्पादन कर किसानों को कृषिकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2. परिषद् द्वारा हाइड्रोपॉनिक एवं मृदा रहित कृषिकरण को प्रदेश में बढ़ावा देने हेतु उसका प्रचार–प्रसार एवं किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के 15 छात्र–छात्राओं को जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में छः माह का प्रशिक्षण दिया गया।
4. जैव पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला एवं आण्विक जीवविज्ञान एवं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगशाला के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के नवीन शोध कार्यों का संचालन प्रगति पर है।
5. परिषद् द्वारा प्रदेश स्तर पर 12 वित्त–पोषित /आयोजित कार्यशालाओं / सेमिनार / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया।
6. परिषद् द्वारा लघु–शोध कार्यक्रम के माध्यम से स्नातक तथा परास्नातक स्तर के 130 छात्र–छात्राओं को अब तक कौशल विकास के अन्तर्गत जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
7. परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थानों / विश्वविद्यालयों को वित्त–पोषित 8 परियोजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है तथा ससमय उनकी निगरानी की जा रही है, जिससे मुख्य रूप से फसल सुधार, पादप ऊतक संवर्धन, पर्यावरणीय व आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, बायोपेस्टीसाइड, जैव विविधता संरक्षण, औषधीय व संगंध पादपों के संरक्षण व नई प्रजातियों के विकास कार्य मुख्य हैं।
8. खीरे की 16 प्रजातियों के डी0एन0ए0 को अलग एवं शुद्धिकरण कर राष्ट्रीय कोशिका

विज्ञान केन्द्र, पुणे, महाराष्ट्र में DNA sequencing कराया गया है जो खीरे की नई प्रजातियों को विकसित करने में कारगर साबित होगी।

9. परिषद् द्वारा राष्ट्रीय कीवी दिवस का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों से आये लगभग 20 किसानों को कीवी फल के कृषिकरण हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान की गयी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को परिषद् के कीवी मिशन के अन्तर्गत कीवी फल के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

10. परिषद् की भविष्य की महत्वपूर्ण प्रस्तावित योजनाओं में नव हस्तान्तरित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल में उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (U.B.R.I.) की स्थापना की जा रही है, जिसमें निम्न वर्णित कार्यक्रम प्राथमिकता स्तर पर संचालित किये जायेंगेः–

1. स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुधार केन्द्र के अन्तर्गत ''कोविड–19 परीक्षण प्रयोगशाला'' का निर्माण।
2. जैव विविधता पार्क की स्थापना।
3. जैव विविधता आंकलन, संग्रह व संरक्षण केन्द्र की स्थापना।
4. वाणिज्यिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला केन्द्र की स्थापना।
5. हाईटैक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
6. स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुधार केन्द्र की स्थापना।
7. अन्य आवश्यकता आधारित गतिविधियों का सफल संचालन।

अध्याय–26
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

26.1 राजस्व– किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान, भूमि कर एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमाकर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमीदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैडस्ट्रल मैप्स की स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया जाता है। कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षपूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

डिजिटल इण्डिया लैंड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) (शत प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजना के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित कार्यो की स्थिति का विवरणः–

26.1.1 स्वामित्व योजना– भारत सरकार द्वारा संचालित ''स्वामित्व योजना'' के अन्तर्गत प्रदेश के 04 जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, पौडी गढवाल एवं देहरादून को सम्मिलित किया गया है योजना के प्रथम चरण में दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को कुल 6804 स्वामित्व अभिलेख पत्र वितरित किये गये है।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत सम्पत्ति सत्यापन समाधान करना, जिसमें आबादी क्षेत्रों का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृहस्वामियों को ''अधिकार अभिलेख'' उपलब्ध कराया जाना है जो उन्हें बैंक से ऋण लेने एवं अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी सम्पत्ति को वित्तीय सम्पत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनायेगा। इसके अतिरिक्त यह योजना ग्राम पंचायतों की कर संग्रह और मांग मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सम्पत्ति और परिसम्पत्ति रजिस्टर के अपडेशन को भी सक्षम करेगा।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के 3361, तराई जनपद उधमसिंहनगर के 566 ग्रामों एवं जनपद हरिद्वार के 602 ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों को प्रथम फेज हेतु चयनित किया गया है। जनपद देहरादून (626 ग्रामों) में अभी कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। अवशेष जनपदों को भी शीघ्र योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 रविवार को मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से ''स्वामित्व योजना'' अन्तर्गत प्रदेश के प्रथम चरण हेतु चयनित जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं उधमसिंहनगर के 50

राजस्व ग्रामों के अन्तिम रूप से चयनित 6804 लाभार्थियों को ऑनलाईन डिजिटली/ डिजी–लॉकर के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षणोपरान्त सम्पत्तियों के ''स्वामित्व अभिलेख'' वितरित किए गए।

26.1.2 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरणः–

ऑनलाईन भूलेख सॉफ्टवेयर का संचालनः–

ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अपेक्षानुसार प्रदेश की सभी संचालित तहसीलों में भू–अभिलेखों से सम्बन्धित ऑनलाईन सॉफ्टवेयर ''भूलेख'' को लागू किया जा चुका है, जिससे भू–अभिलेखों की अद्यावधिक स्थिति ऑनलाईन वेबसाईट http://bhulekh.uk.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

26.1.3 राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरणः–

राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन वेब ऐप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से वादों की डाटा इन्ट्री करवायी जा रही है साथ ही ऐप्लीकेशन को पूर्णतः ऑनलाईन करवाये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

26.1.4 ऑनलाईन लैण्डयूज एवं भूमि क्रय की अनुमति हेतु विकसित सॉफ्टवेयर का संचालनः–

भू–उपयोग परिवर्तन एवं भूमि कय की अनुमति सम्बन्धी कार्यवाही को ऑनलाईन वेबसाईट http://landuse.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित करवाया जा रहा है, जिससे निवेशकों को भौतिक रूप से सम्बन्धित कार्यालयों में नहीं जाना पड़ रहा है।

26.2 आपदा प्रबन्धनः–

आपदाओं के प्रति उत्तराखण्ड के समुदाय को जागरूक करने, इससे होने वाले क्षति को कम करने एवं आपदा पूर्व तैनाती के लिए आपदा प्रबन्धन तथा पुर्नवास विभाग द्वारा आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु मौसम के पूर्वानुमान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है। आपदा के समय बेहतर रिस्पॉन्स प्राप्त करने हेतु भविष्य की आपदा के परिप्रेक्ष्य में पॉलिसी बनाने तथा जनसमुदाय के लिए Incident response system (IRS) को मजबूत बनाने के लिए रियल टाइम डाटा बेस बनाया जाना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के क्रियाकलाप एवं उपलब्धियॉ (2020–21)

26.2.1 आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण–

1. मौसम के पूर्वानुमान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभाग के द्वारा राज्य भर में मौसम के आंकड़े एकत्रित करने हेतु 107 ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, 25 सरफेस फील्ड आब्जरवेटरी, 28 रेन गेज व 16 स्नो गेज उपकरणों की स्थापना की जा रही है। इस कार्य में भारत मौसम विज्ञान विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर में डॉप्लर वैदर रडॉर की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त सुरकण्डा एवं लैन्सडाउन में भी डॉप्लर रडॉर स्टेशन स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इन उपकरणों की स्थापना से मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमानों की प्रभाविकता व सटीकता में वृद्धि होगी तथा कृषि, पर्यटन एवं आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकेगा।

2. आपदा की स्थिति में पहुंच बाधित हो जाने में प्रभावित स्थान से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए सभी जनपदों के साथ–साथ राज्य स्तर पर 14 ड्रोन उपकरणों का कय किया गया है।

3. टिहरी बॉध से पानी छोड़े जाने की स्थिति से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र में चेतावनी के प्रसारण के लिए कोटेश्वर व हरिद्वार के मध्य

टी0एच0डी0सी0 के सहयोग से पूर्व चेतावनी उपकरणों की स्थापना की गयी है।

4. आपदा उपरान्त किये जाने वाले कार्यो को कुशलता से किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा इन कार्यो को ''इंसीडेन्ट रिस्पान्स सिस्टम'' के अनुरूप किये जाने की अनुसंशा की गयी है। उक्त के क्रम में राज्य व जनपद स्तर पर IRS सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है और पूर्व में आयोजित मॉक अभ्यासों को इस व्यवस्था के अनुरूप किया गया है। वर्तमान में IRS प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तहसील स्तर पर किया जा रहा है।

5. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा मौसम सम्बन्धित जानकारियों के साथ ही आपदा सम्बन्धित सूचनाओं व आपदा जागरूकता सम्बन्धित संदेश प्रेषित करने हेतु SMS सेवा का उपयोग किया जा रहा है। यह संदेश राज्य व जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ ही जन–सामान्य व मीडिया को भी प्रेषित किये जाते हैं।

26.2.2 राजमिस्त्री प्रशिक्षण–

राज्य के दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले अधिकांश भवनों के निर्माण में प्रायः अभियन्ताओं का सहयोग नही लिया जाता है। इन भवनों को प्रायः राजमिस्त्रियों द्वारा अपने अनुभव एवं अर्जित ज्ञान के आधार पर बनाया जाता है। अतः आवश्यक हो जाता है कि राजमिस्त्रियों को भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक में प्रशिक्षित किया जाय। वर्तमान तक राज्य के दुर्गम व आपदा संवेदनशील क्षेत्रों के तहसील/विकासखण्ड मुख्यालयों में एक सप्ताह अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2369 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है व 79 प्रदर्शन इकाईयों का निर्माण किया गया है।

26.2.3 अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण–

पुराने और जीर्ण–क्षीण भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनाने के लिये मजबूतीकरण (Retrofitting) की विधा का प्रयोग किया जाता है। इस विधा के प्रचार–प्रसार व प्रदर्शन के उद्देश्य से वर्तमान तक निम्नलिखित 08 विद्यालयों का मजबूतीकरण किया गया है और 80 राजमिस्त्रियों को इस विद्या में प्रशिक्षित किया गया है:–

26.2.4 भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु अभियन्ताओं का प्रशिक्षण–

राज्य में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यो में भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के 360 अभियन्ताओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की व गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर तथा 50 अभियन्ताओं को केन्द्रीय भवन अनुसंधान केन्द्र, रूड़की के सहयोग से भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

26.2.5 भूकम्प पूर्व चेतावनी तंत्र–

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), रूड़की द्वारा भूकम्प चेतावनी हेतु उत्तरकाशी व जोशीमठ के मध्य 98 भूकम्पमापी यंत्र स्थापित किये गये हैं जो भूकम्प आने पर कुछ सेकण्ड पहले चेतावनी प्रसारित करते हैं। इस प्रणाली को राज्य के कुमायूँ क्षेत्र में विस्तारित किया जा रहा है जहॉ इस हेतु विभिन्न स्थानों पर 100 भूकम्पमापी यंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत राज्य व जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के अतिरिक्त देहरादून व हल्द्वानी शहरों में विभिन्न स्थानों पर चेतावनी प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।

26.2.6 सामुदायिक रेडियो नीति–

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के लिये सामुदायिक रेडियो की नीति का विकास किया गया है ताकि राज्य में स्थित विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्थायें व अन्य इनके स्थापना हेतु प्रेरित हो और आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके तथा किसी भी आपदा की स्थिति में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले जन–समुदाय में आपदा जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जा सके। उक्त के अन्तर्गत अनुदान के रूप में ₹ 10.00 लाख तक की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में कोविड–19 से सम्बन्धित जन–जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये प्रचार–प्रसार सामग्री को हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में उत्तराखण्ड के समुदाय तक सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उत्तराखण्ड के लोगों तक पहुँचाया जा रहा है।

26.2.7 मानक प्रचालन कार्य विधि (SOP)–

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों हेतु मानक प्रचालन विधि (Standard Operation Procedures; SoP) का विकास किया गया है। वर्तमान में कुछ चिन्हित विभागों यथा– लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, जल संस्थान विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग की मानक प्रचालन कार्यविधियों को उच्चीकृत किया जा रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य में समय–समय पर मानक प्रचालन कार्य विधि जारी की गयी।

26.2.8 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कियाकलाप–

- केन्द्र द्वारा यात्रियों एवं पर्यटकों हेतु चारधाम यात्रा मार्गो पर अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंचरचनाओं यथा पुलिस थाना, चिकित्सा सुविधा, पैट्रोल पम्प, ए0टी0एम0 तथा होटल / धर्मशालाओं की जानकारी गुगल मैप पर अंकित कर विभागीय वैवसाईट पर उपलब्ध करवायी गयी।
- केन्द्र द्वारा समय–समय पर स्थानीय एवं विदेशी संस्थानों के छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण व शोध सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।
- जलवायु परिवर्तन के विभिन्न स्तरों पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन हेतु जनपद उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी, जनपद चमोली की नीती घाटी तथा जनपद पिथौरागढ़ की व्यास व जौहार घाटियों का सर्वेक्षण कार्य किया गया।
- राज्य की विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन पृथक से उपलब्ध साफ्टवेयर में किया जा रहा है।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचनायें जैसे– नाम, पते, दूरभाष इत्यादि को केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है तथा नियमित रूप से इसका उच्चीकरण किया जा रहा हैं।
- केन्द्र द्वारा क्षेत्र की परम्परागत भवन निर्माण शैली पर गहन शोध किया गया है व इसे World Housing Encyclopedia में सम्मिलित करवाया गया है।
- केन्द्र द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो को केन्द्र की वेब साइट व फेसबुक पृष्ठ के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है।

26.2.9 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से निम्न कार्य किये गये

- उत्तराखण्ड में शीत लहर से बेहतर तैयारी के संदर्भ में एव आपातकालीन समय में सभी

विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने हेतु शीत लहर कार्य योजना (Cold Wave Action Plan) बनायी गयी है, ताकि कम समय में त्वरित प्रतिवादन के साथ आम समुदाय को राहत प्रदान की जा सकें।

- NSRMP (National Sesimic Risk Management Project) भारत सरकार, NDMA द्वारा संचालित परियोजना के अंतर्गत राज्य में भूकम्प सुदृढीकरण हेतु अभिकल्पन कार्य किये जा रहे है, ताकि भविष्य में होने वाली आपदाओं से जान–माल की हानि से बचा जा सके।
- कोरोना से बचाव हेतु आम जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए विभिन्न विषयों को–सामाजिक दूरी, मास्क का सही इस्तेमाल, होम क्वारंटाइन आदि के जनजागरूकता फिल्मों, जिंग्लस, एल.ई.डी. डिस्पले, पोस्टर, बैनर, पैम्पलैटस, सामुदायिक रेडियो, टी.वी., बल्क एस.एम.एस. एवं जनजागरूकता रथ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया।
- COVID-19 से सम्बन्धित विभिन्न एडवाइजरी, SOP उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई।
- USDMA द्वारा COVID-19 से सम्बन्धित अध्यतन जानकारी को उच्च अधिकारियों एवं आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु दृष्टि पोंटल (Drishti Portal) का निर्माण किया गया। जिसमें राज्य के कोरोना से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी उपलब्ध की जा रही है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य के दो भूस्खलन क्षेत्रों में सुरक्षा एवं उपचार कार्यो को संपादित किया जा रहा है। इसमें वर्तमान तक कैम्पटी–चडोगी भूस्खलन क्षेत्र में 35% मिटिगेश्न कार्य किया गया है एवं हड़िया नाला भूस्खलन क्षेत्र, पिथौरागढ़ में कार्य गतिमान है।
- राज्य के इन भूस्खलन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए NDMA एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) हुआ है, जिसके क्रम में उक्त कार्यो के क्रियान्वयन एवं सफल संपादन के लिए USDMA एवं लोक निर्माण विभाग के मध्य (MOU) किया गया है।
- मानसून 2020 में आपदा प्रभावित जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी, मुनस्यारी, बंगापानी एवं धारचूला तहसीलों के 14 आपदा प्रभावित गॉव का भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है।
- NDMA के सहयोग से राज्य में Pilot Project to improve Masonry Earthquake Resiliencey संचालित है। जिसमें राज्य में विभिन्न Capacity Building के कार्य किये जा रहे है।

कोविड–19 अन्तर्गत होम आइसोलेशन हेतु राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशः–

- होम आइसोलेशन के प्रत्येक रोगी की दैनिक स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी हेतु जनपद के कन्ट्रोल रूम/104 कॉल सेन्टर के माध्यम से प्रभावी निगरानी की जा रही है।
- होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था कराये जाने हेतु एस0डी0आर0एफ0 का भी सहयोग लिया जा रहा है।
- लक्षण रहित कोविड–19 पोजिटिव रोगियों को निम्नाकिंत दिशा निर्देशों का पालन किये जाने की लिखित सहमति के उपरान्त होम आइसोलेशन हेतु भी अनुमति प्रदान की जा रही है :–
  - होम आइसोलेशन की अवधि में परिवार से अलग कमरे में रहें।
  - होम आइसोलेशन की अवधि में घबराये नहीं एवं अपना मनोबल ऊँचा रखें।
  - हमेशा ट्रिपल लेयर सर्जिकल मॉस्क पहनकर रखें एवं मॉस्क को हर 08 घण्टे/गीला/गंदा होने पर बदले व उसे नियमानुसार (1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से विसंक्रमित कर) त्याग करें।
  - अपने शरीर की नियमित साफ–सफाई करें।
  - समय–समय पर अपने हाथों को साबुन से 40 सेकेण्ड तक धोऐं अथवा 70 प्रतिशत या अधिक एलकोहल युक्त सेनेटाईजर का प्रयोग करें।
  - अपने चहरे पर हाथ न लगायें।
  - छींकते एवं खाँसते समय अपने नाक एवं मुँह को टिशु पेपर से ढ़कें।
  - पृथक शौचालय का इस्तेमाल करें, जिसे परिवार का अन्य व्यक्ति उपयोग न करें।
  - शौचालय को इस्तेमाल करने के बाद नियमित रूप से (1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट अथाव 5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन) से साफ करें।
  - आराम करें एवं यथासम्भव योग, ध्यान करें।
  - तरल एवं पौष्टिक आहार का सेवन करें।
  - पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें।
  - चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श एवं दवाईयों का सेवन नियमित रूप से करें।
  - कोई लक्षण जैसेः– बुखार, खाँसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द होंठ एवं चेहरे का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम इत्यादि होने पर तुरन्त चिकित्सक, जिला नोडल/जिला सर्विलेंस अधिकारी को सूचित करें।
  - अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाईन नं0–104 पर सम्पर्क करें।
  - होम आइसोलेशन की अवधि में परिवार के किसी भी सदस्य के सम्पर्क में न आयें।
  - घर पर अपने उपयोग हेतु परिवार से अलग बन्द डस्टबीन का प्रयोग करें।
  - घर पर साझे स्थान जैसें– रसोईघर, हॉल इत्यादि का उपयोग बिल्कुल न करें।
  - घर पर अतिथि एवं अन्य बाहरी व्यक्ति को आंमत्रित न करें।
  - घर पर यदि पालतू पशु हों तो उनसे दूरी रखें।
  - घर पर विशेषकर बच्चों, बुजुर्गो, गर्भवती महिलाओं एवं co-morbid रोग (जैसे– बी0पी0, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दा रोग इत्यादि) से ग्रस्त व्यक्तियों से दूर रहें।

• कोविड–19 पोजिटिव रोगियों के घरो के सदस्यों / देखभालकर्ता हेतु दिशा–निर्देश दिये गये।

- परिवार का एक ही व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाते हुए मॉस्क एवं सर्जिकल दस्ताने का उपयोग करतें हुए देखभाल करें।
- खाने पीने एवं अन्य उपयोगी सामग्री बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं co-morbid रोग से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा न दी जाये।
- मॉस्क का प्रयोग करने के दौरान मास्क को आगे की तरफ से न छुऐं।
- देखभालकर्ता स्वंय के चेहरे, नाक एवं मुँह को न छुऐं।
- मास्क एवं सर्जिकल दस्तानों को नियमानुसार विसंक्रमित करने के उपरान्त त्याग कर हाथों को अच्छे से धोयें।
- मरीज के शारीरिक स्त्रावों (Body Fluids) के सीधे सम्पर्क में न आयें।
- मरीज के सभी कपड़े, चादर, तौलिया आदि एवं उनके द्वारा छुऐ गये सतह जैसे फर्श, टेबल टॉप, शौचालय इत्यादि को 5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें।
- मरीज के धुले सभी कपड़ों को अलग से सुखायें।
- घर पर यदि पालतू पशु हों तो उन्हें होम आइसोलेटेड मरीज से दूर रखें।
- उक्त अवधि में घर पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम जैंसे–बर्थडे पार्टी आदि समारोह आयोजित न करें।
- होम आइसोलशन मरीज एवं परिवार के किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य सम्बन्धित परेशानी (जैसे–बुखार, खाँसी, एवं सांस लेने में तकलीफ) होने पर चिकित्सक, जिला नोडल अधिकारी / जिला सर्विलेंस अधिकारी को सूचित करें।
- अपने व अपने परिवार के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें।